खण्ड-183, अंक-1
शनिवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1879
(27 अप्रैल, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम १ में संशोधन करने के सम्बन्ध में संकल्प (वापस लिया गया) ..	७–१४
परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में संकल्प (उपस्थित नहीं किया गया)	१४
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार जारी) ..	१४–६३
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक, सदन की मेज पर रखा गया)	६३
प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ .. (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक सदन की मेज पर रखा गया) ..	६४
सभा का भावी कार्य-क्रम	६४
कुमायूं डिवीजन की अन्न समस्या पर वाद-विवाद के लिये समय निर्धारण की सूचना	६४
नत्थियां	६५–६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ९ वैशाख शकाब्द १८७९

(२७ अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३७२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजर्रार जाफ़री, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असग़रअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कांताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजान सिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेश चन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोशई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपांकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रताप बहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानुप्रकाश सिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
ब्रजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महवीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुबीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री.
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमुझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमीसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी जी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवरामपांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री

सज्जन देवी महनीत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देबी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल,श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

शनिवार, ९ वैशाख, शकाब्द १८७९ (२७ अप्रैल, १९५७ ई०)

श्री उग्रसेन तथा श्री गौरीशंकर द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता---आज चार कामरो को प्रस्ताव हमारे पास आये हैं। एक माननीय उग्रसेन जी का है और उसी से मिलता-जुलता गौरीशंकर जी का है। ये दोनों प्रस्ताव अनिश्चित हैं, इसलिये मैं उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जंगबहादुर द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता---तीसरा प्रस्ताव श्री रामनारायण जी त्रिपाठी का है जिसमें उन्होंने ७-४-५७, और २०-३-५७ के वाक़यात दिये हैं और एक वाक़या १-११-५६ का दिया है इसलिये यह अरजेन्ट नहीं है और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह किसका है? जरा पढ़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---श्री जंगबहादुर जी का है। जहां सन्देह होगा और माननीय मंत्री जी से पूछना होगा, तब पढ़ कर सुना दिया जायगा। श्री रामनारायण त्रिपाठी का एक और प्रस्ताव है वह ऐन्टीसीपेट करते हैं कि कुछ वाक़यात १०-५-५७ को होने वाले हैं इसलिये मैं इसको भी अस्वीकार करता हूं। किसी कामरोको प्रस्ताव का सब्जैक्टमेटर ऐसी चीज नहीं हो सकती जो कि होने वाली हो। अगर हो चुकी हो तो उसके ऊपर प्रस्ताव आ सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक परम्परा की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां यह परम्परा रही है कि जो भी कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उन्हें अध्यक्ष महोदय कृपा कर सदन को भी बताने का कष्ट करते हैं कि यह विषय क्या है ताकि सदन के सदस्य यदि कोई सलाह देना चाहें तो अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने के लिये अपनी सलाह भी दे सकें।

श्री अधिष्ठाता--आप मेरे कमरे में आ जावें और मैं लिखित दिखा दूंगा कि अध्यक्ष का अधिकार है कि जिस प्रस्ताव को अस्वीकार करें उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें उन्हें सन्देह है और माननीय मंत्री जी से पूछना है उसे वह पढ़ते हैं। जिसे वह समझते हैं कि साफ अस्वीकार करना चाहिये उसे वह नहीं पढ़ते हैं।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर महामान्य राज्यपाल का उत्तर

श्री अधिष्ठाता--महामान्य राज्यपाल जी का एक पत्र आया है २४-४-५७ का जो मैं आपके सामने पढ़े देता हूं।

"श्री अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके पत्र दिनांक २१ अप्रैल, १९५७ के लिये जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भेंट किया धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिए, जिसे उन्होंने अपनी १७ अप्रैल की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अधिष्ठाता--डिप्टी स्पीकर के पद के लिये नामांकन प्राप्त करने की तिथि ७-५-५७ के मध्यान्ह १२ बजे के पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने निश्चित की है तथा चुनाव के लिये ८-५-५७ की तिथि निर्धारित की है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सदन में न पढ़े जाने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली किस नियम के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष इतने व्यापक अधिकार अपने में ले रहे हैं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय भी न पढ़ा जाय और उसके न पढ़ने से माननीय सदस्यों का भ्रम भी निवारण न हो सके। माननीय रामनारायण जी ने मुझे बता रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी ने ६ हजार सत्याग्रही भर्ती कर लिये हैं और उसके बाद भी उन्होंने कामरोको प्रस्ताव दिया है। लेकिन उसको आपने पढ़ा भी नहीं और हमें यह जानकारी भी नहीं हो सकी कि माननीय रामनारायण जी ने क्या प्रस्ताव उपस्थित किया था और उसको न पढ़ कर माननीय अध्यक्ष महोदय ने, उनको जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उनका सही इस्तेमाल किया है या नहीं। इसलिये, यदि आप उसको पढ़ दिया करें तो हमें यह मालूम होता रहेगा कि डिस्क्रिशनरी पावर्स का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है य. नहीं।

श्री अधिष्ठाता--जैसा मैंने माननीय नारायणदत्त जी को अभी बताया, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि लंच के बाद आप मेरे कमरे में आ जायं और रूल को देख लें। मैं समझता हूं आप उससे सहमत हो जायेंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप लंच के बाद कहां बैठते हैं?

श्री अधिष्ठाता--उपाध्यक्ष के कमरे में।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५-६६ पर)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं इस पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--इसका विरोध तो हो नहीं सकता।

श्री राजनारायण--अधिष्ठाता महोदय, आप नियम ९३ को देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें यह लिखा हुआ है--

"यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय...."

श्री अधिष्ठाता--आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। यह चीज 'लीव टू इन्ट्रोड्यूस' के लिये लागू होती है, इसके लिये नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यह एक ही बात है।

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं, दोनों एक बात नहीं है।

नियम ९४ इस प्रकार है--

"As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette."

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसमें दो तरीके हैं। एक तो माननीय राज्यपाल की आज्ञा प्राप्त किये बिना गजट करा सकते हैं। यह राज्यपाल महोदय की आज्ञा के बिना पुरःस्थापित किया जा रहा हो, तो हमको उसका विरोध करना है। अगर इसमें कुछ भ्रम हो रहा हो तो थोड़ा वादविवाद का मौका दिया जाय। मैं आपकी आज्ञा से यह चाहता हूं कि यह विषय ही ऐसा नहीं है जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी पुरः-स्थापित कर सकें और इस तरह से सदन का समय नष्ट किया जाय। मेरी राय तो यह है कि राज्य मंत्रियों के नियुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--आप तो मैरिट पर जा रहे हैं। आप यह कहें कि आपको विरोध करने का अधिकार क्यों है।

मैंने अभी बतलाया कि जब 'लीव टू इंट्रोडयूस' के लिये प्रस्ताव आये तब आप उसका विरोध कर सकते हैं। मगर जब कि यह बिल आलरेडी पब्लिश हो चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी उसको पुरःस्थापित कर रहे हैं तो ऐसी हालत में न उसका विरोध हो सकता ह और न कभी हुआ ही है।

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम १ में संशोधन करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प आपकी आज्ञा से उपस्थित करता हूं :--

"यह सदन यह निश्चय करता है कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई वर्तमान सूची के अन्त में निम्नलिखित को क्रमशः उक्त सूची के स्तम्भ १, २, ३ तथा ४ में बढ़ा दिया जाय--

"२५ राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा ४१ ३"

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

श्रीमन्, इस संकल्प के सम्बन्ध में इतना ही कहना काफी होगा कि राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा विभाग पहले भारत सरकार के अधीन था और तब इस प्रदेश के मंत्रियों को न तो परामर्श देने की कोई विशेष आवश्यकता थी और न कोई मौका ही था। अब चूंकि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ गये हैं, इसलिये इस सदन के माननीय सदस्यों का परामर्श लेना उसमें आवश्यक मालूम हुआ। अस्तु यह संकल्प उपस्थित है। इस राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट परामर्शदात्री समिति के लिये १४ सदस्य इस सदन के तथा ३ सदस्य कौंसिल के रखे गये हैं। मुझे आशा है कि यह सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय बहुगुणा जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में हमको निवेदन करना है। मैं पहले तो यह चाहता था कि स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियमों के नियम १ के उपनियम (क) की कोई कापी हमको मिल जाती....

श्री अधिष्ठाता---जिस नियम का आप जिक्र कर रहे हैं वह तो टेबिल पर रख दिया गया है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, टेबिल पर तो नहीं है। यह तो और कोई चीज है। अगर आप उचित समझें और इस पर विचार करना कल के लिए स्थगित कर दें तो क्या कोई विशेष हानि होगी? मैं आपको स्पष्ट बतलाऊं कि जिस ढंग से स्टैन्डिंग कमेटीज इस समय काम कर रही हैं उस पर मुझे एक बड़ी आपत्ति है और मैं भी ऐसा चाहता हूं कि ये जो कमेटीज सरकार को परामर्श देने के लिए बनें उनकी जो रपट हो वह भी इस सदन के सामने प्रस्तुत हो . . .

श्री अधिष्ठाता---श्री राजनारायण जी, यह "रपट" क्या चीज है?

श्री राजनारायण---क्या श्रीमन् "रपट" को नहीं जानते? अंग्रेजी के "रिपोर्ट" शब्द को ही हिन्दुस्तानी में "रपट" कहा जाता है। जो अंग्रेजी रीति नीति से कम प्रभावित हैं, जो अपने देश की मर्यादा और सम्मान की सुरक्षा के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, उनको "रपट" शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज कर रहा हूं कि एक स्टैन्डिंग कमेटी का मैं भी सदस्य हूं। हमारे पास सूचना गयी कि स्टैन्डिंग कमेटी की बैठक होगी। हम उसमें आये, किन्तु एकाएक सूचना मिली कि बैठक स्थगित हो गयी। फिर कहा गया कि जरूर चुनाव के शुरू में बैठक होगी। इन सारी बातों का मैं भुक्त भोगी हूं। तो मैं ज्यादा इस सम्मन्ध में नहीं जाना चाहता। हमें इतना ही निवेदन करना है कि स्टैन्डिंग कमेटीज जिस ढंग से आज काम कर रही हैं वह ज्यादा लाभान्वित नहीं होता है इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और स्थायी समिति बनाने का जो निष्कर्ष होता है उसके मुताबिक सरकार काम कर पाती है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। इस लिए यह एक बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है कि स्थायी समितियां किस रूप में, किस नियम से, किस ढंग से काम कर रही हैं, उस पर हमको अपना मन्तव्य प्रकाशित करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो इस बारे में नियमावली है और जो तमाम बातें हैं उन का हम अध्ययन कर लें और इस के लिए समय चाहिये। यह अभी अभी यकायक मेज पर रखा गया है और अभी इस की तमाम बातों पर माननीय सदस्यों ने विचार नहीं किया होगा। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस को कल के लिए, कल से मेरा मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे से है, स्थगित कर दिया जाय। जैसा कि संकल्प में कहा गया है कि इस में राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा को भी बढ़ा दिया जाय। इसी तरह से और दो चार

विषय हो सकते हैं कि जिनके बारे में कहा जाय कि जोड़ दिया जाय। इस से पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि यह कमेटियां क्यों बनायी जायं, इनसे देश का और समाज का क्या हित होगा और उनके बन जाने से सरकार को क्या सहूलियत होगी। इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर हमें सोचने का थोड़ा अवसर दें और परसों विचार इस पर हो जाय।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अधिष्ठाता महोदय, यह तो आप को अधिकार है कि इस को आज लें या कल या परसों के लिए स्थगित कर दें, लेकिन केवल एक चीज मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प पर चाहे जब कभी भी विचार हो परन्तु यह एक व्यापक प्रश्न अलग है कि स्टैंन्डिंग कमेटियों या जो एडवाइजरी कमेटियां हैं वे रहें या न रहें, हों या न हों। इस लिए इस संकल्प पर विचार करते समय उस व्यापक प्रश्न पर विचार नहीं हो सकता। उस को अलग से एक रिजोल्यूशन की तरह से या दूसरी तरह से लाया जा सकता है, उस वक्त इस विषय पर विचार हो सकता है। यहां तो केवल स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम १ में दी हुई सूची के अन्त में राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा के लिए एक समिति बढ़ाई जा रही है। कोई भी सदन को कमेटी बनाने की बात यदि सदन को अभीष्ट न हो तो सदन को अख्तियार है कि वह उस संकल्प को स्वीकार करे या न करे। मेरा निवेदन यही है कि इस संकल्प पर विचार करते समय, चाहे वह विचार किसी दिन भी हो--आज या परसों--उस व्यापक प्रश्न पर विचार नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा . . .

श्री अधिष्ठाता--अब तो प्रश्न यह है कि जैसा कि अभी श्री राजनारायण जी ने कहा है कि इसको दूसरे दिन के लिए रख दिया जाय। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज इसे स्थगित कर दिया जाय तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--बाद को ले लिया जाय तो माननीय मन्त्री जी को कोई एतराज है?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--अधिष्ठाता महोदय, जो आपत्ति सदन के सामने माननीय राजनारायण जी ने उठायी है उस का जवाब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है। यह प्रश्न तो केवल नियमों में दी हुई सूची के स्तम्भ में "२५ राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा १४--३" बढ़ाने का है। अब वे स्थायी समितियां या एडवाइजरी कमेटियां बनायी जायं या न बनायी जायं, यह विषय इस संकल्प के अन्तर्गत नहीं आता। वह तो जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा एक अलग और व्यापक प्रश्न है। यदि अलग से वह विषय आये तो उस पर वह आपत्ति कर सकते हैं कि वह कमेटियां बनायी जायं या न बनायी जायं। मैं समझता हूं कि इस तरह की आपत्ति उठाने का इस समय कोई अवसर नहीं है। मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई वर्तमान सूची के अन्त में निम्नलिखित को क्रमशः उक्त सूची के स्तम्भ १, २, ३ तथा ४ में बढ़ा दिया जाय:

"२५ राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा १४ ३"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—मैं विभाजन तो चाहता ही हूं लेकिन बजाय इस के कि आप पहले इस संकल्प पर व्यवस्था सदन की लें आप पहले इस पर सदन की राय ले लें कि इस पर आज विचार हो या न हो। आप ने तो पूरा प्रश्न पढ़कर उस पर हां या नहीं की व्यवस्था ले ली।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये।

माननीय मन्त्री जी के भाषण के बाद—जो नियमावली आप को दी गयी है, आप तो पुराने सदस्य हैं, वह नियमावली १९४८ में वही थी, १९५२ में वही थी। मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं कि इसको स्थगित किया जाय किसी दूसरे दिन के लिए।

जो दूसरा प्रश्न आ रहा है अगर आप चाहेंगे तो फिर विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उस विषय पर बोलने तो आप दें।

श्री अधिष्ठाता—बोलने के लिए अवसर देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह वोटिंग किस चीज पर हो रही है? यह जरा साफ कर दीजिये। जो संकल्प है उस पर वोटिंग हो रही है। बोलने तो दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन, तथा कार्यविधि नियमों के नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई वर्तमान सूची के अन्त में निम्नलिखित को क्रमशः उक्त सूची के स्तम्भ १, २, ३ तथा ४ में बढ़ा दिया जाय।

"२५ राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा　१४—३।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप को इसमें बोलने का मौका देना चाहिए।

जब मैं बोलने लगा तो आपने कहा कि जो विशेष प्रश्न इस समय उपस्थित है उस पर राय आ जाय कि यह स्थगित हो या नहीं। उस पर मैंने अपनी राय दे दी। मंत्री जी ने भी उस पर अपनी राय दी। उसके बाद आप मत ले रहे हैं। जो मूल विषय है उस पर माननीय मन्त्री जी बोले हैं, हम लोग तो बोले ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता—जिस वक्त माननीय मंत्री जी ने इसको पेश किया था, एक मिनट तक मैंने इन्तजार किया कि कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें तो बोलें, लेकिन कोई माननीय सदस्य नहीं उठे। माननीय राजनारायण ने एक आपत्ति की। उसके बारे में मैंने निर्णय दिया कि उसको स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके नियम जो हैं, वह सब दिये हुए हैं, और वह पुराने सदस्य हैं उनको उनकी जानकारी है।

आप अगर बोलना चाहें, तो मैं समय दे सकता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवाओं से सम्बन्धित एक स्थायी समिति का निर्माण किया जाय। जहां तक मुझे सूचना है इस प्रकार की स्थायी समितियां किसी विभाग के सम्बन्ध में ही बनती हैं और आज तक जितनी भी स्थायी समितियां बनी हैं उनका सम्बन्ध एक विशेष विभाग से रहा है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमारी मेज पर दो पेज का जो कागज रखा गया है उस में सारी स्थायी समितियों के नाम दिये हुए हैं। २४ स्थायी समितियां हैं—हरिजन, शरणार्थी, सामान्य प्रशासन आदि। इस प्रकार जितने विभाग हैं उतनी ही स्थायी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समितियां हुआ करती हैं। तो मैं आज यह देख रहा हूं कि राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा से सम्बन्धित एक ऐसे विषय पर स्थायी समिति बनायी जा रही है जिसका कोई अलग विभाग नहीं है। अगर मुझे गलत सूचना नहीं है तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट कोई अलग सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। तो मैं इस संकल्प पर तब तक अपनी कोई निश्चित राय नहीं बना सकता हूं जब तक कि यह न बता दें कि इसका कोई अलग डिपार्टमेंट बनाया है या नहीं। अगर अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया है तो स्टैंन्डिग कमेटी बनायी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर यह विषय श्रम विभाग के अन्दर आ जायगा और लेबर डिपार्टमेंट की जो स्टैंन्डिग कमेटी होगी, या जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टैंन्डिग कमेटी होगी, वह इस मामले पर विचार कर लेगी।

अगर अलग विभाग है तब हमको इस सम्बन्ध में स्टैंन्डिग कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, चूंकि सदन में आप की व्यवस्था होने के बाद इस संकल्प पर वाद-विवाद आरम्भ हो गया है, इसलिए आपकी आज्ञा से मुझे भी अपने मत को प्रकट करना चाहिए। माननीय मन्त्री जी जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया उनकी ओर से सदन में कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया कि २४ के स्थान पर क्यों २५ स्टैंन्डिग कमेटी बनाना चाहते हैं . . .।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम १८८ में यह है कि विभाजन के अन्तर्गत विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा तत्काल घोषित किया जायगा और उस पर कोई आपत्ति न की जा सकेगी। तो श्रीमन्, विभाजन तो हो चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका परिणाम कब आप घोषित करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—विभाजन की स्टेज तो आयी नहीं थी। केवल प्रश्न उपस्थित किया गया था और परिणाम घोषित नहीं हुआ था, इस वास्ते नारायणदत्त जी को मैं ने वाद-विवाद करने की अनुमति दे दी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यद्यपि नियमतः मैं चाहता तो माननीय सुरेश प्रकाश जी के प्वाइन्ट आफ आर्डर पर प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर सकता था। मगर अधिष्ठाता महोदय की प्रतिष्ठा और सम्मान का खुद भी तो मान होना चाहिए हम को। एक बार जब उन्होंने व्यवस्था दे दी . . .।

श्री अधिष्ठाता—आप अपने विषय पर आ जाइये।

श्री राजनारायण—मैं श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा था कि माननीय नारायणदत्त जी ने जो अपनी शंका व्यक्त की इस संकल्प का विरोध करते हुए उसी के निवारणार्थ हमने पहले ही सुझाव दिया था कि इस पर आज वाद-विवाद न किया जाय और इसको स्थगित कर दिया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी करीब-करीब मेरे सुझाव से अपनी सहमति प्रकट की थी, लेकिन पता नहीं क्यों, माननीय श्रम मन्त्री इसको आज ही विवाद के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक समझे और उन्होंने कहा इस पर वाद विवाद होना चाहिए। तो जरा श्रीमन्, देखा जाय, सदन के सम्मानित सदस्यों को किस अंधकार में रखा जा रहा है और अन्धकार में रखते हुए किस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा तो जा रहा है कि "राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा" मगर इस इम्प्लायमेंट की भी हिन्दी हो सकती थी। मुझे आश्चर्य और दुःख है कि जिस सरकार के हेड माननीय सम्पूर्णानन्द जी हों, जो हिन्दी और हिन्दुस्तानी के विशेषज्ञ हों, उसके सम्मानित मन्त्रीगण जब संकल्प प्रस्तुत करें तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो, यह बौद्धिक परतन्त्रता का ही द्योतक है।

श्रीमन्, "राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा" के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है और एक और स्टैंन्डिग कमेटी बनाने की बात की गयी है, क्या मन्त्री जी इस समय यह बताने की

[श्री राजनारायण]

हैसियत में हैं कि कोई मन्त्री "राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट एक्सचेंज" के लिए हैं, क्योंकि यह लिखा हुआ है कि "यह परामर्शदात्री समितियां सलाह देती हैं मंत्रियों को, तो कौन सा ऐसा मन्त्री है ? किस मन्त्री को सलाह देने के लिए इस कमेटी के निर्माण के लिए संकल्प प्रस्तुत किया गया। यह मन्त्री जी की ओर से कोई भी सफाई नहीं प्रस्तुत की गयी। एक दिमाग में बात आयी कि "राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा" के लिए एक स्टैंन्डिग कमेटी बना दी जाय। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और बात हो जिसको सरकार साफ न करना चाहती हो, क्योंकि इस समय श्रीमन्, हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है और उसको दूर करने के लिए सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। आप जानते होंगे, और इस सदन के सम्मानित सदस्य भी इस बात की जानकारी में हैं कि "बेकारों को काम दो या काम नहीं दे सकते हो तो उनको जीवित रहने के लिए भत्ता दो" इस बड़ी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी आन्दोलन करने जा रही है .....

श्री अधिष्ठाता---आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---उसी से सम्बन्धित है, क्योंकि राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा है क्या ? काम-काज दिलाने के जो दफ्तर खुले हुए हैं आखिर इसका मतलब क्या है ? यह दफ्तर इसी-लिए तो खुले हुए हैं कि जो बेकार हों वह जाकर अपना नाम वहां पर लिखायें और जिनका नाम लिखा जाय उनको समुचित काम दिया जाय। उनके कामों के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में मुझे जानकारी है। मैं जानता हूं कि आज जितने इस सरकार के अलग-अलग विभाग हैं और अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं. जितने हेड्स हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ से, काम काज दिलाऊ दफ्तर की तरफ से अगर नाम भेजा भी जाता है तो उन को स्थान न देकर मन चाहे लोगों को रख लिया जाता है। श्रीमन्, अभी-अभी परसों की बात है, बनारस की। मैं वहां पर गया हुआ था। एक विभाग है जो सिंचाई विभाग के मातहत है, वहां पर टाइपिस्ट की जरूरत हुई। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ से दो नाम भेजे गये जो कि निहायत अच्छे थे, मगर वहां के अधिकारी ने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने आदमी को लूंगा .....

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय राजनारायण जी को याद दिलाऊंगा कि आप एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की वर्किंग पर जा रहे हैं। विषय पर आ जायं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं बहुत ही सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि वर्किंग में जो खराबी है, मैं एक तरह से उसका श्रेय देना चाहता हूं सरकार को। शायद उसी खराबी को दूर करने के लिए यह स्टैंन्डिग कमेटी बनायी जा रही हो, क्योंकि स्टैंन्डिग कमेटी का कोई मकसद तो होगा। किसी काम के लिए ही तो वह बनायी जा रही है, किसी विषय के लिए ही तो वह बनायी जा रही है, वह कोई स्थूल चीज तो नहीं है। इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि स्टैंन्डिग कमेटी बनायी क्यों जा रही है, इसका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किस लक्ष्य के साधन के लिए, किस साधन की प्राप्ति के लिए यह २५ खंड रखा जा रहा है ? लेकिन जब कोई बात सरकार की ओर से प्रकाशित नहीं की गयी तब आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं अपनी शंकाओं को रख देना चाहता हूं और उन शंकाओं को रखते हुए मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी जवाब भी दें ताकि सरकार यह न कह सके कि एक नौकरी दिलाने वालों के लिए स्टैंन्डिग कमेटी सम्मानित सदस्यों की राय जानने के लिए हम बनाना चाहते थे मगर माननीय राजनारायण और नारायणदत्त तिवारी ने उसका विरोध कर दिया। यह एक लांछन हो सकता है और उस लांछन को मैं नहीं चाहता कि कोई भी सम्मानित सदस्य चाहे वह विरोधी पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के हों, अपने ऊपर लें। इसलिए मैं पूरी सफाई चाहता हूं सरकार की ओर से और अगर कोई मकसद हो इसका, कोई उद्देश्य हो, तो वह बिलकुल स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रखा जाना चाहिए। फिर यह हो सकता है कि हम इसके समर्थन में खड़े हों। मगर इसका कोई उद्देश्य नहीं रखा गया है, इसके नियम, उपनियम, कायदे कानून जो हैं,

उन में जो त्रुटियां और दोष आज हैं वह उसी तरह से रहने दिये गये हैं, उसी तरह से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की वर्किंग में जो खामियां हैं, उसमें जो त्रुटियां और दोष हैं इन तमाम बातों का इस कमेटी से सम्बन्ध होगा।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही थी। मैं निहायत अदब से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर कहा, कि इस समय तो प्रस्ताव यह है कि २४ स्टैंन्डिग कमेटियां बनती थीं, अब २५ बनें और उसमें राष्ट्रीय एंम्प्लायमेंट सेवाए रख दिया जाय और इसके भी उसी तरह से जिस तरह से कि विधान सभा द्वारा १४ और विधान परिषद् द्वारा ३ सदस्य आते थे इसी तरह से सदस्य हों, इतने ही से मतलब है। मगर मैं फिर अदब के साथ कहना चाहता हूं आप के द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि उन्होंने क्या कहा जरा उस पर भी ध्यान देंगे, विचार करेंगे, क्योंकि कारण और कार्य का सम्बन्ध होता है। बिना कारण के कोई कार्य किया जाय, मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको नहीं मानेंगे। परन्तु चूंकि उन के मंत्रिमंडल की ओर से एक बात आ गयी, इस लिए येन केन प्रकारेण कोई बात कहनी चाहिए और माननीय मुख्य मन्त्री जी उनके तर्कों से सहमत हों या न हों उन्होंने कह दिया कि अन्य बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए और केवल इसी पर चर्चा हो। तो मैं निवेदन करूंगा कि आखिर कहीं से वर्किंग में यह बात आयी होगी कि इसकी क्या जरूरत है? क्या इसका उद्देश्य है, क्या बात है? और अगर आप चाहें तो उनको फिर एक मौका दें, एक नवीन प्रणाली चलायें। श्रीमन्, स्वस्थ जनतांत्रिक प्रणाली के विकास के लिए उनको फिर एक मौका दें। वह इस पर बतायें कि यह राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा स्टैंन्डिग कमेटी किस लिए बनायी जा रही है। आज तक जो स्टैंन्डिग कमेटियां बनी हुई हैं उन्होंने क्या सेवा की,? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कार्य से इस सदन के सदस्यों या समाज का क्या हित किया? उन्होंने अपने मंत्रियों को जो राय दी उस राय के अनुसार मंत्रियों ने कितना काम किया?

अगर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जितनी स्टैंन्डिग कमेटीज हैं अब उन की उपयोगिता नहीं रह गयी है और मैं इसके विरुद्ध हूं तब तो हमारे लिए लाजमी नतीजा होगा कि मैं इसका विरोध करूं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता था कि उन्होंने कैसे नतीजा निकाल लिया कि इस पर बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल प्रासंगिक है और इस पर बात होनी चाहिए। किसी सदन के माननीय सदस्य के मस्तिष्क में यह बात आयी कि जो स्टैंन्डिग कमेटीज की कार्य प्रणाली है वह दूषित है और वह उनका विरोध कर सकता है तो इस तर्क के आधार पर जब २४ कमेटीज गलत रूप में कार्य कर रही हैं तो २५वीं क्यों बना दी जाय। २४ के मुताल्लिक जो कार्य हो रहा है, जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है तो एक और क्यों हम ऐड करें, २५वीं कमेटी बना क्यों दें? इसलिए महज यह कह देना कि उस पर यहां विचार नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यह अप्रासंगिक है। इसीलिए मैं, आपके द्वारा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम विचार-विनिमय करके और एक वस्तुस्थिति को पहचान कर अपने मत को प्रकाशित करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यह निवेदन किया कि सब बातों पर विचार होना चाहिए और अगर सरकार चाहे तो स्थिति को स्पष्ट कर दे और स्पष्टीकरण करने के बाद सम्मानित सदस्यों को मौका दे कि सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से विचार-विनिमय में योग दे सकें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अधिष्ठाता महोदय, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर बातें पैदा हो गयीं इस संकल्प के सम्बन्ध में। कहा गया कि सदन को उस पर विचार करना चाहिए। तो कभी किसी अच्छे मौके से उन पर विचार होना चाहिए। यह जो संकल्प पेश किया गया है उसके बारे में माननीय नारायणदत्त जी ने यह पूछा कि इसका क्या एक अलग विभाग है? विभाग से उनका चाहे कोई भी तात्पर्य हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इसका कोई अलग मंत्री नहीं है। सदन का यह खयाल है कि जहां पर अलग मंत्री न हो तो फिर कोई सलाहकार अलग समिति की

[डा० सम्पूर्णानन्द]

आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं, आप के द्वारा, सदन से इस बात की इजाजत चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से इस संकल्प को वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में संकल्प

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—मैं इस संकल्प को उपस्थित नहीं करना चाहता और इसे वापस लेना चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने यहां यकायक कह दिया "मैं वापस लेना चाहता हूं"। मैं उस पर एक संशोधन रखना चाहता हूं कि इसको पूर्णतया स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने अपना प्रस्ताव मूव तो किया नहीं।

श्री राजनारायण—अगर मूव नहीं किया तो वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने इसको उपस्थित ही नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—वह उसे उपस्थित नहीं करना चाहते हैं।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७

†माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक सदन के सामने पेश कर दिया गया था, गालिबन १८ तारीख को और आज २७ तारीख है। दस दिन से इस विधेयक की प्रतियां माननीय मेम्बरों के पास हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि उन सब ने अच्छी प्रकार से उस पर विचार कर लिया होगा और अगर बहुत तफसील से नहीं तो कम से कम जो मोटे-मोटे संशोधन है, जो मुख्य संशोधन हैं, उन पर तो विचार अवश्य ही कर लिया होगा।

आज हमारे प्रदेश में चकबन्दी २६ जिलों में चल रही है। यह चकबन्दी की योजना जहां बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या के सुधारने में बहुत सहायक होगी वहां उतनी ही यह कठिन भी है—बहुत ज्यादा कठिन है। इस पर अमल करने में जो कठिनाइयां पेश होती हैं उनको वही लोग जानते हैं जिनको इस चकबन्दी में काम करना पड़ रहा है। वह लोग भी उस से पूरी तरह वाकिफ हैं जो उसमें खेती करते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि खेतों का मोह किसको कहते हैं और जो इस चकबन्दी में सक्रिय दिलचस्पी ले रहे होंगे उनको भी इन कठिनाइयों का पूरे तौर से परिचय होगा। मैं गवर्नमेंट की तरफ से इस अधिनियम में संशोधन इस से पहले तीन चार बार करा चुका हूं, लेकिन मैंने पिछली बार कहा था कि मैं यह नहीं कह सकता कि यह संशोधन आखरी होगा, क्योंकि जैसे ही कोई कठिनाई सामने आती है तो उसको बदलने के लिए ऐक्ट में संशोधन करना बहुत जरूरी हो जाता है। मनुष्य का कोई भी काम पूर्ण नहीं होता और फिर चकबन्दी जैसी योजना कोई आदमी बिलकुल त्रुटि रहित बना सके, यह मुश्किल है। जैसे आदमी और जैसे मेरे सहयोगी हैं, काम करने वाले सेक्रेटेरियट में, बल्कि यहां के आला अफसर भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि जो स्कीम उन्होंने शुरू

---

*१८ अप्रैल, १९५७ को कार्यवाही में छापा गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बना ली या एक बार जो संशोधन करके बाद में स्कीम हुई, वह पूर्ण होगी, या निभ्रांत होगी और वह त्रुटि रहित हो गयी। तो उसमें त्रुटियां मालूम हुई, और मैं एक संशोधन विधेयक के साथ फिर माननीय सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

सब से बड़ा संशोधन जो इसमें करने की जरूरत पेश आयी है वह एक हाईकोर्ट की रूलिंग के कारण है। धारा १४ में चकबन्दी कमेटी की मर्जी से, खातेदारों की जमीन में से कन्ट्रीब्यूशन के तौर पर, चन्दे के तौर पर, गांव के सार्वजनिक कामों के लिए जमीन लेने का विधान है—रास्तों के लिए, आबादी के लिए आवश्यकता हो, खलिहान के लिए, कूड़े या घूरे डालने के लिए, बीज गोदाम के लिए, पाखाना वगैरह बनाने के लिए और स्कूल के लिए अगर जमीन की जरूरत हो तो उसके लिए। इसके अलावा और भी, किसी सार्वजनिक काम के लिए गांव की जमीन की आवश्यकता हो तो चकबन्दी कमेटी को अख्तियार है कि ऐसे मौके पर, जब कि सार्वजनिक आवश्यकता की जमीन आबादी में आ गयी और फिर उसका रिअलाटमेंट हो रहा है, तो कन्सालिडेशन कमेटी सब खातेदारों के हिस्से में से एक फीसदी या दो फीसदी—नियमों में कोई फीसदी लिखा नहीं है—जितनी चाहे उतनी जमीन सार्वजनिक कामों के लिए सुरक्षित कर दे। आम तौर पर एक फीसदी जमीन कन्सालिडेशन कमेटी इस काम के लिए महदूद रखती है, लेकिन मथुरा और मुमकिन है एक आध जिले और भी हों, जहां खातेदारों ने इस सार्वजनिक काम के लिए अपने खातों में से दो दो फीसदी जमीन दी। मुजफ्फरनगर से कुछ किसान हाईकोर्ट में पहुंच गये एक रिट देकर। उनके एतराजात तो और थे, उन्हें शिकायत तो कुछ और थी, उनके जो भी कुछ एतराजात या शिकायतें थीं, उनको हाईकोर्ट ने सही नहीं माना, लेकिन इस लीगल प्वाइंट पर, जो कि बहस में उनके वकील की तरफ से उठाया गया कि जो जमीन खातेदारों से ली जाती है, या जो खातेदार देते हैं, उसके लिए मुआविजा कोई कानून के अन्दर नहीं रखा गया है, इस प्वाइंट पर हाईकोर्ट ने उनके रिट को मंजूर कर लिया और में केसेज मंजूर या फाइनल हो चुके थे, वह कैन्सिल कर दिये। अधिष्ठाता महोदय, जो हाईकोर्ट का आर्डर था स्कीम को कैन्सिल करने के सिलसिले में, तो वहां जो लोग गये थे, केवल उन्हीं के ऊपर उसका असर था। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट की एक नजीर हो गयी इसलिए छब्बीस के छब्बीसों जिलों में कोई भी एतराज होता है या कोई अपील दायर की जाती है या कलेक्टर के यहां निगरानी की जाती है तो यह एतराज उठा दिया जाता है और चूंकि हाईकोर्ट की नजीर मौजूद है, लिहाजा हमारे अफसरान इस मामले को तय नहीं कर पाते हैं और चाहे एक ही आदमी एतराज कर दे, वह स्कीम वहीं की वहीं रह जाती है। यह फैसला हाईकोर्ट का नवम्बर, १९५६, में हुआ, जिसको करीब ४/५ महीने हो चुके हैं। हमारे कानूनी सलाहकारों का मश्विरा यह था और इसी बीच में सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग हुई, बम्बई या मध्य प्रदेश के किसी केस में इसी तरह के मामले में, मुआविजे के मिलने की जरूरत नहीं है। पंजाब हाईकोर्ट की जो नजीर थी, उसमें बिलकुल इसी तरह के प्वाइंट्स उठाये गये थे कि मुआविजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहां के हाईकोर्ट ने पंजाब हाईकोर्ट की नजीर को मानना मुनासिब नहीं समझा और सुप्रीमकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ।

अधिष्ठाता महोदय, यह रिट मार्च, १९५५ में फायल हुई थी, तब से जो कठिनाइयां, मुजफ्फरनगर में विशेषकर, और अन्य जिलों में भी आम तौर पर चकबन्दी स्टाफ के सामने आयी हैं, वह अनगिनती हैं, बहुत ज्यादा हैं। कदम कदम पर स्टे आर्डर करवाना, किसानों का कानून के खिलाफ अपने पुराने खेतों पर कब्जा करने की कोशिश करना, मुजफ्फरनगर में पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होकर किसानों को भड़काना और जब कब्जा करने की कोशिश की गयी तो लामुहाला व्यवस्था कायम रखने के लिए गवर्नमेंट को यह हुक्म देना पड़ा अपने अफसरान को कि जो साहबान कानून अपने हाथ में लें, उनके खिलाफ ताजीरी कार्यवाही की जाय।

[श्री चरणसिंह]

हाईकोर्ट में कदम-कदम पर तरह तरह की दरख्वास्तें देना, लोअर कोर्ट में दरख्वास्तें देना, स्टे आर्डर कराना और इंजेक्शन जारी कराना आदि अनेक कठिनाइयां पेश आयी हैं और जैसा कि मैंने अर्ज किया मुजफ्फरनगर में प्रायः काम रुक सा गया है। २०९ गांवों में जहां चकबन्दी चल रही है, वहां १८० गांवों में कब्जा दिलाया जा सका है जबकि बाकी के २९ गांवों में चकों के प्रोपोजल्स तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन स्टे आर्डर की वजह से कब्जा नहीं दिलाया जा सका है और स्टाफ के लोग साल भर से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि खर्चा चाहे किसान उठायें, या स्टेट ऐक्सचेकर उठाये, लेकिन खर्चा हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, अन्त में हमारे ऐडवोकेट जनरल की यह राय है कि जो रिट ऐप्लिकेशन्स नयी पड़ी हुई हैं उन पर चाहे फैसला कुछ ही क्यों न हो। फैसला कब होगा यह कहना मुश्किल है। उस फैसले के इन्तजार में और फिर इस इन्तिजार में कि वह फैसला गवर्नमेंट के माफिक हो जाय और ज्यादा इस कन्फ्यूजन को कायम रखना, स्टाफ को खाली बिठाये रखना, लोगों के माइन्ड में अनसेटिलमेंट को कायम रखना जनहित में नहीं होगा। लिहाजा यह बिल पेश किया गया और इस बिल में एक प्राविजन यह है कि जो जमीन सार्वजनिक कामों के लिए ली जायगी अगर वह भूमिधरों की जमीन है तो उसका सर्किल रेट से चौगुना मुआविजा मिलेगा और अगर सीरदार की जमीन है तो उसको सर्किल रेट का दूना मुआविजा मिलेगा और अगर भूमिधर और सीरदार की जमीन किसी आसामी के कब्जे में है तो जो मुआविजा भूमिधर को मिलेगा उस का ५ फी सदी मुआविजा आसामी को भी मिलेगा क्योंकि आसामी का राइट तो बहुत छोटा राइट है, इजेक्टेबिल ऐट विल है। तो अधिष्ठाता महोदय, एक सब से बड़ा अमेंडमेंट तो इसमें यह है।

अब चूंकि यह अमेंडमेंट लाना ही था इसलिए इस डेढ़ साल के बीच में जो और कठिनाइयां हमारे अफसरान को महसूस हुई उनको भी मैंने मुनासिब समझा कि इस वक्त कानून में संशोधन करके दूर कर दिया जाय। मसलन्, कन्सालिडेशन कमेटी को जो परिभाषा मौजूदा ऐक्ट में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि कन्सालिडेशन कमेटी लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी होगी या उसकी उपसमिति होगी। यह परिभाषा तब रखी गयी थी जबकि प्रायः सभी गांवों में लैण्ड मैनेजमेंट कमेटियां थीं। लेकिन दिसम्बर, सन् १९५५ में गांव पंचायतों का चुनाव हो जाने के बाद गांव पंचायतों की तादाद जहां ३२,००० । ३३,००० से बढ़ कर ६७,००० के करीब हो गयी, वहां लैण्ड मैनेजमेंट कमेटीज की तादाद घट गयी। पहले ९०,००० के करीब लैण्ड मैनेजमेंट कमेटियां थीं, वे भी अब ६७,००० के करीब हो गयी हैं। अब लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी और गांव पंचायत सिनानिमस टर्म्स हो गये। लिहाजा पहली परिभाषा अब गलत हो गयी। तो उसका संशोधन इसमें रक्खा गया है।

दूसरे एक और संशोधन जिसको मैं मुआविजा देने के बाद सब से महत्वपूर्ण संशोधन समझता हूं वह है खातों की तकसीम के मुताल्लिक। अब तक ऐक्ट में यह था कि किसान अगर तकसीम कराना चाहे तो असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर को दरख्वास्त दे और अपने खाते को तकसीम करा ले। अगर तकसीम न कराना चाहे तो न दरख्वास्त दे। इसका नतीजा यह होता था कि बहुत कम लोग दरख्वास्त देते थे और बाद में जब चक बनने को आते थे तो उस किसान का हिस्सा अगर कई खातों में होता था तो उसके कई चक बनते थे। फिर शिकायत होती थी कि कई कई चक बन रहे हैं अगर्चे वह शिकायत करने का उसको ज्यादा हक नहीं था, क्योंकि उसको मौका दिया गया था कि वह अपने खाते की तकसीम करा ले। तो किसान यह समझता था कि क्या चकबन्दी हुई जब हमारी जमीन ही एक जगह इकट्ठी न हुई। अपनी गलती तो वह समझता नहीं। इसलिए हम ने अब यह कर दिया कि हमारे अफसरान को यह अधिकार होगा कि वे कम्पलसरीली पार्टीशन कर दें। अगर किसी किसान की जमीन कई खातों में

शामिल है तो अब वे उस की जमीन को तकसीम करके एक खाते में ले आयेंगे और फिर उन के जितने ब्लाक्स हैं उसके हिसाब से उसको एक या दो चक में मिलायेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, कल मैंने कुछ माननीय मित्रों को एक इन्फार्मल डिस्कशन में शरीक होने के लिए दावत दिया था। उसमें बहुत से मित्र आये, और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिये। उनमें एक सुझाव यह भी था कि खाते सब के तकसीम हो जाने चाहिए चाहे खुद किसान ने दरख्वास्त दी हो या न दी हो तो इस से चकबन्दी में सहूलियत हो जायेगी। यह बात मेरी नोटिस में पहले से भी आ चुकी थी और यह बिल में पहले से ही रखी हुई थी।

पांचवा खंड यह है कि चकबन्दी के अधिकारियों के सामने एतराज करने पर जो मुकदमें दूसरी अदालतों में चल रहे हैं, उनके स्टे के मुताल्लिक, अगर माननीय राजनारायण जी "स्टे" के लिए कोई हिन्दी का शब्द बता दें, क्योंकि मैं ने अभी सुबह उन के मुंह से कुछ सुना था और अगर वे "रिपोर्ट" के लिए "रपट" शब्द जैसा कोई शब्द बता दें, तो मैं उस को कहूं, वैसे उनके 'स्टे' के मुताल्लिक या उनके रोकने के मुताल्लिक यह है कि जिन मुकदमों में क्वेश्चन आफ टाइटिल जेरे तनकीह हो तो वह रुक जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आफ टाइटिल क्या होगा, कहते हैं, इसके सिलसिले में दो रायें हो सकती हैं। जमींदारी एबालिशन ऐण्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा ३३२ में तो क्वेश्चन आफ टाइटिल के माने उस क्वेश्चन या वाद से है जिसमें भूमिधरी का प्रश्न जेरे तजवीज हो या निजा जिस के सिलसिले में हो। लेकिन वह सेक्शन ३३३(ए) कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट के मातहत जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पर भी लागू होता है या नहीं, इसके मुताल्लिक डिफरेंस आफ ओपिनियन था। अब इसके सेक्शन १२ में अमेंडमेंट किया जा रहा है, कि भूमिधरी नहीं, सीरदारी या आसामी वगैरः के जितने सवाल हैं वह सब वहां बन्द हो जायेंगे, और इसकी एक परिभाषा ३६(ए) के नाम से इसमें एक धारा के रूप में बढ़ा दी जाय तो यह मतलब हल हो सकता है। इसमें एक धारा १८ है कि क्वेश्चन आफ टाइटिल का मतलब उन वादों से होगा, जिसमें केवल भूमिधरी का सवाल हो जैसा कि जमींदारी एबालिशन ऐण्ड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट में है। सेक्शन १२ में यह करने जा रहे हैं, चाहे भूमिधरी का सवाल हो चाहे दूसरा हो वह सब मुकदमे वहां रुक जायं।

अधिष्ठाता महोदय, एक छोटी सी लफ्जी तरमीम यह है कि जहां जहां पर लफ्ज "कामन" आया है उस की जगह लफ्ज "पब्लिक" कर दिया जाय। हाईकोर्ट ने जो नवम्बर में अपनी तजवीज दी है, उस में इस बात का जिक्र किया है कि मंशा तो लेजिस्लेचर का एक मालूम होता है, लेकिन एक ही मंशा को व्यक्त करने के लिए कहीं लफ्ज "कामन" इस्तेमाल किया गया है और कहीं लफ्ज "पब्लिक" इस्तेमाल किया गया है। यानी उस जमीन के मुताल्लिक जो कि सार्वजनिक कामों के लिए ली जायगी कहीं "कामन परपजेज" और कहीं "पब्लिक परपजेज" लिख दिये गये हैं। इससे उनके समझने में जरा कन्फ्यूजन होता है। अब क्योंकि हम इसके द्वारा मुआविजा दे ही रहे हैं, इसलिए जो जमीन ऐसे मुआविजे देने के बाद सार्वजनिक कामों के लिए हो तो वह "कामन" न रह कर "पब्लिक परप जेज" के लिए इस्तेमाल हो। इसी के लिए जहां जहां लफ्ज "कामन" आया है "पब्लिक" कर दिया है। "कामन" से जितने खातेदार थे, वही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन "पब्लिक" का मतलब यह होगा कि उस गांव के और उस गांव के बाहर के भी जितनी जनता है और सबकी गरज के लिए वह जमीन इस्तेमाल होगी। एक बहुत टेक्नीकल सी बात थी। भ्रम न रहे इसलिए उसको दूर करने के लिए जहां जहां लफ्ज "कामन" आया था उसको "पब्लिक" कर दिया है।

अधिष्ठाता महोदय, एक धारा २० के अन्दर यह लिखा हुआ है कि जब चकबन्दी का नक्शा तैयार हो जाय, चकबन्दी का जब प्रोपोजल हो तो उस पर जिस आदमी को जो एतराज करना हो, वह करे और पब्लिक का कोई भी आदमी जो उस से एफेक्टेड हो, जिस पर उस चकबन्दी का असर होता हो, मसलन रास्ता के उपयोग से है, वह एतराज कर सकता है। वह कह सकता है कि यह रास्ता इधर से चला करता था, अब यह इधर से चले या यहां पर चक बने। यह जो

[श्री चरण सिंह]

ईजमेंट का हक था तो उसकी बिना पर वह एतराज कर सकता था। इस के लिए कानून में यह दिया हुआ था, आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं कि :—

"20. (3) Any member of the public affected or any person having any interest or right, in addition to the right of public highway, in or over any public land or having any other interest or right which is substantially prejudiced by the proposals under clause (e) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 19 may within 15 days after the publication of the declaration under sub-section (1) file an objection before the Assistant consolidation Officer stating the nature of such interest or right and the manner in which it is prejudicial and the amount and the particulars of his claim to compensation therefor :"

तो इसमें तो यह लिखा हुआ है कि :

"and the manner in which it is prejudicial and the amount and the particulars of his claim to compensation therefor :"

तो यह जो कम्पेन्सेशन की बात है वह गैर जरूरी है। जब ऐक्ट बना था तो यह जरूरी था, लेकिन कांस्टीटचूशन में चूंकि संशोधन हो गया है लिहाजा इसकी जरूरत नहीं रही और इसलिए यह अल्फाज अब गैर जरूरी है और उन को निकाला जा रहा है। इसीलिए वह जो प्राविजो है वह भी निकाला जा रहा है उन्हीं वजूहात की बिना पर।

अधिष्ठाता महोदय, दफा २२ में यह है कि चकबन्दी के प्रोपोजल शाया होंगे। २० में और २२ में यह दिया हुआ है कि जो एतराजात होंगे, वह अगर टाइटिल से वास्ता रखते हैं तो आर्बिट्रेटर के पास जायेंगे, कन्सालिडेशन आफिसर उनको स्वयं नहीं तय करेगा और जो अदालतों में वाद चल रहे होंगे, वह स्टे हो जायेंगे। स्टे हो जायेंगे उस रोज से जिस रोज से रेफ्रेंस होगा आर्बिट्रेशन में। सालिस के पास भेजी जायंगी प्रोसीडिंग्स। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। सेक्शन १२ में भी सालिस को मामले भेजे जाते हैं, लेकिन वहां यह नहीं है कि जिस रोज रेफ्रेंस आर्बिट्रेशन को हो उस रोज अदालत में चलने वाले वाद बंद होंगे। यहां यह है कि जिस रोज रेफरेंस होगा, उसी रोज से वाद नहीं लिये जायेंगे। हम यह कर रहे हैं कि जिस रोज चकबन्दी के प्रोपोजल्स पब्लिश किये जायं, उसी रोज से वह बन्द हो जायेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, अब सेक्शन २३ में यह है कि जिस रोज यह एतराजात सुन लिये जायं, चाहे सेटिलमेंट आफिसर के सामने या असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन के सामने रेफ्रेंस हो, या आर्बिट्रेशन के सामने रेफ्रेंस हो तो उस के बाद प्रोपोजल्स कन्फर्म कर दिये जायेंगे, अन्त कर दिये जायेंगे, नाफिज कर दिये जायेंगे। लेकिन इसमें एक और कठिनाई है। मान लीजिए कि एक गांव में १०० किसान हैं। ९८ किसानों ने कोई एतराज नहीं किया और वह सैटिस्फाइड हैं या उन्होंने एतराजात किये थे और अपील भी की थी और सब तय हो गया और वह आगे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मियाद भी निकल जाती है लेकिन दो आदमी उन १०० में से परस्यू कर रहे हैं अपने लिटिगेशन को और उसमें लगाते हैं बरसों। तो आर्बिट्रेशन का यह है कि जो मामला जाता है वह सिविल जज की मार्फत जाता है। फिर सिविल जज का फैसला होता है। तब अफसरों के सामने मामला जाता है। यह प्रक्रिया बड़ी लम्बी हो जाती है। तो इन दो आदमियों के अदालत में केस चलने की वजह से सारे गांव की कार्यवाही वर्षों रुक जाती है। बाकी लोगों का जो चक रह जाता था उस पर कब्जा नहीं होता है। तो सारा मामला स्थगित न हो जाय उसके लिए संशोधन करना चाहते हैं। पहले भी हम ऐसा करते थे लेकिन अब उसको लीगल कवर देना चाहते हैं। इसके वास्ते यह चाहते हैं कि उन ९८ का तो फाइनल हो जाय और उन बाकी दो आदमियों का प्राविजनल रहे यानी उन लोगों का चक का एलाटमेंट

प्राविजनल रहे। जब उनका फाइनल हो जाय तो फिर उन दोनों का चक बदल दिया जाय। अब यहां पर अधिष्ठाता महोदय यह शंका हो सकती है कि इन दो आदमियों के चक की बदली की वजह से उन ९८ के चक की भी बदली होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें ऐसा किया जा रहा है कि अगर दो आदमियों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो उन दोनों आदमियों का चक प्राविजनल बनेगा और उसको एडज्वाईनिंग चक में रखा जायगा। तो चाहे इन दोनों का चक किसी के हक में तय हो जाय उन ९८ के चक डिस्टर्ब नहीं होंगे। अभी तक प्रत्यक्ष में भी हमारे आफिसर ऐसा करते रहे हैं। लेकिन उसके लिए ला में यह नहीं था कि वे इसकी सैंक्शन ले लें।

अधिष्ठाता महोदय, मैं बाकी और विषयों का जिकर कर चुका हूं। मुआविजे के विषय में कह चुका हूं और क्वेश्चन आफ टाइटिल के बारे में कह चुका हूं। खातेदारों के चकबन्दी की कितनी कास्ट होगी, इसका अधिकार अभी तक ए० सी० ओ० को था कि वह कास्ट तय करें। अब तक ए० सी० ओ० मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ नतीजों पर पहुंचते थे लेकिन अब ए० सी० ओ० के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को वह अधिकार दिया जा रहा है कि इसका अख्तयार उसको रहे। यह दो-चार बातें छोटी-मोटी मैंने कहीं और बड़ी-बड़ी बातों के मुताल्लिक मैं अर्ज कर चुका।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि माननीय सदस्य इस चकबन्दी के (संशोधन) विधेयक पर विचार करें।

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास इस सम्बन्ध में चार संशोधन आये हैं। आचार्य दीपंकर, श्री राजनारायण, श्री देवकीनन्दन विभव और श्री भगवती सिंह ने संशोधन भेजे हैं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मगर यह जो श्री भगवती सिंह का संशोधन है इसमें यह तीनों संशोधन आ जाते हैं और इसका दायरा भी बड़ा है। इसलिए मैं उनको अनुमति देता हूं कि वह अपना संशोधन हाउस के सामने पेश करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्रीमन्, एक संशोधन की सूचना मैंने भी दी है और वह भी इसी प्रकार का है और वह इसमें आ जाता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने सूचनार्थ आपसे निवेदन किया।

श्री अधिष्ठाता—उस संशोधन की ओर मेरा ध्यान अभी दिलाया गया है। मैं इसको देख लूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, कुछ दिनों से सदन की यह परम्परा रही है कि चेयर की तरफ से यह कह दिया जाता है कि ३, ४, संशोधन एक ही प्रकार के आये हैं और उनमें जो एक व्यापक है इसकी इजाजत दी जाती है। किन्तु मैं यह समझता हूं कि नियम में चेयर को यह अधिकार नहीं है। पहले से यह परम्परा भी थी कि सामूहिक सहमति से ऐसा हुआ करता है कि कोई भी संशोधन पेश करना चाहता हो तो वह अपना संशोधन पेश करें। अब ऐसा मालूम होता है कि चेयर ने लिबरली यह अपना अधिकार ले लिया है कि वह सारे संशोधनों में से किसी एक को चुन कर पेश करने की इजाजत दे दे। उचित यही जान पड़ता है कि सब से पहले पूछ लिया जाय कि किसी को आपत्ति तो नहीं है। यदि किसी को आपत्ति हो, जितने संशोधन हों, उनको एक साथ लेने में, तो पेश कर दिया जाय और फिर भाषण हों।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि रामनारायण जी को कुछ भ्रम है। चेयर को अधिकार है कि संशोधनों में से किसी एक को ले लें जो व्यापक हो। इसलिए मैंने यह अनुमति दी कि भगवती सिंह जी का संशोधन ले लिया जाय और बाकी संशोधन देने वाले सदस्यों को बोलने का अधिकार हो। उन को बोलने का अवसर अवश्य दिया जायगा। यदि भगवती सिंह जी का संशोधन मूव होने के बाद हर व्यक्ति अपना-अपना संशोधन मूव करने लगे तो व्यर्थ में ज्यादा समय बरबाद होगा। इसलिए मैंने व्यवस्था दी कि भगवती सिंह जी का संशोधन पेश किया जाय और बाकी फ़ीवुलस हो जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ वैधानिक कठिनाई मालूम पड़ती है। उस पर विचार करने की कृपा करें। भगवती सिंह जी का संशोधन अधिक व्यापक है और यदि सदन को वह स्वीकार न हो तो मुमकिन है कि सदन को जो उससे कम व्यापक हो वह स्वीकार हो। मगर वह पेश नहीं हो सकेगा। तो आप ऐसा कर दें कि अगर अधिक व्यापक स्वीकार न हो तो कम व्यापक ले लिया जायगा और मूल माना जायगा।

श्री अधिष्ठाता--माननीय पालीवाल जी को याद होगा कि जिस समय सेल्स टैक्स विधेयक के बारे में उनका इसी प्रकार का संशोधन था तब उस संशोधन में एक संशोधन पेश हुआ था। इसी प्रकार इस संशोधन में कोई माननीय सदस्य यदि अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं, तो जो दिक्कत उनको महसूस होती है वह दूर हो जायेगी। इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था दी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मेरा निवेदन यह है कि अधिकार बढ़ाने की बात यदि सदन को मान्य न हो, तो ऐसा माना जाय कि दूसरे पेश हो सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता--मैंने तो पहले ही कहा कि वह संशोधन पेश करेंगे और वही हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अनुसार चेयर को यह अधिकार है। चेयर की ओर से जो कहा गया कि दूसरे संशोधन बेकार हैं और चेयर उन्हें अस्वीकार कर सकती है, तो मेरा निश्चित मत है कि ये संशोधन बेकार नहीं हैं। जैसा पालीवाल जी का विचार है, हर आदमी का एक निश्चित मत है चाहे उसका संशोधन छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए वे बेकार शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम का आप हवाला दे दें जिस के अनुसार रूलिंग दी है।

श्री अधिष्ठाता--रामनारायण जी को कुछ भ्रम है। मैंने कहा था कि जब भगवती सिंह जी अपना प्रस्ताव पेश कर देते हैं तो उसके बाद बाकी को पेश करना बिलकुल फ़िवुलस मालूम होता है। मैंने यह नहीं कहा था कि ये संशोधन फ़िवुलस हैं। उस संशोधन के पेश होने के बाद इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं मालूम होती है। कन्वेंशन और प्रैक्टिस की बहुत-सी बातें हैं और चेयर को हमेशा अधिकार है कि एक व्यापक संशोधन को, जिससे और भी संशोधन कवर हो जाते हैं, ले ले और बाकी संशोधन वाले माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दे दे। उनको मूव करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में रामनारायण जी आपको नियमावली दिखा रहे हैं और उनकी नियमावली आने के बाद फिर आप की जो व्यवस्था होगी, उस पर हम अपनी गतिविधि का निश्चय करेंगे। मगर मैं आप को सूचना देना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं क्योंकि एक संशोधन हमारे नाम का भी है। यह संशोधन करीब १८ या १९ तारीख का है। जरा हमारे संशोधन और श्री भगवती सिंह जी के संशोधन को पढ़ लिया जाय और देखा जाय कि कौन अधिक व्यापक है और कौन पहले आना चाहिए। सदन के सम्मानित सदस्य और आप इसको समझ लें। मेरा संशोधन इस प्रकार है--

> "उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को, उद्देश्य और कारण की परिधि बढ़ाने का अधिकार देते हुए, प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।"

मेरा जो संशोधन है, वह प्रवर समिति को सौंपने की बात करता है, परिधि को बढ़ाने की बात करता है, एक हफ्ते के अन्दर रपट देने की बात करता है और सदस्यों के नाम को बाद में प्रस्तुत करने की बात करता है। यही चार अंग हैं जिनको भगवती सिंह जी का संशोधन बताता है। कोई भी संशोधन दो शब्दों को अधिक बढ़ा देने से व्यापक नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—आप का जो संशोधन है वह इस तरह है " . . उद्देश्य और कारण को परिधि बढ़ाने का अधिकार देते हुए . . ." यह संशोधन नहीं लाया जा सकता। उद्देश्य और कारण की परिधि बढ़ाने का अधिकार सदन को नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। माननीय भगवती सिंह जी का संशोधन इस प्रकार है—

" . . . प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जाय कि वह आवश्यकतानुसार परिधि को भी बढ़ा सके . . ."

अगर परिधि बढ़ गयी तो स्कोप बढ़ जाता है रीजन्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स का। हमेशा इस सदन में परिधि बढ़ने के मानी यह होते हैं कि उस बिल में अगर एक दो धारा रह गयी है तो उसको बढ़ाया जाय। अतः यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न आज उपस्थित हो गया है। क्योंकि कोई भी प्रवर समिति सिद्धान्त रूप से उद्देश्य और कारणों के स्कोप के बाहर संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन जब उद्देश्य और कारणों के क्षेत्र को व्यापक करना होता है तो वैसा प्रस्ताव में मेन्शन किया जाता है। सैद्धान्तिक तौर पर यह परम्परा नहीं है कि उद्देश्य और कारणों के स्कोप को बढ़ाया जाय लेकिन पार्लियामेंट में एक विषय पर स्पीकर महोदय ने यह व्यवस्था दी थी, मुझे याद है और आप के सेक्रेटेरियट को भी याद होगा कि माननीय पुलिस मंत्री महोदय एक संशोधन जाब्ता फौजदारी में लाये थे, उसमें हमने कई प्वाइन्ट देते हुए लिखा था कि इन इन बातों का समावेश होना चाहिए। उस समय बहुत विचार-विनिमय के बाद अध्यक्ष महोदय ने उनके ऊपर मुझे बुलाने की कृपा की थी।

श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप जब यह फैसला कर चुके हैं कि एक अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर है, लेकिन अगर उसके सिलसिले में कोई बहस जारी रहती है, तो उससे सदन का वक्त जाया होगा और कोई जरूरी काम न हो सकेगा। इसलिए आप एक मर्तबा फिर यह फैसला दे दीजिये कि कौन-सा अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर है जिस पर सदन को विचार नहीं करना है और कौन-सा अमेंडमेंट ऐसा है जिस पर हाउस को गौर करना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे प्वाइन्ट आफ आर्डर पर कुछ कहने का मौका दिया जाय। मैं आप से रूलिंग रिवाइज करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं रूलिंग दे चुका हूं। उसको मैं रिवाइज नहीं करना चाहता। कृपा करके आप बैठ जायं। उस विषय में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—शुरू-शुरू में जो आपने रूलिंग दी थी, उस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—इस मामले में आप कमरे में आकर डिसकस कर लें।

श्री राजनारायण—आप ने जो व्यवस्था दी है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अब श्रीमन्, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है और जो सदस्य के रूप में यहां कार्य करते हैं उनके अधिकार को सीमित करने का प्रश्न है। हम बाध्य होंगे ऐसी परिस्थिति में इस सदन को त्याग करने के लिए, जब हमारे अधिकारों को सीमित किया जायगा। इस सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा जो प्रतिष्ठित परम्परा थी, उसका उल्लंघन किया गया है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अधिष्ठाता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो अध्यक्ष के पद पर आसीन हो उनके सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए मैं बराबर प्रयत्नशील रहता हूं। मगर सदस्यों के सम्मान और सदस्यों के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि दस संशोधन इस सदन की कार्यवाही से लिखित दिखला सकता हूं कि उद्देश्य

[श्री राजनारायण]

और कारण की परिधि को बढ़ाने के संशोधन दिये गये हैं। जहां तक उद्देश्य और कारण को बढ़ाने की बात है प्रवर समिति बिल के उद्देश्य और कारण के बाहर नहीं जा सकती है। उद्देश्य और कारण के अन्दर रहते हुए ही प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसीलिए अगर उसके बाहर जाने की बात होती है तो निश्चित रूप से लिखा है कि स्कोप को बढ़ाया जाय। यह चीज उसके अन्दर सन्निहित है कि उद्देश्य और कारण की परिधि को बढ़ाया जाय ताकि उसके अन्दर जितने विषय का भी समावेश हो सके, किया जाय। इसकी जो परम्परा रही है उसके अनुसार हम काम करते रहे हैं। इसलिए पुराने अध्यक्ष की दी हुई व्यवस्था की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के लिए और इस सदन के सदस्यों की स्वस्थ परम्परा को कार्यान्वित करने के लिए निहायत अदब के साथ आप की इस व्यवस्था का मुझे विरोध करना पड़ेगा। अगर आप इस व्यवस्था पर कि सदन के सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रहें, पुनः विचार कर अपनी व्यवस्था दें, तो उचित होगा। अन्यथा इस सम्मानित सदन के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और अपने सम्मान व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपके इस आदेश से मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं और निहायत अदब के साथ आपके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते हुए इस सदन का त्याग करने के लिए बाध्य होऊंगा। अगर आपने अपनी व्यवस्था के अनुसार उद्देश्य और कारण की परिधि को बढ़ाने का संशोधन नहीं आने दिया तो मेरी समझ में हमें इस सदन का परित्याग करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—श्री राजनारायण जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया कि मैंने अपना निश्चित मत प्रकट कर दिया है कि इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मैं श्री राजनारायण जी को दावत देता हूं कि अगर वे इसको हम से डिसकस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कुछ भ्रम सा हो गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी ने जब श्री भगवती सिंह के संशोधन पर संशोधन की बात रखी तब मैंने कहा कि प्रत्येक सदस्य हर समय चाहे तो वह अपना संशोधन पेश कर सकता है। उस समय आपने रूलिंग दे दी और कहा कि कई संशोधन बेकार से मालूम होते हैं।

श्री अधिष्ठाता—मूव करने के बाद का यह प्रश्न नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने बतलाया कि हर सदस्य को अधिकार है कि वह अपना संशोधन जब चाहे तब पेश करे, इस पर आपने कहा कि बहुत से संशोधन बेकार हैं। कोई माननीय सदस्य सजग होकर अपना संशोधन पेश करे, तो भगवती सिंह जी के संशोधन के बाद उसे पेश करने का अधिकार है या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपका ध्यान प्रकिया नियमावली के नियम २२३ की ओर दिलाना चाहता हूं :—

"२२३—अवशिष्ट शक्तियां—ऐसे समस्त प्रश्नों का, जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तर कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें।"

इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि किन हालात में चेयर नियम २२३ का प्रयोग कर सकती है और मैं जानना चाहता हूं आप से कि इस बारे में आपका अंतिम निश्चय क्या है कि कोई संशोधन करने वाला अगर श्री भगवती सिंह जी के संशोधन के बाद भी आग्रह करता है पेश करने के लिये, तो आप उसकी इजाजत देंगे या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया था उसी को अब फिर दोहराये देता हूं कि भगवती सिंह जी के संशोधन के मूव हो जाने के बाद बाकी माननीय सदस्यों के जो संशोधन हैं वह अनावश्यक मालूम होते हैं, इस बात को स्वीकार करते हुये कि कोई भी सदस्य जो संशोधन ले आता है उसको संशोधन पेश करने का अधिकार है, उससे हम इनकार नहीं

करते। लेकिन उसके साथ ही अध्यक्ष को भी यह अधिकार है कि जब वह देखे कि एक ही प्रकार के कई संशोधन आते हैं तो वह किसी भी एक व्यापक संशोधन को पेश करने की इजाजत दे सकता है और अध्यक्ष को अधिकार है कि दूसरे माननीय सदस्यों को पेश करने की अनुमति दे या न दे।

श्री राजनारायण--हम यह देख रहे हैं कि आप हमें अपने भाव व्यक्त करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--हमारी व्यवस्था गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है।

श्री राजनारायण--मैं आप की व्यवस्था से असहमत हूं और उसके विरोध के लिये हम दस मिनट के वास्ते सदन का परित्याग करते हैं।

(श्री राजनारायण अपने दल सहित सदन के बाहर चले गये।)

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि "उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७" विचारार्थ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जाय कि वह आवश्यकतानुसार परिधि को भी बढ़ा सके। (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे।)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने हाईकोर्ट के एक फैसले का उद्धरण देते हुये और कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों को बताते हुये यह विधेयक, संशोधन विधेयक के रूप में सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो उद्देश्य और कारण बताये हैं उनमें उन्होंने जहां पर हाईकोर्ट की रूलिंग का जिक्र किया है वहां पर उन्होंने यह भी बताया है कि अब तक इस संबंध में की गयी कार्यवाहियों को बैध करने के निमित्त प्रतिकर के भुगतान की व्यवस्था को पूर्वलक्षी रूप से कार्यान्वित किया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, प्रशासन में जो तकलीफें होती हैं वह माननीय, माल मंत्री के पास आना स्वाभाविक है और उसके निवारणार्थ इस तरह का संशोधन आना भी अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ-साथ जहां पर उसमें प्रशासन का ध्यान रखा जाता है वहां पर यह भी आवश्यक है कि उस पहलू पर भी विचार किया जाय जिसका संबंध किसी अधिनियम के अन्तर्गत, उन लोगों से होता है जिनके ऊपर उस अधिनियम का प्रभाव पड़ता है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह प्रशासन में बहुत सी कठिनाइयां और तकलीफें उत्पन्न हो सकती हैं उसी तरह से उसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ सकता है, उनको भी बहुत-सी कठिनाइयां और तकलीफें हो सकती हैं। आप जानते हैं कि आज जहां-जहां पर भी यह चकबन्दी कानून लागू है वहां-वहां पर किसानों के ऊपर ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी कठिनाई आ गई है। उन क्षेत्रों के किसानों के मन में एक भय, एक संशय-सा हो गया है जिसको हमें दूर करना है, वह समझ रहे हैं कि यह कानून हमारे लाभ के लिये नहीं है। हमारे नुकसान के लिये हम पर लागू किया जा रहा है, जहां-जहां पर यह अधिनियम लागू किया गया है उन २६ जिलों के किसानों में इस तरह की परेशानी पैदा हो गयी है कि वह महसूस करते हैं कि आज यह सरकार उनके फायदे के लिये कानून नहीं बना रही है बल्कि उनको परेशान करने के लिये, उनकी तकलीफों को बढ़ाने के लिये ही इस कानून को लागू किया है।

दूसरे वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसानों के मनों में यह बात व्याप्त हो गयी है कि वही आदमी अच्छा चक पा सकता है, वही आदमी अच्छा खेत अपने पास रख सकता है, जिसके पास पैसा हो। जो उस पैसे को भ्रष्टाचार के साधन में लगा कर अधिकारियों को किसी तरह से खुश करके अपने पास अपने चकों को रखने में कामयाबी हासिल कर सकता है।

[श्री भगवती सिंह विशारद]

आज जो किसान इससे परेशान हैं यदि उनका सही दृश्य देखना चाहते हैं तो जिन जगहों पर चकबन्दी हो रही है वहां पर जाइये और देखिये। आज किसानों के मन में भय छाया हुआ है। वह समझते हैं कि हमारे बाप-दादों की जमीन, हमारे वंशजों, हमारे पूर्वजों की जमीन अब हमारे हाथ से धीरे-धीरे छिनी जा रही है। कहीं कहीं पर तो यह हो रहा है, कि जगह जगह पर अलग अलग किस्म की जमीन होती है, कहीं अच्छी जमीन है, कहीं पर बन्जर है, कहीं ऊंची जमीन है, तो कहीं नीची। इस तरह से कई प्रकार की जमीन है। उसकी वजह से किसानों को कहीं पर अच्छी जमीन मिलती है और कहीं पर खराब। इसके कारण किसान यह समझता है कि जो लोग पैसे वाले हैं वह अपने पैसे के जरिये अच्छे-अच्छे खेत बनवा सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है उनको खराब जमीनें मिलेंगी और फिर से उनको सम्हालना पड़ेगा। इस तरह से आप यह देखें कि सब जगह उस भ्रष्टाचार के जरिये, उन अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण चकबन्दी कानून व्यर्थ होता जा रहा है।

श्री चरणसिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मित्र किस जिले का तजुरबा बयान कर रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद---श्रीमान् जी, उन्नाव जिले का तजुरबा बयान कर रहा हूं, जहां पर लखनऊ और कानपुर के बीच में दोनों शहरों की हवा लगती रहती है।

मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा था। लेकिन इन पहलुओं पर विचार करने के पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहां पर भूमि सुधार व्यवस्था किस तरह से शुरू हुई। जब यहां पर जमींदारी उन्मूलन शुरू हुआ था उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने आवाज उठायी थी कि जमींदारी उन्मूलन करने के साथ-साथ हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमें इसी समय जमीन का फिर से बटवारा करना चाहिये और साथ ही इस बात की आवश्यकता है कि हम इसी समय चकबन्दी करें। लेकिन सरकार ने एक कानून तो उस समय पास किया। जमींदारी उन्मूलन तो किया लेकिन जो उसके पूरक कानून थे जमीन का वितरण और उसके साथ-साथ चकबन्दी उसको नहीं किया। उस जमींदारी उन्मूलन के बाद यह चकबन्दी का कानून फिर से लिया। लेकिन उसका पूरक है भूमि वितरण, उसको सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया। बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो कुछ प्रश्नों को हल करते हैं लेकिन कुछ प्रश्नों को उलझा दिया करते हैं। यह चकबन्दी कानून इसी तरह का है। इसमें जहां एक तरफ छोटे-छोटे खेत एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं वहीं पर जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो खेती के बिना अपना जीवनयापन करते हैं उनके प्रश्न को यह चकबन्दी कानून उलझा रहा है। उनके मन में परेशानी पैदा हो रही है कि आज चकबन्दी हो रही है लेकिन न हमारे पास जमीन है और न खेत है, न कोई साधन है। तो यह चकबन्दी कानून और जमीन के वितरण करने का कानून दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर चकबन्दी कानून लागू करना है तो उसके साथ-साथ भूमि के पुनर्वितरण .....।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का इस बिल से या जिस ऐक्ट में जिससे यह संशोधन करने की बात है कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि जमीन से वास्ता है, लिहाजा जमीन के मुताल्लिक जितनी बातें माननीय मित्र के दिमाग में हों, वह सब कहना चाहते हों, तो वह दूसरी बात है, लेकिन इस बिल से इसका कोई वास्ता नहीं। यह कंसालिडेशन का विषय है। जिसके पास जितनी जमीन है वह कंसालिडेट कर ली है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय भगवती सिंह अपना भाषण जारी रखें, लेकिन वह विषय से दूर न जायं। जो विषय है उसी तक सीमित रहें।

श्री भगवती सिंह विशारद---अधिष्ठाता महोदय, मैंने विषय से तो इधर-उधर जाने की चेष्टा नहीं की। केवल यही कहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक कानून से हल होते हैं और उसी कानून से कुछ प्रश्न उलझ जाया करते हैं। तो आवश्यकता

इस बात की है कि हम जब उस कानून पर विचार कर रहे हों और उस समय यदि उसका कोई पूरक प्रश्न आ जाय तो उस पर भी विचार होना चाहिए। यह कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है।

मैं कह रहा था कि जिस तरह से चकबन्दी कानून हमारे प्रदेश के २६ जिलों में लागू है और उससे जो तकलीफें और परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उनसे माल मंत्री जी परिचित होंगे और सदन के सब सदस्य भी और सभी लोग धीरे-धीरे इस बात पर आने लगे हैं कि कोई कानून सिद्धान्त रूप से कितना ही अच्छा हो लेकिन अगर उस क्षेत्र की जनता को किसी तरह की परेशानी है, अगर वह नहीं चाहती कि इस तरह का कानून उनके ऊपर लागू किया जाय तो उसको स्थगित कर देना चाहिये। अगर ३/४ जनता इस चकबन्दी कानून को नहीं चाहती तो इसको स्थगित कर देना चाहिये।

आप जानते हैं कि जो स्वाती बिन्दु आसमान से गिरता है, निर्मल होता है लेकिन जब जमीन पर आता है मैला हो जाता है। आज यह चकबन्दी कानून सिद्धान्त रूप से बड़ा अच्छा है और सब को प्रभावित कर रहा है सिद्धान्त रूप से। लेकिन जिस तरह से यह कार्य रूप में परिणत हुआ है, गंदाजल हो गया है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है, प्रशासन में भी कठिनाई हो रही है, और हम सब लोग उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मैंने यह संशोधन इसीलिये रखा था कि हम इस प्रश्न को प्रवर समिति में भेजें और वहां पर इसकी परिधि को बढ़ाते हुए इस पर विचार करें। इससे पहले का जो आज कल का अधिनियम चालू है उसमें क्या खराबियां हैं। कुछ खराबियां प्रशासन की तरफ से उठायी जा सकती हैं तो कुछ खराबियां ऐसी हो सकती हैं जो जनता की तरफ से उठाई गई हों। तो जनता की तरफ से भी उठायी हुई खराबियों पर हमें विचार करना चाहिये, जब हम शासन की तरफ से उठायी हुई खराबियों पर विचार कर रहे हैं तो जनता की ओर से भी उठाई गई खराबियों पर विचार होना चाहिये। जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें सिर्फ दो-तीन बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मुआवजा देने की बात कही गई है। माननीय माल मंत्री ने यह बताया कि जहां हम जमींन ले रहे हैं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये, तो अभी तक हम किसी तरह का मुआवजा नहीं देते थे। लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा हम जिन लोगों की जमीन लेंगे उनको मुआवजा भी देंगे। लेकिन दर क्या रखी है, यही जरा विचारणीय विषय है। जिस समय सरकार जमींदारी खत्म कर रही थी तो जो किसान अपने खेतों पर खेती कर रहे थे उनको जब भूमिधर बनाती है तो १० गुना लगान सरकार वसूल करती है। लेकिन जब उनकी जमीन को लेती है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तो दर क्या अंकित करते हैं:

"(क) भूमिधर द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में, तदर्थ लागू मौरूसी दरों के हिसाब से अवधारित मूल्य का चार गुना, तथा

(ख) सीरदार द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में ऐसे मूल्य का दो गुना।"

तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस समय आप किसी भूमि पर उसको कब्जा देते हैं तब आप १० गुना लेते हैं और जब उससे आप किसी तरह की जमीन लेते हैं तो ४ गुना ही देने की बात कर्व हैं, ऐसा क्यों है?

इसके साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि उन लोगों को मुआवजा किस तरह से मिलेगा।

"१६ (१) राज्य सरकार चकबन्दी के व्यय की धनराशि निश्चित करेगी तथा इस प्रकार निश्चित धनराशि नियत रीति से प्रभावित व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दी जायगी।"

[श्री भगवती सिंह विशारद]

आवश्यकता इस बात की थी कि जब यह संशोधन किया गया था तो यह भी बता दिया जाता कि जिन लोगों की जमीनें ली जायेंगी उनको किस तरह से मुआवजा मिल जाया करेगा।

अधिष्ठाता महोदय, तो मैं यह संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए यह आवश्यक समझता हूं कि माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूं कि जिस समय आप सब महाशय इस पर विचार करें तो केवल इतने ही पर इसी संशोधन पर ही विचार न करें। इसके पहले का जो अधिनियम है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि आज किसान इस चकबन्दी से परेशान है। वह यह नहीं चाहता है कि उसके यहां चकबन्दी लागू की जाय। हम उस मरीज को जबरदस्ती दवा देना चाहते हैं लेकिन वह मरीज चाहे बीमार हो, चाहे तन्दुरुस्त हो हमारी दवा पीने को तैयार नहीं है और जो मरीज दवा पीने को तैयार नहीं है तो क्यों हम उसको जबरदस्ती दवा पिलायें? इसलिये मैं सदन से यही अनुरोध करूंगा कि मेरा जो यह संशोधन के रूप में प्रस्ताव आया है उसको वह स्वीकार कर लें और इसको प्रवर समिति में भेजते हुए इसकी परिधि को भी बढ़ाने का अधिकार उसको दे दें और इसके पहिले का जो अधिनियम लागू है उस पर भी विचार करें।

*आचार्य दीपंकर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे अपना संशोधन रखते समय मेरा विचार यही था कि जो संशोधन माननीय माल मंत्री जी की तरफ से रखे गये हैं उन्हीं के बारे में मैं अपनी राय और अपने कुछ संशोधन सदन के सामने रखूं। लेकिन यह बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा जो संशोधन था उसको अस्वीकार करके आप···

श्री अधिष्ठाता—मैंने अस्वीकार नहीं किया है।

आचार्य दीपंकर—ठीक है। आप अस्वीकार भी कर देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

जो संशोधन आपने स्वीकार किया है बहस के लिए उसमें मुझे और भी बहुत सी बातें कहने का अवसर मिला जिनको कि मैं अपने प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक समझता हूं। जो संशोधन हमारे सामने रखे गये हैं वह सिर्फ इसलिये रखे गये हैं कि हाई कोर्ट ने जो मुआवजा वाला सवाल था उसके ऊपर उस कानून को हमारे विधान की जो मूलभूत मर्यादायें हैं उनके विरुद्ध समझा और इसीलिए जो रिट कैराना के किसानों ने, जिनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं हमारे माननीय माल मंत्री जी, दायर किया था, उनके उस रिट के ऊपर जो उन्होंने अपना एक सुझाव दिया था और फैसला दिया था उसी के अनुसार किस तरह से कुछ संशोधन करके उस कानून को ज्यों का त्यों रखा जाय इसके लिये उनको संशोधनों की जरूरत महसूस हुई। मुझे बहुत अफसोस है, माननीय अधिष्ठाता जी, इस बात का कि पिछले कई साल के अनुभवों से, पिछले कई साल के इस प्रयोग में हमारे सूबे के किसानों को क्या क्या कठिनाइयां हुईं, क्या क्या उनकी दुर्गति हुई, क्या क्या उनके सामने परेशानियां हुईं, उनको देखते हुए उन नये अनुभवों को भी अपने सामने रखते हुए इस कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं, यह महसूस नहीं हुआ हमारे मालमंत्री जी को। लेकिन चूंकि एक हाई कोर्ट की एक रूलिंग आ गई इसलिए संशोधन की जरूरत महसूस हुई। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बार बार बात कही जाती है कि कैराना के किसानों ने एक रिट भी कर दिया और बहुत सी पोलिटिकल पार्टियों ने जा करके वहां पर बहुत सी अशान्ति मचायी, यह जो तमाम बातें हैं यह इसलिए हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि और जगहों का जो किसान है वह जो चकबन्दी का कानून है उसको शायद समझ नहीं पाया और उसकी जो ना जानकारी है उसकी पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किस तरह से चक बनाये गए हैं, यह मैं बतला सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं उन तहसीलों के बारे में जहां लोग आज तक हाई कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं उन तहसीलों के चक दिखा करके यहां पर सदन के सामने बतला सकता हूं कि किस तरह से चक वहां पर बनाये गए हैं। इसलिये असल में यह जो कानून है उसमें जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि दरअसल जो चकबन्दी कानून के सम्बन्ध में और पूरी चकबन्दी के सम्बन्ध में पिछले कई साल का जो हमारा अनुभव है उसको सामने रखते हुए हमें नये सिरे से विचार करना पड़ेगा। अगर हम नये सिरे से विचार नहीं करते, उन दिक्कतों को हम सामने नहीं लाते तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से गुरेज करेंगे। आखिरकार कैराना तहसील में १५० किसानों के ऊपर गिरफ्तारी के वारंट घूम रहे हैं और करीब ७,५०,००० रुपये जो जमानत के रूप में किसानों ने मंजूर कर लिये थे उनकी जब्ती का खतरा उनके सामने है और ८५ हजार बीघा जमीन पिछले डेढ़ साल से बगैर जोती बगैर बोई एक तहसील के अन्दर पड़ी हुई है—तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे सामने हैं और इसी तरह की चीजें और भी जगह होंगी और जरूर हैं मैं समझता हूं।

अगर इस पूरे कानून को देख कर इसकी कुछ चीजों को लिया जाय। मिसाल के तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिये या आम जनता के हित के लिये जो जमीनों के लिये जाने का सवाल था वह सवाल आज भी हमारे सामने है। हमारे हरिजन भाई और खास तौर पर दलित लोग जिनको एक बिस्वा जमीन भी अपनी झोपड़ी डालने के लिये नसीब नहीं हो सकती थी और चकबन्दी बन जाने के बाद तो उन जमीनों का मिलना भी मुश्किल हो गया। मैं कई तहसीलों की मिसाल सदन के सामने रख सकता हूं जहां पर सार्वजनिक हित के लिये या दलित वर्ग के लिये एक बिस्वा जमीन भी नहीं ली गई। कैराना में नहीं ली गई और इसी तरह और तहसीलों में भी नहीं ली गई। हां, जिस लगन से और जिस मेनहत से वहां के कर्मचारियों ने चकबन्दी के सिलसिले में कार्य किया है उसकी प्रशंसा किये बगैर मैं नहीं रह सकता, लेकिन जहां तक सार्वजनिक उपयोग के लिये जमीन लेने का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि बहुत सी जगहों पर एक बिस्वा भी जमीन नहीं ली गई। कानून में लिखने से क्या फायदा है अगर जमीनें नहीं ली जाती हैं।

इसी तरह से, अधिष्ठाता महोदय, इस कानून के मातहत जो चकबन्दी कमेटियां बनाई गईं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। करीब ७, ८ वर्ष पहले जो पंचायतों के चुनाव हुए थे उस समय जो कमेटियां बनाई गई थीं वही कमेटियां बाद में बदल दी गई हैं चकबन्दी कमेटियों के रूप में। पहली मर्तबा जो लोग उन कमेटियों में चुने गये थे उनकी न योग्यता देखी गई थी, न दिलचस्पी देखी गई थी और न यह देखा गया था कि आइन्दा चल कर इन कमेटियों को चकबन्दी का काम करना पड़ेगा। किसी और काम के लिये वे चुनी गईं और लिया जाने लगा उनसे चकबन्दी का काम। अगर सदन ने यह कानून बनाया था तो यह जरूरी था कि इसके लिये नये सिरे से चकबन्दी कमेटियां बनाई जातीं। लेकिन वैसा नहीं किया गया।

इसी तरह से कदम-कदम पर इस कानून के अन्दर जो अधिकार चकबन्दी अधिकारियों को दिये गये हैं वे इतने ज्यादा असीमित अधिकार हैं उन अधिकारों के बलबूते पर साधारण किसान तो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। वह हेरफेर कर उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाता है जो लोग इस चकबन्दी के भाग्य-विधाता हैं। मैं इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि इस सदन की यह इच्छा थी जब यह कानून बना होगा कि हमारे ये जो बिखरे हुए खेत हैं उनको एक जगह किया जाय ताकि आबपाशी के साधन अच्छे हो सकें और पैदावार बढ़ सके। लेकिन क्या सचमुच यह समस्या चकबन्दी के द्वारा हल हो सकती है? हमारा जो मूलभूत सिद्धान्त है, उद्देश्य है चकबन्दी करने का मैं समझता हूं कि उसमें भी न कामयाबी मिल सकी और न मिलने

[आचार्य दीपंकर]

का कोई ढंग मुझे दिखाई पड़ता है। आखिर इस कानून में क्या--जब चार भाई अलग होंगे तो उनमें आपस में जमींनों का बटवारा नहीं होगा-- इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपने जमीनों को तीन हिस्सों में विभाजित किया है, ए, बी एण्ड सी।

श्री चरण सिंह--हमारे माननीय मित्र यह फरमा रहे हैं कि चकबन्दी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे को भी फ्रेगमेंटेशन होता रहेगा। तो वे चकबन्दी के कानून की बुनियाद पर ही अटैक कर रहे हैं जब कि मैं यह समझता हूं कि यह कहना आउट आफ आर्डर होगा। चकबन्दी के कानून का उसूल इस हाउस को स्वीकार है। संशोधन के सिलसिले में ही वे कुछ फरमा सकते हैं न कि वे इसकी बुनियाद पर अटैक कर सकते हैं।

आचार्य दीपंकर--जैसा कि मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा था जो संशोधन इस सदन के सामने बहस के लिए प्रस्तुत है उसमें चकबन्दी के सम्बन्ध में कुछ और चीजें भी आती हैं। यदि वे कोई अधिकार की सीमा से बाहर हैं तो मैंने सदन का जो आधा मिनट का समय इसके लिए बरबाद किया है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं समझता हूं कि माननीय चरणसिंह के प्वाइंट आफ आर्डर को आपने माना नहीं, इसलिए माननीय दीपंकर जी ने यह समझ कर कि आपने उस प्वाइंट आफ आर्डर को मान लिया, उन्होंने यह कहा कि मैंने इतना समय सदन का नष्ट किया, यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। मैं अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं तो आप उसकी व्यवस्था को मानें या न मानें, इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। क्योंकि ऐसा प्रश्न फिर भी उठ सकता है, जैसा कि इसमें इसकी परिधि को बढ़ाने का संशोधन है, और उसमें उसके एम्स ऐंड आब्जेक्टस को पूरे तौर से क्रिटिसाइज किया जा सकता है और परिधि को बढ़ाने की बात को जा सकती है और यह भी कहा जा सकता है कि यह अहितकर है या हितकर। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--माननीय चरण सिंह जी ने एक सिद्धान्त की बात कही थी कि जब अब आप चकबन्दी के प्रिंसिपल को मानेंगे तभी यह संशोधन आ सकता है कि यह सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। उनकी जो बात थी उससे मैं सहमत था और मुझे कोई व्यवस्था देने की जरूरत नहीं थी, इस वास्ते माननीय सदस्य को हमने भाषण जारी करने के लिए कहा।

आचार्य दीपंकर--मैं यह प्रार्थना करना चाहता था इस सम्बन्ध में कि आज चकबन्दी का जो पिछला अनुभव है उसे भी देखते हुए अगर हमें चकबन्दी के कानूनों में, चकबन्दी की किसी विशेष धारा में संशोधन की आवश्यकता अनुभव होती है तो माननीय अधिष्ठाता, हमारे लिए यह भी जरूरी है कि उसके जो उद्देश्य हैं और जिन आदर्शों को लेकर चकबन्दी की जाने वाली थी, जिसके लिए हमारे इस गरीब प्रदेश के असाधारण साधन खर्च किये जा रहे हैं, जहां हमारे कर्मचारियों की पहले ही कमी है, बहुत बड़ी तादाद कर्मचारियों की इस काम के लिए लगा दी गयी है, उन उद्देश्यों के साथ मैं समझता हूं कि आज जरूरी है कि अगर नये सिरे से हम इन संशोधनों पर विचार करने जा रहे हैं और इनको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि उसके उद्देश्यों और दूसरी चीजों के बारे में भी इन नये नियमों के आधार पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं आपसे कह रहा था कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार के आकार के और जैसी शक्लों के चक बने हैं, खास तौर से मैं कुछ जगहों का जिक्र करना चाहता हूं, माननीय मालमंत्री जी ने कहा कि जो खेती करते हैं या जो सीधे दिलचस्पी रखते हैं खेती में वह

उन कठिनाइयों को जानत हैं जो कठिनाइयां चकबन्दी करने वाले कर्मचारियों के सामने आती हैं । मुझे पूरी सहानुभूति है चकबन्दी करने वाले कर्मचारियों के साथ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी जानना चाहता हूं कि जितनी हमदर्दी चकबन्दी करने वाले कर्मचारियों के साथ हो उतनी ही उन हजारों गरीब किसानों के प्रति भी होनी चाहिये जिनके हजारों वर्ष के पुराने खेत छिन्न-भिन्न हो गये हैं और जो आज इस सम्बन्ध में कोई भी दलील करना चाहते हैं तो उनकी कोई भी दलील कारगर नजर नहीं आती। अगर वह डेपुटेशन लेकर आते हैं तो कहा जाता है कि वह बगावत करने के लिए आये हैं। अगर हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं तो उनको एक बहुत ही चैलेंज करने वाला किसान समझा जाता है। अगर वह चुपचाप अपने खेतों को बरबाद होते हुए देख लें, अगर वह अन्यायों को होते हुए देख लें, जो कि कर्मचारी किसानों के साथ करते हैं, तो वह किसान सीधा-साधा है और ऐसे ही किसानों को आदर्श बना कर हम से कहा जाता है कि चकबन्दी पूरे तौर से प्रदेश में चल रही है। जहां पर किसान ने अपने अधिकारों को नहीं समझा, जहां वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सही तरीका नहीं ढूंढ़ पाये, उनकी मिसाल बना कर के यह कोशिश जी जाती है कि उन किसानों को भी चुप कर दिया जाय जो अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई रास्ता तलाश कर पाये हैं।

मैं आपको बताता हूं कि ऐसे-ऐसे चक हैं जिनमें सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ, १८० तक खूंट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक चक में १८० खूंट हो जाते हैं तो कोई किसान उस खेत में कैसे हल चला सकता है? क्या ऐसे चकों की कोई कमी है? इस तरह से चकबन्दी कर्मचारी जमीन का बटवारा करते हैं, जमीन की किस्म के आधार पर तय करते हैं। ए, बी, सी ब्लाक के तरीके से चक बनते हैं। क्या कोई भी किसान ऐसा मिल सकता है मैं पूछना चाहता हूं कि जिस किसान का केवल एक ही चक बना हो? कोई किसान ऐसा नहीं मिल सकता है और ऐसे किसानों की तादाद कम नहीं है जिनके ए ब्लाक के दो-दो चक हों और इसी तरह से सी ब्लाक के दो-दो चक हों और कहीं-कहीं तो बी ब्लाक के तीन-तीन चक हैं। क्या इसके लिये कोई रुकावट है? ऐसी कोई चीज नहीं है । बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनको चकबन्दी कानून की परिधि में नहीं लाया जा सकता। अगर समय होगा और अगर यह बिल प्रवर समिति में जाता है तो वहां हम इन मिसालों को पेश कर सकते हैं और हमारे पास ऐसी बहुत-सी मिसालें हैं।

अधिष्ठाता महोदय, में यह अर्ज करना चाहता हूं कि चकबन्दी के अन्दर जो लोग काम करते हैं उनके लिये ऐसा नहीं है कि वह सारे के सारे पतित हैं, भ्रष्ट हैं और उनके अन्दर देशभक्ति की भावना नहीं है और सारे के सारे पैसा बटोरने में लगे हुए हैं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, लोगों को पीसा गया है और लोगों को बड़ी बुरी तरह से लूटा गया है। जब यह कहा जाता है तो माननीय मंत्री जी और हमारे उच्च अफसरान यह समझते हैं कि यह उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने रिश्वत ली। यह चीज नहीं है लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि ऐसी रकमों की तादाद बहुत बड़ी है। मैं आपसे अर्ज करूं एक तरीका यह भी है कि पहले यह किया जाता है कि एक कच्चा नक्शा तैयार कर लिया जाता है और वह नक्शा ऐसा होता है कि सचमुच में उसके मुताबिक चक बनने वाले नहीं होते हैं। वह नक्शा चुपके से किसान को दिखा दिया जाता है। किसान जब उस नक्शे को देखता है तो घबरा जाता है। कहीं उसकी बगिया थी, कहीं उसके अच्छे खेत थे, वह सारे के सारे छिन्न-भिन्न हो गये, इसलिये घबराता है और कहता है कि कोई ऐसी तरकीब निकालिये जिससे मेरा चक सही-सलामत बन सके।

श्री चरणसिंह—पहले इकट्ठा थी और अब बिखर गई।

आचार्य दीपंकर—जी हां, मैं मिसाल भी दे सकता हूं। माल मंत्री जी ने अभी एक सवाल किया और शायद यह उनके लिये नया होगा क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से खेती करना छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि चकबन्दी के बारे में वही आदमी अच्छी रिपोर्ट दे सकता है जो खेती करता हो। सचमुच में इस चकबन्दी ने इकट्ठे हुये खेतों को और भी बिखेर दिया है। मैं पश्चिम का नुमाइन्दा हूं। वहां के किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन ही है और उसी में वह मेहनत करते हैं। चाहे किसी किसान के पास २०-३० बीघे जमीन थी उसी को बांटकर २-३ जगह कर दिया है। यदि आपको अब ताज्जुब है तो हो सकता है क्योंकि अब आपका खेती बारी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं आपकी तहसील कैराना और सरधना की ही मिसाल दे सकता हूं। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि यह जो चकबन्दी की गई है, उसको देखा जाय तो यह पूरी की पूरी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और इसके जरिये से जिस तरह से नैतिक पतन, जिस तरह से लोगों का सामाजिक पतन हुआ है और बहुत सी जगह पर यह चीज हुई है। यह एक लामिसाल चीज है और हमारा समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

मैं समझता हूं कि कोई चीज ऐसी नहीं रखी गई है जो बीच के वाद-विवाद का फैसला कर सके जैसे कि साधारण मजदूर और सरमायादारों में झगड़ा होता है तो उसके निबटाने के लिये कंसीलियेशन आफिसर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई चकबन्दी का कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं करता है तो उसके और किसान के बीच में अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसको निबटाने के लिये कौन-सी मशीनरी है, जो इस कानून में प्रोवाइड की गयी है? कोई मशीनरी नहीं है, उनके बीच में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिसके बारे में कहा जा सके कि यह किसान और कर्मचारी के बीच में एक मशीनरी है। अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो यह उसको रोकने के लिये एक अंकुश का काम करेगा क्योंकि जो ए० सी० ओ० साहब करते हैं वही आगे चल कर सी० ओ० साहब कर देते हैं। ९० फीसदी केसेज में यही पाया गया और जो सी० ओ० साहब कर देते हैं सेटिलमेंट अफसर उसको नजीर समझते हैं और जब रिवीजन होने जाता है कलेक्टर साहब के यहां तो आमतौर पर यही होता है कि जो कुछ फैसला वहां से हो जाता है उसी के ऊपर दस्तखत कर देते हैं। इसके बाद अगर कोई हाईकोर्ट में जाता है तो सरकार समझती है कि बगावत का झंडा उठ गया, गदर मच गया और सन् ५७ का न जाने क्या हाल होगा। तो आखिर कहीं तो आप रुकिये। चकबन्दी की पूरी की पूरी मशीनरी आज किसके ऊपर टिकी हुई है? जिस पटवारी को २८ हजार की तादाद में इसलिये बरखास्त किया गया था कि वह करप्ट है, वह सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता आज वही पटवारी चकबन्दी का कर्णधार बना हुआ है। कम से कम ५० फीसदी की तादाद में वही पुराना पटवारी है जिसको पतित समझ कर हमारी सरकार ने बरखास्त कर दिया था। वही आकर चक बनाता है। वही आकर जमीनों की किस्में तय करता है।

श्री चरणसिंह—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर।

श्री अधिष्ठाता—आचार्य दीपंकर जी, आप जरा बैठ जायं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यहां दो व्यक्ति खड़े हुये हैं। तो ये दो-दो आदमी एक साथ क्यों खड़े हुये हैं?

श्री अधिष्ठाता—कहां दो-दो आदमी खड़े हुये हैं? दीपंकर जी तो बैठ गये।

श्री राजनारायण—आखिर माल मंत्री जी क्यों खड़े हुये हैं, क्या कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—जी हां, उनका प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मरे माननीय मित्र जो बहुत जोश के साथ तकरीर फर्मा रहे हैं तो वे तो जितना कंसालिडेशन के मुताल्लिक जनरलाइजेशन और वेग एलिगेशन्स उनके मन के अन्दर हैं वे सब फर्मा रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह जब कोई अमेंडमेंट पेश करें तो मौके से उन बातों को कहें लेकिन इस संशोधन पर कि यह सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय यही तकरीर हो सकती है कि इसमें कुछ नुक्स हैं उनके ऊपर वहां गौर होना चाहिये, यहां वक्त कम मिला। बाकी अगर वैसे तकरीर करना चाहें तो घंटों लग सकते हैं। तो इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखिर कोई तो लिमिट होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—माननीय दीपंकर जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कभी-कभी विषयान्तर वह कर देते हैं। इस वास्ते जो विषय आपके सामने है उसके ऊपर अपने भाषण को सीमित रखें।

आचार्य दीपंकर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो अभी कह रहा था वह अपने मन की ही कह रहा था, माननीय माल मंत्री जी के मन की नहीं कह रहा था। बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का लेकिन मैं तो अपने ही मन की बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं, अपने मन की वे खुद कह लेंगे।

तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि यह जो संशोधन हमारे सामने आये हैं और जिस कानून में ये संशोधन आ रहे हैं उनके ऊपर विचार करने के लिये मैं समझता हूं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये क्योंकि माननीय माल मंत्री जी को तो इसलिये जरूरत महसूस हुई कि हाई कोर्ट ने उनके रास्ते में एक बैरियर खड़ा कर दिया और कहा कि कांस्टीट्यूशन की धारा के अनुसार मुआविजा आपने नहीं दिया इसलिये आप सार्वजनिक उपयोग के लिये जमीन नहीं ले सकते। लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिये कितनी जमीनें उन्होंने ली हैं इस वक्त तक? यह वह भी जानते होंगे और उनके कर्मचारी भी जानते होंगे। मैं यह अर्ज करता हूं कि अगर उनको बहुत परेशानी है कि वह काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये तो उनसे हजार गुना परेशानी हमको है कि पिछले चार वर्षों में जो कुछ उस मासूम किसान के साथ हुआ उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कानून यहां पर पेश हुआ है, जो पिछले तीन, चार वर्षों में हुआ है और जो संशोधन हमारे सामने आये हैं उनको देखते हुये इस पूरी सामग्री को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और बगैर किसी पक्षपात के वहां पर इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और जितनी गहराई से इस पर विचार हो सके उतना ही हम इस प्रदेश के किसानों के साथ न्याय करेंगे। मुझसे यह कहा जा रहा है कि मैं जेनरलाईजेशन कर रहा हूं लेकिन मैंने एक एक किसान का केस लेकर के माननीय माल मंत्री जी के सामने रखा है और मुझे आश्चर्य है कि उसके बाद भी कहा जा रहा है कि मैं जेनरलाइजेशन कर रहा हूं।

एक विशेष बात यह भी कही जाती है कि दो वर्ष का परिश्रम जो चकबन्दी के अन्दर हुआ है वह बेकार हो जायगा। लेकिन अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ है और हम से बहुत से सेटिलमेंट आफिसर्स से बातें भी हुई हैं बहुत से जिलाधिकारियों से भी बातें हुई हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है और अगर चकबन्दी विधेयक में कोई संशोधन हो सके तो अच्छा होगा लेकिन क्या साहब हमारा दो साल का परिश्रम सब बेकार हो जायगा। आपको तो अपने दो साल के परिश्रम का बड़ा मोह है लेकिन पिछले सैकड़ों सालों से जो किसानों के चक बने हुये थे क्या उनसे उनको मोह नहीं होगा? उसको क्या आप पिछड़ापन समझते हैं? यह जो रिवोल्यूशन आप चकबन्दी के द्वारा ला रहे हैं क्या आप चाहते हैं कि लोगों को उसमें आपसे अपनी बातें कहने में भी हेजीटेशन हो?

[आचार्य दीपंकर]

इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर के केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर संजीदगी स विचार किया जाय और बगैर किसी पूर्वाग्रह के पूरी सामग्री को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां पर पूरे अनुभव के आधार पर इसके बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अभी इस संबंध में विरोधी पक्ष के भाषणों को बड़ी गम्भीरता से सुना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान नियम ९६ की ओर आकर्षित करते हुये यह मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हाईकोर्ट की रूलिंग है जिसकी वजह से यह बिल लाना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि वह सब कागजात सदन के सामने आवें और जब तक वे न आ जावें तब तक इस पर विचार स्थगित किया जाय क्योंकि इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में कुछ जजमेंट का हवाला दिया है तो ज्यादा अच्छा होगा कि वे उन पेपर्स को भी सदन के सामने रख सकें।

*श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैंने हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया था लेकिन पूरे जजमेंट को तो रखना सम्भव नहीं होगा क्योंकि वह बहुत लम्बा है। जो इस कम्पेंसेशन के प्वाइन्ट से वास्ता रखता है उसको प्रिंट करा कर हाउस में रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह इस वक्त नहीं हो पायेगा।

इसके अलावा एक बात और है। हाईकोर्ट का जजमेंट तो पेपर्स में भी शाया हुआ था और केवल एक कानूनी प्वाइन्ट उसमें था कि कम्पेंसेशन दिया जाय। उसके यहां रख देने से तो कोई खास इमदाद माननीय मित्रों की होगी नहीं। इसके साथ ही इसमें एक बात और भी है कि "After the motion that a Bill be taken into consideration is passed" तो मोशन तो अभी पास नहीं हुआ है।

दूसरी बात यह है कि यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं था जो माननीय मित्र ने रेज किया। अगर मोशन पास हो जाय तब इस बात का सवाल हो सकता था कि जिस पर बिल बेस्ड है वह कागजात इसमें रख दिये जायं। फिर इसमें अल्फाज यह भी हैं, कि "which are not confidential"। अभी यह जानने की जरूरत होगी कि हाईकोर्ट का जजमेंट तो कान्फ़ीडेंशल नहीं है लेकिन और कोई कागजात काफ़ीडेंशल तो नहीं होते जिन पर यह बिल बेस्ड है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उसका हवाला मैंने दिया अपनी तकरीर में लेकिन उसी के ऊपर यह बिल बेस करता है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है उस पर बाद में बहस हो जायगी। इस वक्त तो यह दरख्वास्त, मैं समझता हूं कि, पेश नहीं हो सकती।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी ने जब यह प्रस्ताव पेश किया था कि इस पर विचार हो तो उन्होंने स्पष्टतः कई रूलिंग्स का हवाला दिया था। एक शायद पंजाब हाईकोर्ट की रूलिंग का और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग का। तो नियम क अनुसार हर एक मेम्बर को यह अधिकार है कि जब यह प्रस्ताव पास हो जाय तो वह पेपर्स की मांग कर सकता है। माननीय मंत्री जी को इस बात का नोटिस हो गया है कि वे इस बात की व्यवस्था करें कि उन जजमेंटों की कापियां, जिनकी बिना पर वह यह संशोधन विधेयक लाये हैं, सदन की मेज पर रख दी जायं।

श्री राजनारायण—रामस्वरूप जी के प्वाइन्ट आफ आर्डर का एक दूसरा अंश था कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—वह खुद उसको कह लेंगे। आप क्यों उनकी वकालत करते हैं ?

श्री राजनारायण—अगर वह नहीं कहते हैं तो सदन के हर एक सदस्य को अधिकार है कि....

श्री अधिष्ठाता—आपको अधिकार है ध्यान दिलाने का, हम उससे इनकार नहीं करते।

मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं। इसमें जो नियम है उसमें दिया हुआ है :

"(1) After the motion that a Bill be taken into consideration is passed....."

अभी तक तो पास नहीं हुआ है। जब वह पास हो जायगा तब आप कह सकते हैं कि कागजात यहां रखे जायं। तो इसके लिये माननीय मंत्री जी को नोटिस हो गया है। वह पास हो जाने के बाद कागजात यहां रखाये जाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष ने इस नियम को त्रुटिपूर्ण माना है और यह परम्परा कायम की है कि जब विचार के लिए प्रस्ताव उपस्थित हो जाय, उसी वक्त हम लोग कागजात मांग सकते हैं और अब तक कागजात मिलते रहे हैं और जो नियम है वह परम्परा के विरुद्ध है। तो ऐसी हालत में अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे अध्यक्ष की उस परंम्परा के खिलाफ कि जब यह पास हो जाय, तो थर्ड रीडिंग के वक्त हमें कागजात मिलें, तो बड़ी कठिनाई हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता—कोई भी व्यवस्था नियम के विरुद्ध नहीं हो सकती है। जब नियम आपके सामने है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता और मुझे किसी ऐसी परम्परा का ज्ञान नहीं है कि जो नियम के विरुद्ध हो।

श्री चरणसिंह—मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी कि जिस वक्त यह मोशन हो जाय पास हो जाय, तो माननीय मित्रों ने जो डिमांड की है उस पर तब बात-चीत हो जायगी ताकि उस वक्त मैं अपना प्वाइन्ट भी आप के सामने रख सकूं। लेकिन आपने अभी अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि उन कागजात को यहां रखना चाहिये। इसके मुताल्लिक मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। वह यह कि इसमें लिखा है कि "कापीज आफ पेपर्स इफ एनी।" तो यह जो हाईकोर्ट का जजमेंट है यह पब्लिक डाकूमेंट है और जितनी ला रिपोर्ट्स हैं उन सब ने इसको पब्लिश किया होगा। इसका नोटिस हर आदमी को है। इन रिपोर्ट्स के बारे में यह समझा जाना चाहिये कि हर एक पढ़ा लिखा आदमी इससे वाकिफ है और ला के लिये तो यह प्रेजेम्शन है कि बे पढ़े-लिखे आदमियों को भी उसका नोटिस है। तो हाईकोर्ट का जजमेंट या रूलिंग जो है उसके बारे में यह समझा जाता है कि सभी को उसका इल्म है और वह पब्लिक डाकूमेंट है।

इसीलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उस डाकूमेंट के लिये यह लागू नहीं होगा। मैं यह सवाल उस वक्त करता जब कि यह रिज्योलूशन पास होता और हमारे माननीय मित्र फिर यह सवाल रेज करते। इसलिये मैंने यह अर्ज किया कि आप मेरे इस प्वाइन्ट आफ व्यू के ऊपर फिर विचार कर लें और जो आपने फर्माया है उस पर आप दोबारा गौर कर लें।

श्री अधिष्ठाता—जब यह प्रस्ताव पास हो जायगा उस वक्त हम विचार करेंगे कि कौन-सा डाकूमेंट आप पेश करें और कौन-सा डाकूमेंट आप पेश न करें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामस्वरुप—अधिष्ठाता महोदय, मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था कि जब तक कागज नहीं मिल जाते हैं तब तक यह विधेयक न लिया जाय...

श्री अधिष्ठाता—जब यह प्रस्ताव पास हो जाय तब आप इसे उठाइयेगा। रूल ९६ में लिखा है कि जब विचार का प्रस्ताव पास हो जाय तब यह प्रश्न उठाया जाय।

*श्री देवकीनन्दन विभव—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के जो भाषण हुए हैं वे उनके संशोधनों से मेल नहीं खाते जो कि उन्होंने उपस्थित किये हैं। दीपंकर महोदय इस समय यहां इस सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि मैं जहां उनसे यह उम्मीद करता था कि वह सदन को संशोधनों के संबंध में अपने विचार बतावेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और कुछ जनरल ऐलीगेशन्स ऐसे किये हैं जैसे कि चकबन्दी से हजारों वर्ष पहले तमाम किसानों की जमीनें इकट्ठा थीं, चकबन्दी के कानून ने उनको बखेर दिया और एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसे इकट्ठी भूमि मिली हो। मैं नहीं समझता कि ये चार्ज कहां तक सही हैं। ये गम्भीर आरोप हैं और मेरा ख्याल है कि एक बार यहां इस सदन में उनके नेता ने कहा था कि उनका रेसपांसिव कोआपरेशन होगा तो उनके दल ने इस बात पर भी विचार किया होगा कि उनका अपोजीशन भी रेसपांसिबिल होगा।

भगवती सिंह जी ने कहा कि चकबन्दी के साथ भूमि वितरण का कार्यक्रम भी होना चाहिये था। वह नहीं हुआ तो इसलिये चकबन्दी सारी गलत हो गई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भूमि वितरण का अलहदा प्रश्न है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में भूमि की समस्याओं में यह चकबन्दी का प्रश्न बहुत महत्व रखता है और भूमि का भाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उसके बढ़ने से हमारे देश की जितनी भी खेती और जोत हैं उनके बराबर टुकड़े और विभाजन होते जा रहे हैं। तो इस सदन को भूमि के सुधार के कार्यक्रम देश में रखने होंगे। यदि वास्तव में जैसा कि दीपंकर जी ने कहा कि चकबन्दी कानून के द्वारा सारी जोतों की इकजाई भूमि को तोड़-तोड़ कर बिखेर दिया गया है। मैं दीपंकर जी से निवेदन करूंगा कि वे ये ऐलीगेशन्स, किस आधार पर उपस्थित करना चाहते हैं। यदि उन्होंने उन सारे ऐलीगेशन्स को सदन के सामने उपस्थित नहीं किया है तो माननीय मंत्री जी को, वे अपने तमाम वाकयात जिन पर वे अपने ऐलीगेशन्स को आधारित करते हैं, भेजना चाहिये था। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी उन ऐलीगेशन्स पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते। मेरा ख्याल है कि परिस्थिति ऐसी नहीं है, जैसा कि कहा गया है।

प्रवर समिति को किसी विषय को भेजने का आशय क्या होता है? उसका आशय यह है कि विधेयक में जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उनको यह सदन स्वीकार करता है तथा उस पर और गम्भीरता से विचार करने के लिये यह सदन कुछ विशेषज्ञों को नियत करता है। वे उस विधेयक में संशोधन उपस्थित करते हैं। मैं समझता हूं प्रवर समिति को भेजने का यही लक्ष्य हुआ करता है। माननीय भगवती सिंह का वास्तव में विचार यह है कि जनता चकबन्दी नहीं चाहती। यदि ऐसा है तो उसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज इसी देश में नहीं बल्कि दुनिया के जिन देशों में भी भूमि के सुधार हुये हैं उनमें चकबन्दी एक मुख्य काम हुआ करता है। मैं विरोधी पक्ष से चाहता था कि वे इसको स्पष्ट करें कि आया वे चकबन्दी को चाहते हैं या नहीं। जो लेजिस्लेशन होता है उसके दो अंग होते हैं। एक तो यहां पर कानून बनाना और दूसरा उसको व्यवहार में लाना। मेरा ख्याल है कि अभी तक उसके विरोध में जो कुछ भी कहा गया है वह उसके ऐक्जीक्यूशन के बारे में ही है। मेरा स्वयं भी यही विचार है कि उसका जो ऐक्जीक्यूशन हो रहा है, उसमें गलती हैं तथा उसमें सुधार होना चाहिये। जो कुछ जनता की शिकायतें थीं वे शिकायतें दूर होनी चाहिये। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से स्वयं कहना चाहता हूं, परन्तु जिस वक्त हम जनता के सामने यह चीज पेश करते हैं तो उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा होता है। वे एक नारा सुनते हैं कि चकबन्दी बन्द हो, चकबन्दी की आवश्यकता नहीं है, तब मैं समझता हूं कि हमारे किसान जो हैं वे गलत रास्ते पर जाते हैं। उसके दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिये कि इस देश में भूमि सुधार के लिये चकबन्दी की आवश्यकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चकबन्दी के संबंध में अब भी मैं यह उम्मीद करता था कि उन महोदय ने जिन्होंने अपने संशोधन का प्रस्ताव भेजा था वे बताते कि वे क्यों परिधि को बढ़ाने की बात कहते हैं। तो मैं यह आवश्यक समझता हूं कि एक विधेयक के तरीके पर गम्भीरता के साथ वे बतलाते, उन्होंने जो अपना सारा भाषण दिया वह चकबन्दी के विरोध में था। वे तो यह बतलाते हैं कि वे प्रवर समिति में इसको पेश करना चाहते हैं तथा उसकी परिधि को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वे किन किन विषयों में, वे कौन कौन से काम हैं जिनमें कि वे चाहते हैं कि इस विधेयक के साथ ही उन विचारपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जाय। मुझे खेद है कि विरोधी पक्ष की तरफ से उनका कोई विश्लेषण नहीं हुआ और सदन अभी तक उनके विचारों से अवगत नहीं हुआ कि आया उनका जो सारा लक्ष्य है वह क्या है।

अब यह हो सकता है कि जो परसनेल थे वे खराब थे, जो व्यक्ति काम करते हैं वे खराब थे। लेकिन अगर किसी अंग का एक हिस्सा खराब हो तो पूरे अंग को, सब के सब को खराब कह देना मेरे ख्याल से गलत चीज हुआ करती है। उसका जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिये। लेकिन एक बात जरूर है कि उसके संबंध में लोगों की जो शिकायतें हैं वे शिकायतें एक बहुत अंश तक सही भी हैं और मेरे ख्याल से उस एक्जीक्यूशन के अन्दर जो भी खराबी हों, शासन का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने को पापुलर बनाने के लिये उन शिकायतों को हटावे।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मेरा ख्याल यह है कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये जो भूमि ली जाती थी उसके लिये गवर्नमेंट कोई मुआवजा नहीं देती थी। हाईकोर्ट ने अपनी रूलिंग से अभी यह निश्चित किया है कि उसका मुआवजा दिया जाना चाहिय। एक कारण इस विधेयक को उपस्थित करने का यह भी था कि सार्वजनिक उपयोग के लिये जो भूमि ली जाय उसका मुआवजा देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि किसी भी कारण से सही, चाहे हाईकोर्ट की रूलिंग से ही सही उन्होंने इसको जल्दी से जल्दी प्रस्तुत किया, क्योंकि हजारों काश्तकार हैं जो अभी तक अंधेरे में लटके हुये हैं, जिनकी जमीन सार्वजनिक कार्य के लिये ले ली गयी है, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उनको उचित तरीके से, जिससे जनता को शिकायत न हो मुआवजा दिया जाय।

आज हर गांव में आप जानते हैं कि चरागाहों की कितनी आवश्यकता है, आप जानते हैं कि मकान बनाने के लिये, गरीब हरिजनों के मकान बनाने के लिये हमारे हर गांव में भूमि की आवश्यकता है और आप जानते हैं कि कितने सार्वजनिक काम हैं जिनके लिये भूमि की आवश्यकता है, तो एक तो मैं यह समझता हूं कि उस समस्या का एक हल यह हमारे सामने पेश करता है कि हम चकबन्दी करते समय खाली भूमि जो सार्वजनिक कामों के लिये प्राप्त करें और उसका मुआवजा किसान को सार्वजनिक कोष से दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह उचित होगा और यह भी उचित होगा कि जिस समय मुमकिन हो ये आवश्यकतायें इस प्रकार की हैं कि गम्भीरता के साथ उन क्लाजेज पर विचार किया जाय। अच्छा होता यदि सदन में वह कारण बताये जाते कि इस विधेयक को प्रवर समिति में क्यों भेज दिया जाय।

मैं सदन से एक बात और कहूंगा और विरोधी दल के नेताओं से भी कहूंगा कि आज हमारा देश एक विशेष परिस्थिति में गुजर रहा है, इस वक्त हमें देश का निर्माण करना है, देश को बनाना है, बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जहां विरोध करने की आवश्यकता हो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जहां विरोधी पक्ष के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रम का विरोध करे, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बहुत से प्रश्न ऐसे हैं कि जिन में विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों को मिलाकर सहयोग से काम करने की आवश्यकता है। हम अपने इस बड़े देश में डेमोक्रेसी का महान् परीक्षण कर रहे हैं, ऐसे समय में हमारे लिये बड़े संयम की आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि ट्रांजीशनल पीरियड में हम अपने इस देश का कार्य इस तरह से चलायें कि देश में अनुशासन हो।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य विषय से बहुत अलग बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैं देख रहा था। माननीय विभव जी, आप का सारा समय आचार्य दीपंकर जी के भाषण के जवाब में लग रहा है। अब आप कृपया संशोधन पर आ जांय।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं तो यह कह रहा हूं कि इसमें जो यह उद्देश्य और लक्ष्य है उससे तो किसी को मतभेद नहीं है और अगर मतभेद होता तो इस विधेयक को प्रवर-समिति में भेजने की आवश्यकता न होती। तो सवाल यह है कि इसके जो और क्लाजेज हैं और उस धनराशि का उचित प्रकार से, किस तरीके से जनता और किसानों को बिना शिकायत का मौक़ा दिये हुये, उचित वितरण हो और उसका पूरा लाभ किसान तक पहुंचे। यह विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय ने जो और दूसरे विषय रखें हैं उन पर भी बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिये और यदि उस लक्ष्य से इसे प्रवर समिति के पास भेजा जायगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं यह चाहता हूं कि वह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जब मैं प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं तो मेरे सामने यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान उद्देश्य और कारणों के अन्तर्गत रहते हुये प्रवर समिति की अधिकार सीमा के बाहर की यह बात होगी यदि वह उसमें व्यापक परिवर्तन करना चाहे क्योंकि कोई भी विधेयक मर्यादित होता है अपने उद्देश्य और कारणों से और किसी भी विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं वह संशोधन मर्यादित होते हैं उसके उद्देश्य और कारणों से। इसलिये हमारी निश्चित राय है कि जब इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय तो इसके स्कोप को भी बढ़ाने का अधिकार दिया जाय, इस का क्षेत्र भी व्यापक बनाया जाय जिससे प्रवर समिति अच्छी तरह से, शान्ति के साथ बैठे और विचार करे कि वर्तमान चकबन्दी योजना के अन्तर्गत आज किसानों को किन-किन दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रीमन्, आज मुझे बड़े आश्चर्य के साथ माननीय देवकीनन्दन विभव को सुनना पड़ा और वह, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने स्वतः इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने का संशोधन प्रस्तुत किया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि माननीय देवकीनन्दन जी विभव वर्तमान विधेयक जिस रूप में प्रस्तुत है उस रूप से सहमत नहीं हैं। एक तर्क यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आप की सेवा में तथा सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि उस तर्क को ठीक तरीके से समझने की कोशिश होनी चाहिये। अगर आज वर्तमान चकबन्दी योजना के दोषों को बताया जाय, वर्तमान चकबन्दी योजना से किसानों में किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, किसानों के ऊपर किन-किन प्रकार से जोर-जुल्म ढाया जा रहा है, किसानों ने इस योजना को कितने दुख के साथ हृदयंगम किया है, यदि इस पर विचार किया जाय तो कहा जाता है कि इसके उद्देश्य और कारण की परिधि के बाहर की बात है। मगर मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि आज माल मंत्री जी भी इस परिस्थिति में नहीं हैं कि वह कह सकें कि चकबन्दी योजना को कृषकों ने हृदय से हृदयंगम किया है। आज माल मंत्री जी भी इस परिस्थिति में नहीं हैं कि वह कह सकें कि चकबन्दी जिस रूप में चलायी गयी है उससे किसानों का हित ही हित हुआ है। यह निर्विवाद है, इतनी बातें प्रकाश में आ चुकी हैं जिसको हर सम्मानित सदस्य को सही तरीके से मानना चाहिये कि चकबन्दी योजना, चकबन्दी कानून के अन्तर्गत किसानों का अहित भी हुआ है। किसानों के ऊपर मुसीबतें बरपा की गयी हैं, किसानों को तरह-तरह की मुसीबतों के अन्तर्गत फंसाया गया है, किसानों के ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगाया गया है और वसूल किया गया है।

चकबन्दी योजना कार्यान्वित करने के लिये उनके ऊपर आवश्यकता से ज्यादा टैक्स लगाने की योजना बनायी गयी है। श्रीमन्, जब यह कहा जाय, जब इन बातों को रखा जाय तो पता नहीं कहां से यह तर्क उठा दिया जाता है कि हम चकबन्दी के उसूल की बुनियाद पर ही कुठाराघात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा पूरा अधिकार है और सदन के प्रत्येक सम्मानित सदस्य का अधिकार है कि वह चकबन्दी के सिद्धान्त को कबूल करते हुए इस सरकार द्वारा जो वर्तमान चकबन्दी योजना चलायी गयी है उसको निराधार साबित कर सकता है, उसकी निरर्थकता को साबित कर सकता है। इसलिये मैं माननीय देवकीनन्दन जी विभव या उनके समकक्ष प्रतिष्ठित होने वाले किसी भी सम्मानित सदस्य के सामने इस बात को रखूंगा कि जब हम कहते हैं कि चकबन्दी योजना किस रूप में कार्यान्वित की जाय तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं लिया जाना चाहिए कि चकबन्दी योजना को हम सिद्धान्ततः मानने में असमर्थ हैं। ऐसी बात नहीं है। जब-जब चकबन्दी सम्बन्धी विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, अबाध गति से, बिना किसी संकोच के हमने, सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कहा है कि जमीन का बटवारा होना चाहिये। जमीन का बटवारा होने के बाद ही सही मानी में चकबन्दी योजना कार्यान्वित की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि चकबन्दी योजना सिद्धान्ततः हम कबूल करते हैं। लेकिन चकबन्दी योजना को कार्यान्दित करने के लिये जमीन की एक सीमा निर्धारित करके, जमीन का पुनः वितरण होना आवश्यक है।

श्रीमन्, जब हम परिधि को बढ़ाने की बात करते हैं और अपने प्रस्ताव के द्वारा, अपने सुझाव के द्वारा, इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने का सुझाव पेश करते हैं, हम उद्देश्य और कारण की परिधि को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे सामने यह बात आती है कि जब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो ऐसा भी संशोधन वहां पर लिया जा सकता है कि पहले एक क्लाज के अन्तर्गत जमीन का बटवारा लाजमी कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह हमारी अधिकार सीमा की बात है और अगर हम इस बात को नहीं करेंगे तो सदन के सम्मानित सदस्य अपने कर्त्तव्य से च्युत होंगे, अपनी कार्य सीमा को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पायेंगे। जब मैं यह कहता हूं तो इससे कहीं गंध भी नहीं आती कि माननीय माल मंत्री जी में इन बातों के समझ सकने की क्षमता नहीं है। मैं समझता हूं और मैं इस बात को बराबर कहना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री अपने विभाग के बारे में जो कुछ भी वर्तमान व्यवस्था है उसकी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं।

जैसा उन्होंने बताया कि इस चकबन्दी संशोधन विधेयक से सम्बन्धित क्या-क्या बातें आ सकती हैं, उसके लिये भी उन्होंने जानने की कोशिश की और उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया भी, शायद विचार-विनिमय भी हुआ हो, मुझे मालूम नहीं क्यों कि मैं वहां नहीं था, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, क्या वहां बात हुई, अंधकार के गर्भ में है। सरकारी सदस्य थे, हो सकता है कोई और दूसरी पार्टियों से गये हों क्योंकि यहां विरोधी दल बहुत हैं, पी० एस० पी० है, कम्युनिस्ट है, जनसंघ है, एक और प्रगतिशील दल बना हुआ है, मुझे मालूम नहीं, उनके प्रतिनिधि मंत्री जी द्वारा बुलाये गये थे, और वे उपस्थित थे या नहीं। कम से कम हमारे दल का कोई नहीं था। यह बात सदन के सदस्यों को साफ़ होनी चाहिये। मंत्री जी ने बताया कि मुझे भी बुलाया गया था। उनकी कृपा थी, उन्होंने कष्ट किया। मगर बुलाने का जो तरीका अख्तियार किया शायद निमंत्रण-पत्र भेजा गया घर के पते से। जो मंत्री जी का मकसद था, मैं समझता था। लोगों की भावनाओं को ठंडी, शुद्ध, परिष्कृत वायु के अन्दर बैठा कर के प्रभावित किया जा सकता है। कभी-कभी जो कुशल मंत्री होते हैं वे अपने यहां चाय पार्टी पर भी बुला लिया करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मगर श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री जी को ही इस सफ़ाई के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज तक किसी कमेटी में बैठने पर हमने चाय नहीं पी। हम एतराज करते हैं, चाहे सरकारी कमेटी हो, या सदन की कमेटी हो, कि इसका भार राजकोष पर न डालें। यह अनुचित बात है। कभी भी किसी को यह बात नहीं मिलेगी कि कहीं चाय पर बैठ करके अपने उसूलों को तिलाञ्जली दे दें। यदि अगर हमको इस मकसद से बुलायें तो हमको हरगिज-हरगिज न बुलायें।

श्री चरणसिंह—वहां तो ठंडा पानी भी नहीं मिला।

श्री राजनारायण—अब श्रीमन्, मैं पहली बात आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी अब इस बात को समझें क्योंकि यह भी बड़ी अशोभनीय बात है कि १९५३ में विधेयक आया फिर उसमें १९५४, १९५५, १९५६, १९५७ में बारबार संशोधन हुए। आज भी मंत्री जी ने यह बात कही कि यह संशोधन अन्तिम नहीं है। नवीन अनुभव होंगे, ज्ञान परिमार्जित होगा। नये संशोधन फिर आयेंगे। क्या इसका असर हो रहा है? माननीय विभव जी इस पर भी तो विचार करें। आज भूमि से संबंधित जितने व्यक्ति हैं यानी किसान, उनके अन्दर स्थिरता नहीं रह गई है। वह सोच नहीं पा रहे हैं कि उनकी किस्मत कहां लटकी हुई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन निर्वाह के साधन को कब किस परिस्थिति में यह सरकार ले जा कर फेंके। यह अपरिपक्वता का द्योतक है कि बि । सारी बातों को सामने रखे हुये, तनिक भी कठिनाई आयी, उसके निवारण हेतु छोटा सा संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाय।

श्रीमन्, इस अवसर पर मंत्री जी को स्मरण करना चाहिये कि पुराने समय में जब-जब चकबन्दी से सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत हुये हैं तब-तब सोशलिस्ट पार्टी की ओर से उसम संशोधन हुये हैं। हमने बार-बार कहा था यह अन्तिम सी चीज नहीं है इस पर सरकार की ओर से हठ नहीं होना चाहिये, हमारे तर्कों को, संशोधनों को मानना चाहिये। मगर सरकार की ओर से बराबर उपेक्षापूर्ण नीति बरती गई। आज आश्चर्य है ऐडवोकेट जनरल ने माननीय मंत्री जी को यह सलाह दे दी कि चूंकि हाई कोर्ट में रिट है, पता नहीं रिट का फैसला सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो इसलिये सरकार ऐसा विधेयक ला दे जैसा ढांचा सरकार बनाना चाहती है। यह भी बड़ा दोषपूर्ण तरीका है। एक तरफ़ तो सरकार कहती है कि वह कोर्ट्स तथा हाईकोर्ट्स के अधिकारों की सीमा में अंकुश नहीं लगाना चाहती, दूसरी ओर यह क्या तरीका है? जरा उस फैसले को आ जाने दीजिए। वह फैसला जो आता है वह इस ऐक्ट में क्या क्या बात दोषपूर्ण समझता है, वह सभी बातें होतीं और उन सब पर विचार होता।

मगर खैर, मैं उसको भी बहुत दूर तक परसू करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि कभी-कभी कानून की बारीकी और टेकनिकलिटीज की आड़ में, कानून की नाइसटीज की आड़ में लोगों का अहित भी होता रहता है। इसलिये अगर माननीय माल मन्त्री जी कोई ऐसा तरीका प्रस्तुत किये होते, अगर माननीय देवकीनन्दन जी विभव कोई ऐसी नवीन बात कहते कि जिसके मुताबिक बिना प्रवर समिति में गये हुए, बिना इसकी अधिकार सीमा की बात को बढ़ाये हुए उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में यह सहायक होता तो भी मैं मानने को तैयार होता, मैं सोचता, समझता कि एक ऐसी बात आयी है जिससे कि किसानों का हित होगा, समाज का हित होगा।

श्रीमन्, बार-बार सरकारी पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत होता है और एक संज्ञा का प्रयोग होता है—राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय उत्थान। बड़ा भ्रामक शब्द है, बड़ा वेग टर्म है। आज राष्ट्रीय विकास के नाम पर, समाज कल्याण के नाम पर राष्ट्र को घसीटा जा रहा है, अकल्याण किया जा रहा है यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। श्रीमन्, आप स्वतः इस बात के साक्षी होंगे, आप इस बात से अवगत हैं, माननीय देवकी नन्दन जी विभव हमें बतादें जरा कि राष्ट्रीय विकास के क्या माने हैं? राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या यही है कि दिन पर दिन किसानों की आर्थिक दशा गिरती जाय, उनकी आय कम होती जाय, उनकी आमदनी घटती जाय और विकास भी माना जाय? मान लिया है इस सरकार और सरकारी सदस्यों ने ...

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एक संशोधित बिधेयक हमारे सामने है जिसका सम्बन्ध कुछ थोड़े से संशोधनों से है। हमारे माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं, उससे यह प्रकट होता है कि वह किसी जनरल बजट पर स्पीच

दे रहे हैं या किसी ऐसे विधेयक पर स्पीच दे रह हैं जिसका सम्बन्ध किसानों के क्या बल्कि प्रदेश के रहने वाले हर मनुष्य के जीवन के हर अंश से है। तो क्या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधित विधेयक पर इतना ऐसा भाषण दे सकते हैं जिसका सम्बन्ध उस संशोधित धारा या मूल विधेयक के बाहर भी जाता हो ?

श्री अधिष्ठाता——माननीय राजनारायण जी, जो भाषण दे रहे थे वह इर्रेलिवेंट नहीं था, वह रेलिवेंट था। जो संशोधन सामने उपस्थित है उससे उसका सम्बन्ध है।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, यह सही है कि हमारे एक पुराने मित्र ने वैधानिक प्रश्न प्रस्तुत किया। क्या इस चकबन्दी का सम्बन्ध प्रदेश की पांच करोड़ जनता के जीवन से नहीं है ? क्या इस चकबन्दी विधेयक का सम्बन्ध हमारे सारे उत्तर प्रदेश की देहाती जनता के जीवन से नहीं है ? अगर कोई इस सदन के सम्मानित सदस्य इस भ्रमजाल में हों, इस बुद्धि-विभ्रमजन्य भ्रान्ति में विचरण कर रहे हों और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हों कि इसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश की सारी ग्रामीण जनता से नहीं है, तो वह अपने भ्रम को दूर करें, अपने संकुचित बुद्धि कपाट को खोलें। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह चकबन्दी योजना से सम्बन्धित जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है क्या यह राष्ट्रीय विकास की योजना का एक अंग नहीं है ? क्या माननीय देवकी नन्दन जी विभव कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित सदस्य नहीं हैं ? उन्होंने अपने भाषण में बहुत ही गर्व के साथ कहा कि राष्ट्रीय विकास की योजना कार्यान्वित करने में विरोधी पक्ष का सहयोग चाहिये। मैं उनके तर्क का जवाब देना चाहता हूं यह जो विधेयक है और जिस रूप में चकबन्दी की योजना कार्यान्वित हो रही है, उससे राष्ट्रीय विकास हो रहा है या राष्ट्रीय ह्रास हो रहा है, किसान की तरक्की हो रही है या किसान की अवनति हो रही है। इन बातों पर अगर यहां पर चर्चा की जाय तो वह कोई अप्रसंगिक नहीं होगी।

श्रीमन्, राष्ट्र विकास की विभव जी ने कोई समीक्षा नहीं की। मैं दूसरा पहलू इसका लेने वाला था तब तक वैधानिक आपत्ति उठा दी गई।

एक सदस्य——शाम के ५ बजे तक टाइम ले लीजियेगा।

श्री राजनारायण——जरूर लूंगा। आपको भी हक है। आप भी ले लीजियेगा बशर्ते कोई चीज दिमाग में हो।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं माननीय देवकी नन्दन विभव जी से और खास कर माननीय माल मंत्री जी से कि उनको भी यह जानकारी होगी कि चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में आज बाहर बड़ी चर्चा हो रही है। समाचार पत्रों में, श्रीमन्, यह बात निकल चुकी है कि कांग्रेस की हार क्यों हुई। इसलिये हुई कि कांग्रेस के क्षेत्र में कुछ ऐसे सम्मानित सदस्य हैं जिनका सम्बन्ध चकबन्दी योजना से बतलाया जाता है। यह बात समाचार पत्रों में नहीं आई है और इस पर परदा डाल दिया गया है। उनकी हार चकबन्दी योजना से हुई या नहीं हुई, मैं उस पर कोई वर्डिक्ट देने को तैयार नहीं हूं। और भी बहुत से कारण हैं जिससे हार हुई और हार होनी चाहिये थी।

अब जरा उद्देश्य और कारण की तरफ दृष्टिपात किया जाय। जिन उद्देश्य और कारण की पूर्ति के लिये विधेयक प्रस्तुत किया गया है माननीय माल मंत्री ने उनकी खास-खास बातें भी बतला दी हैं। उन बातों में एक तो सार्वजनिक हित के लिये कुछ खेतों से जो जमीन ली जायगी उसके मुआवजे के सम्बन्ध में है। माननीय माल मंत्री ने बतलाया कि हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी है उससे प्रेरित हो कर ही यह विधेयक यहां पर लाना पड़ा, इस बात को माननीय माल मंत्री ने मुक्त कंठ से रक्खा। अगर कानून में दोष है तो उसका निराकरण होना चाहिये। परन्तु प्रतिकर भी दिया जाय तो किसको दिया जाय, कैसे दिया जाय इसको जरा देखा जाय।

[श्री राजनारायण]

जो जमीन आप सार्वजनिक हित के लिये ले रहे हैं उसमें भूमिधर को आप चार गुना और सीरदार को दो गुना मुआविजा दे रहे हैं तो यह भेद नीति आप क्यों बरत रहे हैं ? दोनों ही जमीन के जोतने वाले हैं और दोनों की जमीन आप ले रहे हैं सार्वजनिक हित के लिये, लेकिन मुआवजा अलग-अलग दर से दे रहे हैं यह कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता ।

मैं पूछना चाहता हूं कि अब 'टिलर आफ दी स्वायल' का स्लोगन कहां गया । जमीन जोतने वाले के अधिकारों को सुरक्षित रखने का नारा उठाया जाता था वह कहां गया । टिलर आफ़ दी स्वायल कौन है ? भूमिधर नहीं है क्या ? सीरदार और असामी नहीं है क्या ? क्यों किसी को चार गुना दिया जाय और किसी को दो गुना दिया जाय । क्यों प्रतिकर देने में यह भेद नीति अपनाई जा रही है । इसका सरकार की ओर से कोई तर्क नहीं ।

क्या इस सदन के सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि जिन मूलभूत सिद्धान्तों को ले कर इस सदन में ५ वर्ष हमने आवाज बुलन्द की है उस को छोड़ दें । बराबर माल मंत्री जी से हमने कहा है कि भूमिधर और सीरदार का भेद सीमित होना चाहिये और टिलर आफ दी स्वायल जो है उसके अधिकार सुरक्षित होने चाहिये । मैं यह देखता हूं कि मौजूदा विधेयक जमीन के जोतने वाले की हिफाजत करने वाला नहीं है । वह इतनी दूर नहीं जा रहा है जैसा कि संशोधन के द्वारा चाहा जा रहा है कि जो जमीन के जोतने वाला है उस के हक की हिफाजत हो ।

सीरदारों का जहां तक सम्बन्ध है उनकी मुसीबत की गाथा से एक बार नहीं अनेकों बार माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया है । वह वस्तु स्थिति से परिचित हैं । मैं उन्हें पुनः बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के बहुत से अभागे किसान उस कानून का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं । हर जिले की मैं नजीर देने के लिये तैयार हूं कि सीरदारी के हकूक मिले हुये हैं, जबरदस्ती जमीन उनके पास से निकाली हुई है, इस्तीफे दिये हुए हैं, कोर्ट में गलत बयानात दिलाये गये हैं और सीरदारी के हकूक भी बने हुए हैं । समाचार-पत्रों में काफी चर्चा हो गयी कि सरकार ने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया है लैंड के सिस्टम को बदलने के लिये, एक क्रांतिकारी कदम उठाया है भूमि-व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये । यह नारा बिलकुल खोखला है । तो मैं चाहता हूं कि जबकि यह योजना पूर्णरूपेण भूमि से संबंधित है तो क्यों नहीं जब हम इस पर विचार करने के लिये प्रवर समिति में बैठें तो सीरदारों के हकूक की हिफाजत भी कर लें ।

श्री चरण सिंह--मैं कोई प्वाइंट आफ आर्डर तो रेज नहीं करना चाहता. . . .

श्री राजनारायण--मैं आप को मौक़ा दिये देता हूं, बैठे जाता हूं ।

श्री चरणसिंह--मैं आप के जरिये अधिष्ठाता महोदय, अपने मित्र से अपील करूंगा कि आप ने उनको इजाजत तो दे दी है, लेकिन अगर वह अपनी सरपट दौड़ लगायेंगे जिसमें भूमिधर और सीरदार के राइट्स की बहस हो और "टिलर आफ दी स्वायल" का स्लोगन हो, तो मेरी उनसे अपील है कि वह इतनी लम्बी बात न करें ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप तो जनतांत्रिक परम्परा में पले हुए हैं । जनतांत्रिक पद्धति का पालन करते हुये मैं बराबर बैठ जाता हूं, यद्यपि मैं न बैठूं तो उनको बोलने का हक नहीं होगा. . . .

श्री अधिष्ठाता--एक बात की ओर मैं राजनारायण जी, का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह जो सदन के बाहर भाषण दिया करते हैं और जो सदन के भीतर भाषण देते हैं, उन दोनों में कुछ अन्तर होना चाहिये ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बड़ी अच्छी बात आपने यहां पर रखी है और जब माननीय अधिष्ठाता महोदय के मुखारबिन्द से कुछ सुन्दर सदुपदेश हो और उसको हम लोग

न मानें या न मानन का तर्क प्रस्तुत करें, तो हम अपनी कार्य सीमा से, अथवा कर्तव्य से च्युत होंगे। मैं आप को बताऊं कि आज मैं अपने देश और प्रदेश की राजनीति को स्वस्थ शिला पर ले चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य एक जबान से बात करना सीखें। वह अपनी जिन भावनाओं का उद्घाटन बाहर करें उनको यहां भी प्रकाशित करना सीखें। "Democratic and parliamentary System is not meant to Develop a fraud" (डेमोक्रेटिक ऐण्ड पार्लियामेंटरी सिस्टम इज नाट मैन्ट टु डेवलप ए फ्राड)। जनतांत्रिक और पार्लियामेंटरी व्यवस्था का मतलब यह नहीं हो सकता कि यहां से बाहर जा कर जो कुछ चाहें अनर्गल बातें करें और सदन में आ कर लुपड़ी-चुपड़ी बात करें। श्रीमन्, किसानों के अधिकार की बात होनी चाहिये। एक बात होनी चाहिये, यह नहीं कि सदन में कुछ बोलें, बाहर कुछ बोलें, छोटी कमेटी में कुछ बोलें, चाय पर कुछ बोलें। यह तो दूसरी पार्टी करती है, यह कोई जीती-जागती पार्टी नहीं करती। हम उस जीती-जागती पार्टी के सदस्य हैं जो सदन के सामने वही रखती है, जो बाहर कहती है। हमने कभी भी सिद्धान्त से समझौता करने की कोशिश नहीं की, "वी नेवर कम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपिल्स"। यह हमारा सिद्धान्त है। ऐसा तो वह लोग करते हैं जोकि सिद्धान्तों को कुछ इधर-उधर घटा कर के मौकेबाजी की राजनीति चलाना चाहते हैं। हम मौकेबाजी की राजनीति चलाने वाले नहीं हैं।

श्रीमन्, मैं थोड़े में संकेत करना चाहता हूं माननीय मालमंत्री से कि क्या अगर हम माननीय माल मंत्री से यह कहें कि जितने सीरदार हैं उन सब के टाइटिल का सवाल इसमें है, तो यह सत्य न होगा? माननीय मालमंत्री इस वैधानिक महत्व की बात को स्वीकार करेंगे कि यह टाइटिल का प्रश्न कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का प्रश्न होता है और यह सरकार अपने किसी ऐक्ट के द्वारा किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सीमित नहीं कर सकती। यह सरकार किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की सीमा को संकुचित नहीं कर सकती। यह फिर चैलेंज होगा और फिर यह अवैध घोषित किया जायगा, इसकी चेतावनी मैं आपके द्वारा माननीय माल-मंत्री को देना चाहता हूं। टाइटिल का सवाल डिसाइड करना दीवानी की अदलतों का काम है और आज होता क्या है? सीरदारी का हक मिला हुआ है, मगर अदालतें कह रही हैं कि तुम्हारा हक मिला हुआ है तो क्या हुआ, हम तुमको फिर बदल देते हैं। कितना गजब ढाया गया है कि किसान आज चिल्ला-चिल्ला कर कहता है कि इस प्रकार हमारे हकों को बदल-बदल कर हमारा गला क्यों फंसाया जा रहा है? माननीय माल मंत्री जी खयाल करें कि कौन सी ऐसी व्यवस्था होगी, कौन सा ऐसा कानून होगा, कौन सी ऐसी चकबन्दी की योजना होगी, जो किसानों के हक़ में जाने वाली हो और वह उनकी इन बातों को दूर कर दे। अगर माननीय माल मंत्री जी चकबंदी की योजना को किसानों के हक़ में लेजाने के लिये रखना चाहते हैं तो मैं उनसे निहायत अदब के साथ अपील करूंगा कि आज जो सीरदार नाजायज तरीके से बेदखल किये गये हैं, उनकी भी कोई न कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और इसी के साथ-साथ प्रतिकर में जो भेद किया गया है, वह भी नहीं होना चाहिये। सीरदारों के बारे में पहले भी जब समाचार-पत्र में खबर छपी थी कि जो दस गुना इतने काल में नहीं देंगे उनको बेदखल कर दिया जायगा। हमने इसके विरोध में अपनी आवाज बुलन्द की और उसके फलस्वरूप मंत्री जी ने बाद में दूसरा विधेयक उपस्थित किया था। इसलिये आज जो यह विधेयक लाया जा रहा है, इसके अन्दर इस भेद को मिटाये बिना सही माने में चकबन्दी योजना लागू नहीं हो सकेगी और माननीय मंत्री जी का मकसद जैसा कि उन्होंने बतलाया है, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, अगर आप की आज्ञा हो और जनतांत्रिक वृक्ष की शीतल छाया में वह आनन्द-विभोर हो चुके हैं, जैसा कि माननीय कमलापति जी कहा करते हैं तो मैं इसके आंकड़े देने को प्रस्तुत हूं कि किस तरह से जमीन का बंटवारा संभव है। मगर हमारे मंत्री जी कहेंगे कि राजनारायण जी ज्यादा समय ले रहे हैं, इसलिये मैं उस पर जाना नहीं चाहता केवल संकेत मात्र किये देता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने जिन मांगों को लेकर १० मई से सत्याग्रह करने को कहा है, उसमें साफ बात कह दी गयी है कि भूमि का बटवारा कर के चकबन्दी करें। यह जो हमारी पुस्तिका निकली है, इसको मैं आप के पास भिजवाये देता हूं।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वह योजना बनाई है जिसमें भूमि का बटवारा करके चकबन्दी योजना कार्यान्वित की जा सकती है और मैं फिर कहना चाहता हूं और सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक उत्तम जोत की परिधि बांधकर जमीन का बटवारा नहीं किया जायगा तब तक योजना सफलीभूत नहीं होगी और बराबर संकट आते रहेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जमीन का बटवारा हो और इसके लिये हमारे पास योजना है और यदि मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। हमने ३० एकड़ को जोत की सीमा बना कर जमीन निकाल ली है, २० एकड़ को जोत की सीमा बनाकर जमीन निकाल ली है, १६ एकड़ को जोत की सीमा बना कर जमीन निकाल ली है और १० एकड़ जोत की सीमा बना कर हमने जमीन निकाल ली है। ३० एकड़ को सीमा बना कर २७ लाख एकड़ जमीन मिल पायेगी। २० एकड़ को मान कर ४४ लाख और १० एकड़ को मान कर ९५ लाख मिल पायेगी और इसका बंटवारा किया जा सकता है। जो जमीन ऊसर है, परती है, बंजर है, पानी से भरा इलाका है, इसको लेने को ९० लाख एक ड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसको ठीक कर के भूमि व्यवस्था के काम में ला सकते हैं और चकबन्दी योजना को लागू कर सकते हैं। आखिर चकबन्दी योजना है क्या? चकबन्दी किस की होगी? चकबन्दी खाली कपड़ों की और घरों की तो नहीं होगी। चकबन्दी जमीन को ठीक करने की ही तो होगी। अगर एक किसान के खेत को ६ जगह बांट दिया तो यह चकबन्दी नहीं हुई। मैं उनको न्योता देना चाहता हूं यद्यपि हमारे दीपांकर जी ने उनको चैलेंज दे रखा है। हमारे माननीय मित्र पुजारी टीकाराम जी जिनको शेर का खिताब मिला हुआ है इस चकबन्दी के काफी विरोधी हैं और माननीय माल मंत्री जी को मालूम है पुजारी टीकाराम जी जेल काट चुके हैं। यहां बैठे हुये हैं। "बुड्ढा शेर" उनकी पदवी है जो वहां के किसानों ने दी है। माननीय माल मंत्री एक बार गये हुये थे तो वहां प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद वहां लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हाई कोर्ट में रिट के जरिये ये छूटे थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह के प्रदर्शन अवांछनीय नहीं हैं। तो टीकाराम जी के क्षेत्र में जायं और देखें कि कई कई टुकड़े खातेदार के हो गये हैं। इसी लखनऊ के जिले में जाकर देखा जाय। चकबन्दी हुई, उसका अन्तिम स्वरूप अधिकारियों की ओर से दिया गया। उसके बाद भी किसानों ने कह दिया कि तुम्हारा स्वरूप कागज पर रखा रह जायगा, हम अपनी पुरानी जोतों को जोतेंगे। क्यों इतने धन का दुरुपयोग हो? क्यों ऐसी योजना को कार्यान्वित किया जाय जिसको मानने के लिये किसान तैयार नहीं हैं? कोई इसका जवाब नहीं। श्रीमन्, अगर कोई बात आपके सामने रखी जाय और आपको समझा दिया जाय कि इसके करने में आपको फायदा है तो आप उस काम को करेंगे। अगर अधिकारियों ने वहां के किसानों को मूर्तिमान रूप से इस बात को समझा दिया होता कि इस योजना से उनका हित है.....

श्री चरणसिंह--माननीय राजनारायण जी ने वह कहानी सुनी होगी कि चार ठगों ने एक बार एक बकरी को कुत्ता साबित कर दिया था एक भोले आदमी के लिये।

श्री राजनारायण--मैं सुन नहीं पाया। यानी अगर किसी ने बकरी के बच्चे को कुत्ते का बच्चा साबित कर दिया तो माननीय माल मंत्री जी को समझना चाहिये कि ४२० कौन करता है। अगर वे मुझे मौका दें तो मैं उनको अनेक कहानियां बता सकता हूं जिनमें कांग्रेस सरकार की ओर से बराबर बकरी के बच्चे को कुत्ते का बच्चा साबित किया जाता है अगर इन्हीं शब्दों का प्रयोग माल मंत्री जी ने किया तो। असल में, अधिष्ठाता महोदय, यह प्रयत्न कांग्रेस की ओर से होता है हमारी धारा को तुड़वाने के लिये।

इसके बाद प्रस्तुत विधेयक की धारा ४ को देखा जाय जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १०-क का संशोधन है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कौन

का हंवक क्रियेट होगा, किस शोषण और जुल्म और एकतंत्रवादिता की चक्की में किसान पीसा जायगा, स्वेच्छाचारिता होगी। इसमें कहा गया है :—

"(३) एक ही चकबन्दी योजना के अधीन विभिन्न संयुक्त खातों में खातेदार अथवा खातेदारों के किसी समूह के अंशों को चकबद्ध करने के विचार से, चकबन्दी अधिकारी किसी भी समय स्वतः उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नियत रीति से सूचना देने के पश्चात् उन खातेदारों के अंशों को विभाजित कर सकता है।"

बड़ा पवित्र उद्देश्य है। क्या इसका नतीजा होगा? चार खातेदार हैं। आपस में उनमें मेल है। वे खाते का बटवारा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश चकबन्दी अधिकारी को उनसे रागद्वेष हो गया तो वह स्वतः उनके खाते को बांट देगा। यही माल मंत्री जी चाहते हैं। पहली व्यवस्था जैसा कि माल मंत्री जी ने बताया कि पहले भी उनको बांटने की व्यवस्था थी मगर उसमें कुछ दिक्कतें थीं और जब कंसालिडेशन आफिसर्स घटना-स्थल पर गये तो वहां बहुत से लोगों ने अपने खातों को बंटवाने की मांग की जो मौजूदा कानून के अन्तर्गत दिक्कत तलब थी और जिसके करने में विलम्ब होता था। अगर उस विलम्ब को दूर करने की कोई योजना बने तो चकबन्दी अधिकारी को इतना बड़ा अधिकार दे दिया जाय कि राजा साहब जौनपुर के तमाम खातों को ही बांट दे। जिससे कांग्रेस सरकार की भृकुटि टेढ़ी हो उसके सारे के सारे खाते को कंसालिडेशन आफिसर उनके इशारे पर बांट दें चाहे वह चाहे या न चाहे, चाहे उसके भाई आपस में मेल से रहना चाहते हों मगर वे जरूर बांटेंगे। इतना बड़ा अधिकार क्यों उसे दिया जा रहा है? अगर कोई दिक्कत थी तो उसको इस तरह से दूर किया जाता कि यदि खातेदारों की तरफ से मांग हो तो चकबन्दी अधिकारी तत्काल कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो उस पर हम दूसरे दृष्टि-कोण से विचार करते परन्तु बड़ा व्यापक अधिकार सरकार अपने चकबन्दी अधिकारियों को दे रही है। इसका विरोध होना चाहिये और जब तक इसका विरोध नहीं होगा तब तक इस सदन के सम्मानित सदस्यों को ज्ञात होना चाहिये कि सारे प्रदेश में हाहाकार मच कर रहेगा अनेकों तरीके से खातों का बटवारा होता रहेगा और उसमें फिर लांछन आयेगा।

मैंने बार-बार इस सदन में कहा है कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट हैं। मैं ऐसा कभी नहीं मानता और मैं तो कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जानता हूं जो इतने ऊंचे चरित्र के हैं कि उनके समकक्ष बहुत से मंत्रियों को भी मैं नहीं मानता। इसलिये यह तर्क यहां प्रस्तुत नहीं होना चाहिये बल्कि जो आम तौर से बांटे हो रही हैं उनको सामने रखना चाहिये। अगर हमारे इस तर्क को काटने के लिये सरकारी पक्ष की ओर से कोई यह दलील दे कि ये तो समझते हैं कि ये सब सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सारे चकबन्दी आफिसर बेईमान हैं और वे सब के सब अपने आप खातों का बटवारा करने लगेंगे, अगर कोई यह तर्क देकर हमारे तर्कों को काटने लगे तो मैं उसको उनका दुष्प्रयास ही कहूंगा।

श्री चरणसिंह—आप स्वयं एक बात सोच लें और फिर उससे खुद ही आर्गू कर लें।

श्री राजनारायण—अच्छा सुझाव दिया माल मंत्री जी ने। श्रीमन्, जहां तक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये खातों का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में तो मैंने कह दिया कि अगर खातेदार सार्वजनिक हित देखते हैं तो उनको स्वतः प्रेरित होकर भूमि दे देनी चाहिये। इसके लिये कानून के अन्तर्गत व्यवस्था हो क्यों रखी जाय कि उनको इतना प्रतिकर देकर उनकी जमीन ले लेना ही लाजिमी है। क्या वे जमीन खुद नहीं दे सकते? और अगर वे नहीं देते हैं तो फिर सरकार का सूचना विभाग किस लिये है।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, एक बड़ा भारी विभाग सारे प्रदेश में सरकार ने खोल रखा है। इसकी शाखायें हर एक जिले में हैं और अब तो यह तहसील तहसील में बन रही हैं। सूचना विभाग का केवल यही मतलब नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी के १० मई से होने वाले सत्याग्रह के विरोध में लेख लिखवाया करे। अगर यही नहीं है तो प्रचार करे, जाकर लोगों को समझाये और सार्वजनिक हित के लिये जनमत तैयार करे और वे अपने आप प्रेरित होकर सार्वजनिक हित के लिये जमीन देंगे। अगर यह हो जाय तो प्रतिकर देने की भी दिक्कत दूर हो सकती है, कानून के बंधन से भी आप बच जायेंगे और हाई कोर्ट की रूलिंग्ज से भी आप बच सकते हैं। यह तर्क भी हो सकता है कि अगर स्वत: सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित हो कर खातेदार जमीन न दें तो यह बात है। ऐसी शंका है। तो उस शंका का निवारण करने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय जिससे बोझ भी नहीं पड़े और काम भी बन जाय और विधेयक भी न हो। आज के मौजूदा विधेयक में हमको इन तमाम बातों का समावेश नहीं दिखाई पड़ रहा है।

जब यह सदन सवा दो बजे उठा उस समय मैंने माननीय माल मंत्री जी से जानने की कोशिश की थी। यह ६ पेज पर है। "राज्य सरकार चकबन्दी के व्यय की धनराशि निश्चित करेगी" अभी तक क्या था? अधिकारी निश्चित करता था? अधिकारी किस नियम के मातहत निश्चित करता था? मैं समझता हूं कि वह नियम बनाने का अधिकार सरकार को था। सरकार के द्वारा कोई न कोई नियम बनाये गये होंगे। उसी नियम के मुताबिक वह कर्मचारी करता था। अब उस अधिकार को राज्य सरकार ले रही है, मगर सदन के माननीय सदस्य अभी तक अंधकार में हैं कि राज्य सरकार क्या नियम बनायेगी, क्या रकम निश्चित करेगी। किसी को जानकारी नहीं है। अगर यहां पर कह दिया गया होता कि राज्य सरकार ८ आना एकड़ चकबन्दी के लिये लेगी या एक नामिनल रकम लेगी, जैसा कि शुरू शुरू में दूसरे प्रदेश में किया गया, वह यहां भी हो सकता था। उस समय सदन के सम्मानित सदस्य इसको दूसरे तरीके से सोचते मगर यहां पर तो कह दिया जा रहा है कि राज्य सरकार चकबन्दी के व्यय की धनराशि निश्चित करेगी। वह धनराशि क्या होगी? आज मौजूदा जमाने में जो किसानों को चकबन्दी के व्यय की धनराशि देना पड़ रही है उससे कम होगी या अधिक होगी, उसकी कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं हुई है।

इस सदन के सम्मानित सदस्यों से यह सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और चाहती है कि सदन सरकार को यह अधिकार दे दे कि सरकार जो भी धनराशि निश्चित करे वह चकबन्दी कराने वाले कृषकों को देना पड़े। मैं उस अधिकार के देने के विरुद्ध हूं और मैं चाहता हूं कि जब सन् १९५३ से चकबन्दी का कानून हमारे प्रदेश में लागू है, उसके अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में चकबन्दी योजनायें कार्यान्वित हुई हैं तो अब तक सरकार के पास इतने आंकड़े मिल जाने चाहिये थे कि उन आंकड़ों को सामने रखते हुए वह इस सदन में कोई निश्चित रकम पेश करती और सरकार यह बताती कि अब हम किसानों से चकबन्दी करने में जो व्यय होता है उसके मुताल्लिक इतनी रकम लेंगे। मगर आज, चार साल तक चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने के बाद भी, सरकार किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पायी है कि चकबन्दी के लिये उसे किसानों से क्या रकम लेनी चाहिये। इसलिये श्रीमन्, मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकार के हाथ में इतना बड़ा व्यापक अधिकार न दें। मैं माननीय माल मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि अगर वह अधिकार लेना चाहते हैं, उनको सरकार अधिकार लेना चाहती है तो इस निश्चित रकम को वह हमारे सामने पेश करें। मगर वह निश्चित रकम पेश नहीं करेंगे।

इसी के साथ साथ श्रीमन्, देखा जाय यह धारा १८ जो ३६–क के रूप में रख जाने की बात कही गई है। "यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में आगम का यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है, अथवा किसी विशेष दिनांक पर था तो इसे आगम का प्रश्न नहीं समझा जायगा।" इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझा जाय। मुझे वह सम्मानित सदस्य यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठा कर सदन का समय नष्ट करने का का प्रयत्न किया था। सो रहे हैं। मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की मर्यादा की सुरक्षा के लिए अगर किसी को नींद आती है तो वह लाबी में चले जांय, सदन में बैठ कर न सोयें।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—मैं कह रहा था कि जो ३६ एक नई धारा के रूप में बढ़ाया जा रहा है इसमें सरकार अपने अफसरों को बड़ा व्यापक अधिकार देने जा रही है। वहीं पर वह इस प्रश्न को भी हल कर दे। अब देखा जाय कि कोई सीरदार है, कोई भूमिधर है, कोई अधिवासी है या नहीं। हमको इसका अनुभव है और मैं समझता हूं कि जो किसानों के बीच में काम करने वाले हैं वह इस बात को जानते होंगे और श्रीमन्, अगर आप कहें तो मैं यह भी हिम्मत करने के लिये तैयार हूं कि मैं माननीय माल-मन्त्री जी को साक्षी बता सकता हूं—क्या कानून के मुताबिक जो ५६ में खाते पर काबिज थे और जिनको सीरदारी का हक हासिल हो जाना चाहिये था वह आज भी सीरदार हैं या नहीं। माननीय मंत्री जी इस बात को मानने के लिये तैयार होंगे, चाहे उनके और साथी इसका विरोध करें कि बहुत से सीरदार जिनको सीरदार होना चाहिये था आज जिनके कब्जे में जमीन रह गयी थी वह बेदखल हो गये हैं और सरकार का कानून और उनकी कवइरी उनके हक को हिफाजत नहीं कर पायी है। यह सब माननीय मन्त्री जी जानते हैं। क्यों सरकार को ऐसी इच्छा थी कि जिस इच्छा को लेकर किसानों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। मैं चाहता हूं कि आज भी क्यों नहीं सरकार की ओर से मुक्त कंठ से इस बात को घोषणा की जाती कि जो ५६ और ५९ में काबिज थे और जिनको सीरदार का हक मिल चुका है और बाद में नाजायज तरीके से बेदखल जिनको किया गया है या किसी तरीके से भी बेदखल किया गया है उनका फिर वही टाइटिल माना जायगा। क्यों नहीं सरकार यह कहती। सरकार कहे कि जिनका नाम कागज में सीरदार के रूप में आ चुका है अगर किसी प्रकार से जमीन से बेदखल हो चुके हैं तो वह जमीन उनके पास जायगी। जब मैं इस मांग को सदन में प्रस्तुत करता हूं तो हो सकता है कि बाज माननीय सदस्य यह कहे कि कोई ऐसी बात की जा रही है जिसको नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है। सरकार की ओर से बराबर इस बात का एलान किया गया है कि जो शिकमीदार रहे हैं उनके शिकमी हक की हिफाजत करने के लिये शिकमी कानून बनाया जा रहा है। जबकि इस पवित्र उद्देश्य की घोषणा की गयी है तो क्यों नहीं इस उद्देश्य का परिपालन किया जा रहा है। इस टाइटिल के प्रश्न को हल करके चकबन्दी के करने की जरूरत है।

मैं निवेदन करूंगा कि जो शिकमी काश्तकार थ और जिनको शिकमी का हक मिल चुका है अगर शिकमी हक मिलने के बाद उनके कब्जे से जमीन निकल चुकी है तो वह पुनः उस जमीन पर काबिज किये जायं और समझे जायं। उनके पक्ष में इस पार्टी के प्रश्न का निर्णय किया जाय। जब मैं इस मांग को प्रस्तुत करता हूं तो मुझे मालूम नहीं कि उनकी ओर से क्या तर्क दिया जायगा। जैसा उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को कह कर अपने आप से ही जवाब न दूं इसलिये मैं यहीं रहना चाहता हूं किन्तु अपनी भावना को जरूर व्यक्त करना चाहता हूं। भावना को ही व्यक्त नहीं करना चाहता बल्कि यह अनिवार्य और जरूरी समझता हूं।

[श्री राजनारायण]

इसको अनिवार्य ही नहीं समझता हूं बल्कि इसको समाज के लिये कलंक समझता हूं और सरकार की ओर से जो इसकी घोषणा की गयी है उस घोषणा को पीछे जाने का कार्य समझता हूं। इसलिये मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आज किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। जो शिकमी काश्तकार के रूप में जमीन को जोतनेवाले थे और जो 'टिलर आफ दि स्वायल' कहे जाते थे आज वह अपनी जमीन से अलग हैं।

श्रीमन्, आपको भी जानकारी होगी कि सीरदार आज भी लगान दे रहे हैं, लगान हम भी दे रहे हैं लेकिन वह जमीन कब्जे में है माननीय राजबिहारी जी के। यह सरकार का कानून है। वे बनारस के हैं लेकिन मेरे नजदीक बनारस और देवरिया में कोई अन्तर नहीं है। मैं तो सारे सूबे की तरफ से यहां बोल रहा हूं। मैं बनारस के प्रतिनिधि के रूप में यहां नहीं हूं। मैं सोशलिस्ट पार्टी के निर्भीक सिपाही की हैसियत से यहां खड़ा हूं किसानों, मजदूरों और गरीबों के हकों की हिफाजत करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय सदस्य एक सदस्य की हैसियत से यहां भाषण दे रहे हैं, न कि सोशलिस्ट पार्टी की हैसियत से।

श्री राजनारायण—पार्लियामेंटरी सिस्टम में मालूम होता है हमारे माननीय सदस्य सर्वोदय हो गये हैं क्योंकि यहां लिखा है कि समाजवादी दल के नेता और वहां लिखा है कि प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के नेता।

मैं माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वह टाइटिल के प्रश्न को ले रहे हैं तो जरा दूर तक देखें ताकि झगड़ा न बढ़े। आज तक जो झगड़े पड़े हुये हैं उनमें नई पेचीदगियां हों, बल्कि उनमें सुलझाव हो। लेकिन इसके रहते हुये झगड़े बढ़ेंगे। माननीय माल मंत्री जी मान लेंगे और आगे आने वाला ज़माना उनको बतलावेगा कि अगर वह हमारी बात नहीं मानेंगे तो इससे झगड़े बढ़ते हैं या नहीं। जिनकी जमीन जा रही है वे अपनी छाती पर पत्थर रख लेंगे और कहेंगे कि अच्छा, भाई, चलो, चली गई सो चली गई, मगर जब तक कानून के रास्ते से गुंजाइश रहती है कि हम जबरदस्ती अगूंठा लगवा कर जमीन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। जिनके पास कुछ सरमाया है वह अपने सरमाये का इस्तेमाल करने के तमाम तरीके प्रतिपादित कर सकते हैं।

अधिकारियों के कर्त्तव्य के बारे में केवल पोथी में लिख देने से पूरा नहीं होता, उसे करने से होता है।

एक बात यह है कि हमारे यहां कुछ लोगों को भ्रम है कि राजनीतिक और कानूनी समता ही काफी है, वह समझते हैं कि सबको बालिग मताधिकार मिल गया तो काफी है और साम्यवाद हो गया। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब तक जमीन और धन में समानता नहीं होगी तब तक ये सारी समानतायें असमानताओं में बदलती रहेंगी। इसलिये माननीय देवकी नन्दन जी विभव से, जो कभी कभी समाजवाद और समाजवादी पैटर्न की बात यहां कहा करते हैं, कहूंगा कि जहां हमारे यहां कानून की और राजनैतिक समानता है वहां हमारे मार्ग में गतिरोध यह है कि हमारे समाज में और धन में समानता नहीं है। इसलिये आज सोशलिस्ट पार्टी की, जिसके प्रतिनिधि होकर हम यहां हैं, लड़ाई है कि ईक्वलिटी बिफोर ला और ईक्वलिटी बिफोर पोलीटिक्स ही काफी नहीं है जब तक कि समाज और धन की समानता नहीं होगी। आज इस कानून में हम देख रहे हैं कि समाज और धन की समानता की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सरकार द्वितीय सोपान में चल रही है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अकल की समानता की बात.....

श्री राजनारायण--आप उस थ्यूरी पर मत जाइये जिस पर कुछ दूसरे लोग जाया करते हैं। हम तो चाहते हैं कि इन्सान को हर जरूरत पूरी होनी चाहिये। जब तक ८ आने, ४ हजार और १० हजार रुपये वालों असमानता रहेगी तब तक सब नारे धोखे और जाल बट्टा होंगे। माननीय माल मंत्री जी से पहले भी मैंने निवेदन किया था और आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह संशोधन विधेयक आया है तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती कि जो छोटे-छोटे किसान, चाहे उनको सीरदार अथवा भूमिधर की संज्ञा दी जाय, उनको चकबन्दी करते समय अच्छी और पास की जमीन क्यों नहीं दिलाई जाती है। मैं समझता हूं कि जो सोशल इक्वेलिटी है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, उसमें पक्षपात किया जाता है। इसलिये मैं इस बात का नारा बुलन्द करूंगा क्योंकि जो चकबन्दी योजना कार्यान्वित की जा रही है, वह इस बात को प्रकट करती है कि जो बड़े-बड़े खातेदार हैं, जो लोग ताकत रखते हैं, वे बढ़िया जमीन पा जाते हैं, अव्वल नंबर की जमीन पा जाते हैं और जो गरीब बेचारे हैं वे दूर भगा दिये जाते हैं और उनको तीसरे नंबर की जमीन मिलती है चाहे वे पहिले नंबर की जमीन के मालिक क्यों न रहे हों। क्या इसी से राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय उत्थान और कल्याण होगा? इस प्रकार से छोटे-छोटे खेतों वाले असहाय दरिद्र लोग दूर भगा दिये जायेंगे और खराब जमीन पायेंगे और जिनके पास बड़े-बड़े चक हैं उनको और अच्छी जमीन मिल जायगी।

इसलिये श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब तक इस चकबन्दी विधेयक के अन्तर्गत इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जायगा तब तक यह चकबन्दी विधेयक सही मानों में किसानों के हक की हिफाजत करने वाला नहीं होगा। यह बात इस वजह से कही जाती है कि इससे बहुत सी मुसीबतें बढ़ी हैं। नाजायज तरीके से लोगों से पैसा वसूल किया गया है। २०-२० रुपया से लेकर किसी किसी इलाके में २०० रुपया तक रिश्वत ली गयी है। अच्छी जमीन पाने के लिये यह एक आम रेट खोल दिया गया है। इन तमाम बातों के बारे में यदि माननीय मंत्री जी सबूत चाहें तो वह भी पेश किया जा सकता है। लेकिन सबूत पेश करने से कोई काम हल होने वाला नहीं है जब तक कानून के अन्तर्गत आप कोई ऐसा इन्तजाम नहीं करते हैं जिससे यह काम करना ही असंभव हो जाय।

श्री चरणसिंह—मैं ऐसी ही किसी बात की खोज में था और चाहता था कि आप उसको बतलायें।

श्री राजनारायण—यह बात सही है। लेकिन श्रीमन्, मैं परेशान यों हो गया कि माननीय माल मंत्री जी को कई सुझाव दिये गये, लेकिन उनकी समझ में नहीं आये जिससे इस विधेयक के दोष दूर हो सकते। लेकिन अब फिर समझाता हूं। चूंकि मौजूदा कानून में वहां अफसरों और अधिकारियों को यह अधिकार है कि छोटे किसानों को वे दूर भगा दें और बड़े किसानों को नजदीक ले आयें और बड़े किसान अच्छी जमीन पाने के लालच में उनको रिश्वत भी दे। छोटे भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि छोटे खातेदारों को अच्छी जमीन ही मिलेगी और नजदीक में ही मिलेगी तो बात साफ हो जायगी। क्या अब भी माननीय माल मंत्री जी को भ्रम रह गया? एक बात तो दूर हुई न। अगर हम कानून के अन्दर इस बात को लाते हैं तो जो छोटे किसान हैं वे अच्छी जमीन पहले पायेंगे, गोंयड़ जमीन पहले पायेंगे और क्रमशः बड़े-बड़े खातेदार दूर हटते जायगें तब तो कोई वेगनेस नहीं रह गयी? एक निश्चित चीज हो गयी। और इस अनिश्चितता के अभाव में ही जो रिश्वतखोरी होती है वह नहीं होगी। यह बात ठीक है। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की परिधि बढ़ाते हुए सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का प्रस्ताव मैंने रखा है। इस बात को भी माननीय माल मंत्री जी आज मनाने में असमर्थ हैं कि जमीन का बटवारा पहले हो और चकबन्दी बाद में हो। अगर जमीन का बटवारा हो जायगा और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जायगी और इस सदन के माननीय सदस्य जब समझ

[श्री राजनारायण]

लेंगे कि हमें २०, ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी तब वे काहे के लिये १५० एकड़ जमीन लेने की कोशिश करेंगे। जिनके पास जितनी जमीन रहेगी उसी की उत्पादन शक्ति को वे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह तो कोई वेग नहीं है ?

उसी तरह से हमने सीरदारी के सवाल को बतलाया। अगर हम इस टाइटिल को यहीं पर डिसाइड कर दें जिस टाइटिल को डिसाइड करने का अधिकार हम कुछ कर्मचारियों को देने जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं माननीय मंत्री जी टाइटिल के सवाल को यहीं पर निश्चित कर देते हैं कि ५६ से ६० एकड़ तक जोतने वाले जो शिकमीदार हैं, जिनको कानूनी तौर पर सीरदारी का हक मिला हुआ है, जो सीरदारी के खाते में दर्ज हो चुके हैं, अगर किसी भी प्रकार से जमीन उसके हाथ से निकल गयी और उस जमीन को वह लेना चाहता है तो वह जमीन उसको मिलेगी, वह जमीन उसके कब्जे में आ जायगी ? अगर यह हो जाय तो तमाम जो रिश्वतबाजी हो रही है, जो इसमें तमाम जबरदस्ती हो रही है और कचहरियों में जो दूसरे लोगों को खड़ा करा कर बयान दिलाया जाता है कि मैं फलां आदमी हूं और मैं स्वत: अपनी जमीन फलां सख्स के पक्ष में छोड़ रहा हूं, यह बात भी नहीं होगी और यह जो तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रिश्वतखोरी कुनबा परस्ती व अवसर बादिता चल रही है, वह भी दूर हो जायगी और माननीय माल मंत्री जी जब यह निश्चित कर देंगे कि हम बटवारे के बाद जब चकबन्दी होगी तब नाममात्र का खर्चा ८ आने या ६ आने एकड़ के हिसाब से जो होगा ले लेंगे, तो वह भी डेफिनिट हो जाता।

सरकार कहती है कि उस तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं कि जमीन का बटवारा हो, क्या यह कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं है ? इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाय क्या यह कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं है ? गरीबों के हकों की हिफाजत हो क्या यह कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं है ? अगर सरकार समझती है कि ग्रामीण जनता की आमदनी को कम करना, चोरी, डाके, कत्ल, राहजनी, दंगे, फसाद का नित्य प्रति होना ही कंस्ट्रक्टिव है तो माननीय देवकी नन्दन विभव जी मुझे क्षमा करेंगे, हम इस मामले में सरकार को अपने पास फटकने भी नहीं देंगे और प्राणपण से उसका बराबर विरोध करते रहेंगे। और कंस्ट्रक्शन के नाम पर देश और समाज का डिस्ट्रक्शन करना है तो उसको हम नहीं मानेंगे। कंस्ट्रक्शन सही मानों में होना चाहिये और इसी भाव से प्रेरित होकर हम यह प्रस्ताव लाये हैं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसकी परिधि को और व्यापक बनाया जाय और इन मूलभूत सिद्धांतों को सामने रख कर हर बात को सोच समझ कर ठीक करके जल्द से जल्द विधेयक को सदन में लाने की व्यवस्था की जाय।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भगवतीसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन उसके पक्ष में अपनी बात कहने से पहले मैं कुछ बातों के बारे में माननीय माल मंत्री महोदय को आश्वास्त कर देना चाहता हूं। मैं उनको इस बात का इतमिनान दिलाना चाहता हूं कि सिद्धान्तत: मैं चकबन्दी का और इस विधेयक का विरोधी नहीं हूं। यद्यपि मैं यह भी जानता हूं कि चकबन्दी की उपयोगिता निर्विवाद नहीं है और माननीय माल मंत्री जी भी इस बात को अवश्य ही जानते होंगे कि हमारे कालेजों में आज भी इंडियन रूरल इकनामिक के बारे में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनमें चकबन्दी के पक्ष में और उसके विपक्ष में—दोनों ही ओर दलीलें दी जाती हैं, फिर भी मेरा सुझाव चकबन्दी की उपयोगिता के पक्ष में है और मैं समझता हूं कि आन दि होल और साधारणत:, आर्डिनरिली हमारे किसानों को चकबन्दी से लाभ होना चाहिये। मैं अगर अर्थ शास्त्र की शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करूं तो इसी बात को और शब्दों में कह सकता हूं कि 'अदर थिन्ग्स बीइंग ईक्वल" चकबन्दी से किसानों को लाभ ही पहुंचेगा और वह इसीलिये भी पहुंचेगा कि मैं यह भी जानता हूं कि माननीय माल मंत्री जी किसानों के हितैषी

हैं, सच्चाई से उनका उद्धार करना चाहते हैं, अपने विषय के मास्टर होते हुये भी उसका अध्ययन करते रहते हैं और वह स्वयं कृषक भी हैं, मैं उनको जानता हूं और मानता हूं और मुझे उनकी उच्चाई, ईमानदारी, सदाशयता और नेकनियती में पूर्ण विश्वास है और इन्हीं तीन बातों से मैं यह भी मानता हूं कि चकबन्दी का काम पार्टी बन्दी से परे है, वह एक पवित्र काम है, जिस में सब लोगों को पूर्ण सहयोग देना चाहिये लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 'अदर थिन्ग्स आर नाट ईक्वल।' इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रवर समिति में शान्ति के साथ उन कारणों पर विचार करें कि जिनकी वजह से चकबन्दी की उपयोगिता से पूरा लाभ नहीं हो रहा है उसके सिद्धान्तों को मानते हुये भी, इस सदन में और बाहर जो उसका विरोध हो रहा है, वह कारण क्या हैं और किस तरह से दूर किये जा सकते हैं, वह कारण यहां सदन में एक दूसरे से बहस करके नहीं मालूम हो सकते, यहां तो हम 'वी टाक एट ईच अदर' लेकिन प्रवर समिति में जाकर "वी कैन टाक टु ईच अदर।" जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे के सुझाव के सम्बन्ध में हम एक दूसरे की कठिनाई को जानें और ऐसे हल निकालने की कोशिश करें कि जहां तक हो सके हम सर्व सम्मत हो जायं और वह हल, ऐसे हों कि जिन में दोनों बातों का समन्वय हो सके और चकबन्दी की उपयोगिता का पूरा लाभ भी किसानों को मिल और चकबन्दी के वर्किंग और इम्पलीमेंटेशन के कारण जो नुकसान पहुंचा है और जिसकी वजह से विरोधी दल को बहुत शिकायत है वह दूर की जा सके।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री जी से केवल ३ मोटी-मोटी बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस कानून का वर्किंग जो है वह "इन दि वेरी नेचर आफ थिन्ग्स' यह जो प्रासेस आफ कनसालिडेशन है वह ऐसा है कि जिससे किसानों को नुकसान पहुंचाने की गुंजायश रहती है। बहुत से लूपहोल्स हैं। जैसा कि मैंने कहा वह इन दि वेरी नेचर आफ थिंग्ज हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता जिनसे कि किसानों के साथ अन्याय किया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है। मैं सदन का पिष्टपेषण और वर्णित वर्णस्य करके समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन उदाहरणार्थ अपने कथन के समर्थन में सांकेतिक रूप से एक आध बात कह कर, आगे बढ़ना चाहता हूं। उदाहरण के लिए इस बात को माननीय माल मंत्री भी जानते और मानते हैं कि भूमि की किस्म एक सी नहीं होती। माननीय माल मंत्री महोदय ने कल ही दूसरी जगह स्वयं कहा था कि एक ही खेत के अगर दो टुकड़े किये जायं तो वह भी बिलकुल एक से नहीं हो सकते। यह इस बात का उदाहरण है कि जो कि वर्किंग में लूपहोल्स हैं और वह उन लूपहोल्स को रोकने में, लोगों के निकल भागने और अन्याय और शोषण के रास्ते जब तक न बन्द करें तब तक अन्याय और शोषण की गुंजायश रहेगी और जब गुंजायश रहेगी तो सब लोग अर्जुन तो हैं नहीं जो उर्वशी से इनकार कर दें, सब लोग महादेव तो हैं नहीं जो तीसरा नेत्र खोल दें। मनुष्य मनुष्य हैं और अगर टेम्टेशंस होंगे तो अच्छे मनुष्य को भी उन टेम्टेशंस में पड़ जाने की सम्भावना रहती है, गुंजायश रहती है। ईसाइयों की, माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक प्रार्थना है, "लीड मी नाट अंट् टेम्टेशन।" तो हम उस प्रार्थना को मानें या न मानें लेकिन जो कानून बनाएं उस कानून में टेम्पेशन को जहां तक हो सके मिनिमाइज करें, अगर हम पूर्ण रूप से दूर न कर सकें। तभी हम अच्छे आदमियों को भी ईमानदार रख सकते हैं। टू मच टेम्टेशन होने से अच्छा आदमी भी खराब हो सकता है।

तीसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि बात सही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोग रखे गये हैं माननीय माल मंत्री महोदय भी यह मानेंगे कि वह उस योग्यता के और उस स्तर के नहीं हैं जैसी योग्यता और स्तर के व्यक्तियों को ऐसे अधिकार दिये जाने चाहिए। दलीलें दी जाती हैं, उस दलील के वजन को मैं मानता हूं, कि इस स्तर के और योग्यता के व्यक्ति अगर रखे जायं तो वेतन बहुत देना पड़ेगा और शायद ऐसे लोग इतनी संख्या में मिलें भी नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि इन कठिनाइयों के वजन को अगर मान

[श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल]

लिया जाय तो उस हालत में तो दूसरा हल यही रह जाता है कि ऐसे आदमियों को ऐसे बड़े अधिकार न दें जिससे काम को वह न कर सकें। यह माननीय माल मंत्री महोदय मानेंगे कि कंसालिडेशन आफिसर्स का जो परसोनेल है वह जुडीशियली ट्रेंड माइंड का नहीं है। और इस सिद्धांत को माल मंत्री महोदय भी मानते हैं कि जुडीशियरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेट होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि "इन दि वेरी नेचर आफ थिंग्स" "इन दी प्रोसेस आफ थिंग्स", जिसमें काफी अक्सप्लायटेशन, भ्रष्टाचार और अन्याय तथा अत्याचार की गुंजायश है उसको कम से कम करने, उसको मिनिमाइज करने का उपाय हमें सोचना चाहिए। तो कहां तो जुडीशियरी को एग्जिक्यूटिव से सेपेरेट करने की बात कही जाती है कहां आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको आप असिस्टेंट कंसालिडेशन डाइरेक्टर कहते हैं उसके निर्णय को अन्तिम कर दिया है यानी जुडीशियरी का रास्ता बन्द कर दिया है और आल पावर्स आफ जुडीशिरी को विदाउट राइट आफ अपील आपने एग्जिक्यूटिव को दे रखी हैं। वह लोग जो जुडीशियली ट्रेंड माइंड के नहीं हैं उनके हाथ में जुडीशियरी की पावर्स दे रखी हैं।

इसलिए इसमें जो इस तरह के लूप होल्स हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। सुझाव के तौर पर यों बहुत कहा जा सकता है, बीसों सुझाव दिये जा सकते हैं और उन सुझाओं पर भी बहस करें तो और भी बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं, और एक दूसरे के विरोध और अपने समर्थन में अगर हम दलीलें दें तो एक दिन में क्या, एक महीने में भी इस बिल पर बहस नहीं हो सकती। इसीलिए इस बात की आवश्यकता होती है कि यह कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय जहां तक शान्त वातावरण में हम दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे वातावरण में ऐसी समस्याओं पर अच्छी तरह से विचार कर सकें।

मेरा पहला सुझाव तो यह है कि राइट आफ अपील होना चाहिये। क्योंकि तमाम, हक की बाबत और सब बातों के लिये भी, एग्जीक्यूटिव पर छोड़ देना गलत है।

दूसरी बात उदाहरण के लिये जो कार्यवाही रजिस्टर है उसकी ट्रू कापी गांव सभा या लैंड मैनेजमेंट कमेटी या जो चकबन्दी समिति है उसके पास जरूर होनी चाहिये। उसकी ऐबसेंस में, लोग तो कहते हैं कि काफी उसमें ज्यादतियां होती हैं फैबीकेशन्स भी होते हैं। ये ऐलीगेशन्स सहीं हों या गलत हों लेकिन उनको दूर करने के लिये उसकी ट्रू कापी आप क्यों नहीं गांव सभा को देते हैं? चकबन्दी समिति को देते हैं? जिससे गांव वाले भी देख सकें कि यह कार्यवाही हुई और इसके अनुसार हमारा काम हो रहा है।

तीसरी बात खतौनी और नक्शा जो तैयार होता है उसकी नकल भी गांव समाज को और चकबन्दी समिति को मिलनी चाहिये जिससे वह यह देख सकें कि जो खतौनी बनी है, जो नक्शा तैयार हुआ है वह ठीक है या नहीं और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां कर सकें। जो आपने आपत्ति करने की व्यवस्था रखी है उसमें मुझे ऐसा मालूम हुआ, मेरी अगर गलती हो तो मंत्री महोदय मुझे बता देंगे, आपने रखा है कि सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से २१ दिन के अन्दर अपील कर देनी चाहिये। तो सूचना प्रकाशित हुई और कार्यालय से भेज दी गई और किसान को मिली १५ दिन बाद। तब तो फिर २१ दिन की मुद्दत नहीं मिली। अगर यह व्यवस्था है तो इसको स्पष्ट कर दिया जाय। किसान को सूचना मिलने के दिन से २१ दिन या १५ दिन माने जायं तब तो वह उससे लाभ उठा सकते हैं। शिकायतें तो यहां तक है कि, वास्तव में किसान पढ़े लिखे नहीं होते उनको मियाद निकलने के बाद सूचना दी जाती है और यह कहा जाता है कि तुम २१ दिन के बाद अपील कर सकते हो, और उनसे दस्तखत करा लेते हैं कर्मचारी लोग तो इस तरह की जो गुंजायशें हैं तो उनको मिटाना हमारा काम है।

चौथी बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि चकबन्दी की योजना किसी गांव में लागू होने से पहले अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय कि जहां कम से कम ७५ फीसदी गांव की जनता उसके पक्ष में नहीं है, आपने उसको समझा बुझा करके उसके लाभों को समझा बुझा करके अपने पक्ष में नहीं कर लिया है, वहां लागू नहीं होनी चाहिए। मैं तो यह भी कहूं कि जब नक्शा बन जाय और चकबन्दी हो जाय तब उसके बाद भी अगर गांव की ७५ फीसदी जनता कोई आलटरनेटिव नक्शा पेश करती है तो उस पर विचार होना चाहिये और जब तक विशेष कारण न हों तब तक उनको माना जाना चाहिये।

अपील की बात जो मैंने कही वह एक दम ही सीमित नहीं रहनी चाहिये। उसमें भी यह होना चाहिये कि जमीन की किस्म के विभाजन के बारे में भी अपील करने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिये। यह मैंने ४, ५ बातें, जिसको स्थायी न्याय कहते हैं, उसके अनुसार बतायी। ये ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको क्या कठिनाई है हमारी बातों को मानने में और आपकी व्यवस्था में हमारी क्या कठिनाई है यह अगर हम एक दूसरे की सुन कर समझ सकें तो लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने जिस संशोधन का नोटिस दिया था उसमें मैंने अधिकार और परिधि बढ़ाने की बात नहीं रखी। उसका कारण यह था कि मैंने यह समझा कि अगर मंत्री महोदय की यह राय हो कि इस विधेयक के देर से पास होने में किसानों का नुकसान होगा तो परिधि और अधिकार बढ़ाने की वजह से उद्देश्य को विफल करना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने उसके सम्बन्ध में केवल प्रवर समिति में भेजने की बात कही थी। लेकिन यह मेरी आज भी इस समय भी माननीय माल मन्त्री जी से प्रार्थना है, यह वह सोंचे कि वह एक बाकायदा कमेटी इस बात के लिए बनावें जिसमें कि सब दलों के लोग हों जो आपस में मिल करके इस बात पर विचार कर लें कि जो एक दूसरे की कठिनाइयां हैं, किसानों की जो शिकायतें हैं, वह किस तरह से दूर हो सकती है। और जब इस तरह से एक शान्त वातावरण में हम एक दूसरे की बात समझेंगे तभी जिस सहयोग को हमसे मांग की जाती है वह हमसे मिल सकेगा और जन सहयोग भी मिल सकेगा। लेकिन जब तक कि आप हमारी बात को न समझें, हम आपकी बात को न समझें तब तक केवल आपकी ओर से सहयोग-सहयोग चिल्लाने से हमारी ओर से आपकी बात को गलत कह कर उसकी आलोचना और निन्दा करने से न हमारा कोई लाभ होने वाला है, न सदन का कोई लाभ होने वाला है, न किसानों का कोई लाभ होने वाला है और न जनता का ही कोई लाभ होने वाला है। इस लिए हम अपने भाषणों में एक दूसरे पर आक्षेप करने के बदले अगर रचनात्मक सुझाव दें और ऐसी बात रखें जिससे एक दूसरे को समझने में हमें सुविधा हो, हम एक दूसरे के नजदीक पहुंच सकें तो वह जनतंत्रीय तरीका भी है और गांधी मार्ग का तरीका भी है। ऐसा वातावरण हम अपने विचार से, अपनी बात से, अपने कदम से इस सदन में बना सकते हैं। किन्तु एकाध बात मैं माननीय माल मन्त्री जी से कह देना चाहता हूं। उन्होंने यह बात कही थी आज भी कह सकते हैं, बार-बार यह बातें कही जातीं हैं, आंकड़े दे दिये जाते हैं। आंकड़े यह साबित करते हैं किसान सन्तुष्ट हैं। आंकड़े यह साबित करते हैं कि इतने लोगों ने अपील नहीं की, आपत्ति भी सिर्फ इतने लोगों ने की।

माननीय अधिष्ठाता जी, आज से ३६, ३७ वर्ष पहले जब मैं एम० ए० में अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था तो उस समय अंक विज्ञान की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी और उस पुस्तक में जो सबसे पहली बात मैंने पढ़ी थी और जो मुझे आज तक याद है वह यह है कि स्टेटिस्टिक्स कैन बी मेड टु प्रूव एनीथिंग। आंकड़ों के जाल से आंकड़ों के जरिये हम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य साबित कर सकते हैं। और अगर व्यावहारिक राजनीतिक का उदाहरण चाहते हों माननीय माल मन्त्री महोदय तो मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हम और वह साथ-साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम करते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब यह सवाल आता था कि भारत की जनता स्वराज्य चाहती है या नहीं तो वहां के प्रधान मन्त्री चर्चिल साहब आंकड़ों से साबित कर दिया

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

करते थे कि भारत की जनता स्वराज्य नहीं चाहती। वह कहते थे कि मुसलमान इतने परसेंट हैं, मुस्लिम लीग स्वराज्य नहीं चाहती, शिड्यूल कास्ट वाले इतने परसेंट हैं, डाक्टर अम्बेडकर स्वराज्य नहीं चाहते, यह व्यापारी इतने परसेंटेज हैं, यह स्वराज्य नहीं चाहते, राजे महाराजे इतने हैं, वह स्वराज्य नहीं चाहते और परिणाम यह निकलता था अधिष्ठाता जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके आंकड़ों का जब हम जोड़ लगाते थे तो यह मालूम पड़ता था कि १३६ प्रतिशत जनता स्वराज्य नहीं चाहती। तो यह आंकड़ों का मायाजाल है। इसलिए आंकड़ों में हमें जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आंकड़ों को हमें बुद्धिमत्ता के साथ देना चाहिए।

श्री चरणसिंह—चचिल के और हमारे आंकड़ों में फर्क हो सकता है न?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी हां। यह माना और हर सही चीज को मैं मानूंगा, लेकिन माननीय माल मन्त्री महोदय से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनके दृष्टिकोण में और हमारे दृष्टिकोण में भी फर्क हो सकता है। चर्चिल, मैं उन्हें नहीं मानता, लेकिन उन्हें सत्ताधारी पार्टी का एक सत्तासम्पन्न, सत्तासीन, पदासीन महानुभाव तो मानता ही हूं और वह फिलास्फी से, लाजिक से, तर्क शास्त्र से दोनों ही से इस बात को जानते होंगे कि दृष्टिभेद से बहुत भारी अन्तर पड़ जाता है। एक ही चीज को दूसरे दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हमें स्वयं अलग दिखाई देता है। अगर हम कुतुबमीनार को दूर से देखते हैं तो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है और नजदीक से जाकर देखते हैं तो हमें ही वह बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। दृष्टि दोष के कारण एक चीज अपने ऐंगिल से देखने पर बिल्कुल भिन्न हो जाती है।

मैं उनकी यह बात मानता हूं कि हम जो शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार, अत्याचार और न्याय के सम्बन्ध में उनमें से बहुत सी बातें कतई गलत हैं। यह भी मैं मानने को तैयार हूं कि उनमें से कुछ बातें द्वेषपूर्ण, अतिरंजित और स्वार्थपूर्ण हों या जितनी हम कहते हों उतनी न हों। लेकिन आप भी यह मानिये कि इतना अवश्य है जिससे जनता व्याकुल है। आप चाहे जितना भी राष्ट्र विकास कर लीजिये, राष्ट्र उत्थान कर लीजिये, लेकिन जिस तरह से भेड़ों के ऊपर ऊन बढ़ने से भेड़ों को कोई लाभ नहीं होता उसी तरह से पूंजीवादी और नौकरशाही शोषण जारी रहने से जनता को उस राष्ट्र विकास से कोई लाभ नहीं होने का। राष्ट्रीय आय चाहे आप दुगुनी कर लीजिये, अगर भ्रष्टाचार और शोषण ढाई गुना हो गया तो परिणाम यह तो अवश्य होगा कि आप आंकड़ों से साबित कर देंगे कि राष्ट्रीय आय दुगुनी हो गई लेकिन जनता को उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हम दोनों एक दूसरे को समझें।

माननीय माल मंत्री ने एक बात कही जिससे उनकी सचचाई और साहस के बारे में मैं उनको दाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशियली नहीं, मारेल कंविक्शन के साथ कह दे कि अमुक अधिकारी ने उनके चकबन्दी विभाग में रिश्वत ली है या एक्सटोर्शन किया है तो वे उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन एक बात की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टर होते हुये भी, सत्तासीन होते हुये भी उनकी अपनी भी कुछ सीमायें हैं।

मैं अक्सर यह कहा करता हूं कि डेमोक्रेसी और रूल आफ ला में जिनकी थैली लम्बी हुआ करती है वे जितना लाभ डेमोक्रेसी में उठाते हैं उतना आम जनता नहीं उठा पाती। इसी-लिये यह कहा जाता है कि विदआउट एक्नामिक एक्वलिटी सिर्फ पोलिटिकल इक्वलिटी और डेमोक्रेसी जो वोट की है वह एक फ्राड है।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे मालूम है कि कांग्रेस के मेरे कुछ साथियों ने अधिकार के साथ यह बात कही कि एटा जिले में जो डाके पड़ रहे थे उसका एक कारण होतीलाल जी दास ने,

जो उन्हीं की पार्टी के हैं, बतलाया कि डाकुओं ने एक नया तरीक़ा अख़्तियार कर लिया है। जिस डाके में वे पहचान लिये जाते हैं और पकड़ लिये जाते हैं और मुक़दमा चलता है तो उसमें उनका एजेंट आ कर कहता है, उसके यहां जिसके यहां डाका पड़ता है, कि अगर सजा हो गई तो हममें से कोई बदला लेगा और तुम्हारा रुपया भी मिलेगा नहीं। इसलिये तुमसे जितने का माल लिया गया है उतना रुपया ले लो और मुकदमा में सबको छुड़वा दो। गवाही मत दो। ऐसा लोगों ने किया। यह रूल आफ ला और डेमोक्रेसी का परिणाम है। इसमें पैसे वाला तो जो भ्रष्टाचार करता है, जुवा खिलवाता है, डाके डलवाता है और जिसकी लम्बी थैली है उसको पुलिस सजा नहीं दिला पाती। लिहाजा माननीय माल मंत्री चाहे जितना ही सच्चाई और ईमानदारी से उनको सजा दिलवाना चाहें तो नहीं दिला सकते। आपने अधिकारी को माना कि सस्पेंड कर दिया लेकिन उसने अपील हाई कोर्ट में कर दी तब क्या होगा।

श्री चरणसिंह--मैंने जैसा कहा वे लोग टेम्पोरेरी हैं। अपील का कोई सवाल नहीं। एक महीने की तनख्वाह देकर उनको अलग किया जा सकता है। कोई भी माननीय मेम्बर मारेल कंविक्शन पर अधिकारी की शिकायत कर सकता है। लम्बी थैली का कम-से कम उन पर तो असर नहीं होगा, यह मैं उम्मीद करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यह सही है कि टेम्पोरेरी के बारे में वह कर सकते हैं लेकिन मैं एक बात और कह दूं। मैं स्वयं रूल आफ ला में एक चीज पर विश्वास करता हूं। जुरिस्प्रुडेंस का पहला सिद्धान्त यह है कि हजारों दोषी छूट जायं लेकिन किसी भी इन्नोसेंट आदमी को सजा न मिलना चाहिये। तो परिणाम इसका यह होता है कि मैं भी अपने मन में यह सोचता हूं कि जब मारेल कंविक्शन के ऊपर कोई शिकायत करूं तो कठिनाई सामने यह आती है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। "आई टू में एर" और मुझे डर होता है कि अगर मैं गलत कनविक्शन की बिना पर गलत शिकायत कर दूं और वह अलग हो जाय, आप उसे अलग कर दें तो मैं दोषी हूंगा या नहीं? यह जिम्मेदारी आती है। तो इन सब बातों की व्यवस्था देखना है। आप ने कृपा कर के हमें एक अधिकार दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई जिम्मेदार आदमी नहीं करेगा। पर केवल अधिकार देने से क़ाम नहीं चलता। अगर हम शान्ति के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर के फ्रैंक टाक्स करें, कोई रास्ता निकाल लें समन्वय करने का, जो हार्मोनाइज़ कर सके दोनों बातों को--इस बात को भी कि चकबन्दी का पूरा-पूरा लाभ किसानों को मिले और चकबन्दी को इम्पलीमेंट करने के प्रोसेस में जो ज्यादतियां, जुल्म और शोषण होता है, वह अगर बिलकुल बन्द नहीं किया जा सकता है तो कम से कम मिनिमाइज़ तो जरूर किया जाय।

इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति के, परिधि बढ़ाकर, सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--चेयरमैन महोदय, चकबन्दी का मसला, जिस पर आज दिन भर हम लोग बहस करते रहे, बहुत ही जरूरी मसला है, लेकिन उतना ही यह कठिन भी है। हमारे सामने इस बार चकबन्दी का चार साल का तजुर्बा है और आज जो यह तरमीमी बिल हमारे सामने आया है इस पर हमें इस बात का भी मौका मिल रहा है कि हम इस चकबन्दी के बिल पर इस हैसियत से नजर डालें कि इसमें क्या ऐसी कमियां रह गयी हैं जिनको दूर करने के बाद हम इसको इतना कामयाब कानून बना सकेंगे जिससे जनता और खास तौर से काश्तकारों को पूरा पूरा नफा हासिल हो सके।

अभी माननीय पालीवाल जी ने जो तकरीर इस सदन के सामने की है, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूं--खास तौर से उन्होंने जो बात कही कि चकबन्दी के मामले को हल करन के लिए और इसे कामयाब बनाने के लिये मैक्सिमम कोआपरेशन की जरूरत है--लेकिन जितना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

पालीवाल जी की तकरीर को सुनकर मुझे संतोष और इत्मीनान हुआ उतनी ही मुझे मायूसी हुई । जब मैंने माननीय सोशलिस्ट पार्टी के लीडर की तकरीर सुनी, जिसमें उन्होंने तकरीबन दो घंटे इस सदन के लिए और उन्होंने हर बात उसके अन्दर कही । सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम भी पेश किया, उन्होंने कुछ धमकियां भी दीं, अपनी १० मई के सत्याग्रह का भी कुछ ज़िक्र किया, चकबन्दी की बुराइयां भी पेश कीं, लेकिन मैं आखिर वक्त तक इस बात को सुनने की कोशिश करता रहा कि कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन इस किस्म का आये कि जिससे इस सदन को कुछ रोशनी मिल सके ।

सही बात तो यह है कि दुनिया का कोई कानून इतना मुकम्मिल नहीं हो सकता कि उसके जरिये से वह सब नफा हासिल किया जा सके जितना कि उससे तवक्कै की जा सकती है, जब तक कि उस कानून को एक सही स्पिरिट में न चलाया जाय । मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि चकबन्दी का कानून उन तमाम कानूनों में सब से ज्यादा जरूरी है जो आजतक इस सदन ने इसलिये पास किये हैं कि उनके जरिये से ऐग्रिकल्चरिस्ट क्लास का रिफार्म हो और भूमि को तरक्की देने की सूरतें निकाली जायं और उसका नया बन्दोबस्त किया जाय । लेकिन इस कानून को चलते हुए भी ४ साल हमारे सूबे में हो गये । इसमें भी कोई शक नहीं कि इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर भी हमने बहुत सी इसके मुताल्लिक शिकायतें भी सुनीं और इसके मुताल्लिक बहुत सी ऐसी बातें सुनने में आयीं कि जिनको सुन कर कभी-कभी यह भी शक होने लगता है कि आया यह कानून हमारे यहां स्टैट्यूट बुक पर रहे या न रहे ।

मैंने एक बात बहुत इत्मिनान से सुनी और वह यह कि यहां बहस के दौरान में कम से किसी मेम्बर ने अब तक यह नहीं कहा कि चकबन्दी का कानून ऐसा है जिस कानून को स्टेट्यूट बुक पर से निकाल देना चाहिये और इसकी जगह पर वही दस्तूर, वही पुराना निज़ाम लाना चाहिये, जो अब से पहले था । इससे यह बात साफ ज़ाहिर है और वैसे भी इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि चकबन्दी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है । अगर हमें काश्तकार को उसकी पैदावार का मैक्जिमम प्राफिट पहुंचाना है तो सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं हो सकता है इसको देखते हुये, जो आजकल बिखरी हुई जमीन है, उस को एक जगह कर दें ताकि वह उसकी तरक्की के लिये सोच सके, पैदावार में तरक्की कर सकें और उसकी अच्छी तरह से रखवाली कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के बाद, ज्यादा से ज्यादा नफा उठा सके ।

चकबन्दी की इसलिये और खास ज़रूरत थी और खास तौर से इस जमाने में जब कि हम प्लानिंग के जमाने से गुज़र रहे हैं और आज हर चीज़ में हमें प्लानिंग करना है, खास तौर से ऐग्रीकल्चर का करना है, जो सूबे की बैक बोन है, जिसके ऊपर सूबे की जिन्दगी का दारोमदार है । इसलिये इस चकबन्दी की और भी ज़रूरत पड़ जाती है । जब हम इस नुक्तेनज़र से देखना चाहते हैं, जो कुछ हाउस में कहा गया और बाहर कहा जा रहा है तो फिर इंसान को यह सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिये चकबन्दी को हमें कायम रखना है या इसको खत्म कर दिया जाय या इसको बेहतर बनाने के लिये कोई बात सोचें ।

आज हमारे सामने यह बिल आया है और इसके आने की असल वजह यह है कि कुछ रिट्स जो हाई कोर्ट में गये थे और इस बिना पर गये थे कि पिछले कानून में हमने कम्पेसेशन का कोई बन्दोबस्त नहीं किया था कि जो जमीन किसी कामन काज के लिये ली जाय, उसके लिये मुआविजा दिया जाय । मैं समझता हूं कि अच्छा तो यही होता कि हाई कोर्ट की रूलिंग के फौरन् बाद ही हम कानून में तरमीम करते । हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद फौरन् ही कानून में तरमीम की जाय तो वह अच्छा नहीं मालूम होता, मुनासिब नहीं मालूम होता । मैं गवर्नमेंट की इस बात के लिये खास अहतराम करता हूं कि उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की और उनको यह सवाल पैदा हुआ कि जो दिक्कत और दुश्वारियां हैं, जनता को जो तकलीफ है, उसको दूर किया जा सकता है, इसलिये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले

का भी इन्तजार नहीं किया और इन सब चीजों को दूर करने के लिये यह अमेंडिग बिल सामने लाया गया है और इस मौके पर कानूनी सूरत को दूर करने के अलावा और जो चीजें हमें बतलाई गई थीं, उनको दूर करने की कोशिश की गई है। अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने जायगा और उसको काफी मौका इस पर गौर करने का मिलेगा। हम चाहे सदन में हों, चाहे सलेक्ट कमेटी में हों, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा है कि जब तक हम यह फैसला न कर दें कि इस सिलसिले में हम एक मैक्जिमम कोआपरेशन से काम करेंगे तब तक यह चीज कामयाब नहीं होगी।

इसके मुताल्लिक कभी दो रायें नहीं हो सकती कि यह किसी एक खास पार्टी का मामला है बल्कि यह तो कंट्री का एक प्राबलम है, जिसको हमें हल करना है। यही हमारे प्लानिंग कमीशन का फैसला है और हमारी जनता का फैसला है, जनता भी इसको चाहती है। लेकिन ताज्जुब है कि जनता के साथ रहते हुये भी इसमें कठिनाइयां पड़ गयी हैं और कहीं-कहीं तो यह आवाज सुनने में आने लगी हैं कि चकबन्दी बड़ी बुरी चीज है और लोग इसको नापसन्द करते हैं। उसकी वजह यह है और गौर से देखा जाय तो मालूम होता है कि चकबन्दी कतई बुरी चीज नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है लेकिन इसके प्रोसेस के मुताल्लिक लोगों को शिकायतें हैं। अगर इनको जल्दी दूर न किया जाय तो गहरे तरीके से इंसान की तबीयत रिवोल्ट करने लगती है और लोग यह चाहने लगते हैं कि इस चीज को ही दूर कर दिया जाय।

ऐसी हालत पैदा हो गई है और इस बात की जरूरत है कि हम एक जगह बैठकर सोचें और सजेशन्स गवर्नमेंट के सामने पेश करें ताकि उसकी रोशनी में हम इसको ज्यादा अच्छा और ठीक बना सकें और इसके जरिये से जो मकसद है उसको हासिल किया जा सके। मैंने भी उसी पहलू पर, इसी उसूल पर गौर करने की कोशिश की है और मैं तो यह समझता हूं कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो दो, तीन चीजों को सामने रखने की जरूरत पड़ेगी।

सबसे पहले मेरे नजदीक इस बात की जरूरत है कि पब्लिक ओपीनियन को ज्यादा से ज्यादा उस ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोशियेट होना चाहिये जिसके हाथ में चकबन्दी का काम है। वह इस सूरत से हो सकता है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी पब्लिक ओपीनियन को एसोशियेट कर सकते हैं और प्राविंशल लेविल पर भी पब्लिक ओपीनियन को एसोशियेट कर सकते हैं। अगर हम चकबन्दी के नाम की एक कमेटी सूबे में बनायें और एक जिले में बनायें और वह पीरियाडिकली मीट करती रहें और जनता से कान्टेक्ट रखें, इसलिये कि जाहिर है कि उसमें पब्लिक मैन होंगे और उनका जनता के साथ ज्यादा सम्पर्क होगा और वे उनकी दिक्कतों को जब पीरियाडिकली मीट करें तो कलेक्टर, कंसालिडेशन आफिसर और जो दूसरे कर्मचारी और अधिकारी इस महकमें के हों उनके सामने रखें और उनको दुरुस्त कराने की कोशिश करें। लोग इंडिविजुअल कम्प्लेन्ट लेकर आते हैं। उस पर उतना गौर नहीं हो सकता जितना कि एक कमेटी के प्रस्ताव पर हो सकता है जिसको जिम्मेदार लोगों ने मिल कर बनाया हो। कमेटी में कौन मेम्बर हों यह सोचा जा सकता है। लेकिन मेरा अपना खयाल है कि जिले से जो लेजिस्लेचर के मेम्बर हों वे उस कमेटी के मेम्बर हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट भी एक जिम्मेदार जनता के नुमायन्दे हैं, वे भी इसके मेम्बर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी सोचा जा सकता है कि कौन मेम्बर हो।

जिले के अन्दर प्लानिंग कमेटी भी हैं, लेकिन वे काम से इतनी ज्यादा ओवर बर्डेड हैं कि वे किसी एक मखसूस प्राब्लेम पर उतनी तवज्जह नहीं दे सकतीं जितनी कि देनी चाहिये। चकबन्दी का मामला इतना जरूरी है और इतना मुश्किल भी बन गया है कि हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर जिले की कमेटियां और सूबे की कमेटियां ज्यादा एलर्ट हों तो बजाय इंडिविजुअल कम्प्लेन्ट के इन कमेटियों की राय को ज्याद। वक़अत दी जा सकती है और उनके जरिये से ज्यादा सुधार हो सकते हैं।

[श्री सुल्तान आलम खां]

अभी पालीवाल जी ने जो सजेशन्स दिये उनमें एक यह भी था कि इसमें जो अधिकारी हों वे बजाय इक्जीक्युटिव लाइन के जुडिशल लाइन के हों तो वह ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह सुझाव भी ऐसा है जिसके ऊपर गौर हो सकता है और जिसमें बज़ाहिर काफ़ी वज़न भी मालूम होता है। इसके अलावा एक चीज़ यह भी होनी चाहिये कि जो लोग भी कंसालिडेशन आफ़िसर या जिम्मेदार अधिकारी बनाये जायं वे लोग खासतौर से चुने जायं। इसके माने यह नहीं है कि मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट ने उनके चुनने में काफी ध्यान नहीं दिया। मैं जाती तौर पर इस बात को महसूस करता हूं कि हमारे इस महकमें के माननीय मंत्री अपने काम में पूरी दिलचस्पी लेते हैं, तमाम रकीम उन्होंने बनायी है जिसके लिये उन्हें पूरा क्रेडिट जाता है। मैं जो कुछ भी उनके सामने रख रहा हूं वह बतौर सजेशन के हैं जिस पर गौर करने से शायद कोई ऐसी चीज़ निकल आये जो उनकी समझ में आये और बेहतरी के लिये हो।

मेरा दूसरा सजेशन यह है कि जो सी० ओ० या और अफसर चुने जायं वे जुडिशरी के होने के अलावा ऐसे लोग खास तौर पर चुन कर रखने चाहिये जिनके करेक्टर के मुताल्लिक, जिनकी इंटेग्रिटी के मुताल्लिक और जिनके काम की कैपेसिटी के मुताल्लिक कोई दो रायें न हों। यह मामला इतना अहम बन गया है कि इसमें ऐसे लोगों को रखना चाहिये जो ज्यादा क्रेडिट से काम कर सकें। इसके साथ-साथ काम इतना पेचीदा, लम्बा चौड़ा और मुश्किल भी है जिसमें हमें उनके लिये खासतौर से यह रिआयत करनी चाहिये कि जो लोग इसमें बेहतर से बेहतर काम करें उनके प्रोमोशन के सिलसिले में या और किसी सूरत से रिवार्ड देने के सिलसिले में खास तौर पर ख़याल किया जाय। इससे यकीन है कि वे अपने फ़र्ज़ और ज्यादा जिम्मेदारी से अंजाम देने की बात सोचेंगे।

इसके अलावा, तीसरी बात कर्मचारियों के मुताल्लिक है। वे लोग जो कंसालिडेटर्स हैं, जो फील्ड वर्कर्स हैं और जो इस किस्म के हैं जिनकी सरविसेज़ मुस्तकिल नहीं हैं मेरा अपना ख्याल यह है कि सब से ज्यादा दिक्क़त और दुश्वारी ऐसे लोगों की ही तरफ से पैदा होती है जिनके प्रास्पेक्ट्स न हों, जिनकी मुलाजमतें मुस्तकिल भी न हों वे लोग अपने काम में दिलचस्पी उतनी नहीं लेते, और कुदरतन उनको नहीं लेना चाहिये जितनी कि वे लोग लेते हैं जिनके सामने कोई कैरियर होता है या कोई प्रासपेक्ट होता है। मैं यह तो नहीं कह सकता और न गवर्नमेंट इसको मानने के लिये ही तैयार हो सकती है कि जितना स्टाफ इसके अन्दर काम कर रहा है उसे मुस्तकिल कर दिया जाय लेकिन इतना जरूर अर्ज़ करूंगा कि इस बात की छानबीन करने की बहुत काफी जरूरत है कि जो कर्मचारी कंसालिडेशन में फील्ड वर्कर्स हैं उनके कैरियर्स को, प्रास्पेक्ट्स को ज्यादा ऐट्रैक्टिव बनाने के लिये हम क्या कर सकते हैं? इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये कि अगर इस सिलसिले में हम उनको ज्यादा सहूलियतें दें, ज्यादा टेम्प्टेशंस दें तो शायद वे अपने काम को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और ज्यादा बेहतरी के साथ कर सकेंगे।

एक चीज और भी है। कंसालिडेशन का काम बहुत लम्बा है और इसलिये इसमें काफी वक्त लगता है और हमारे ख्याल से इस सूबे के २६ जिलों में यह काम हो रहा है और बाकी में होने वाला है जिसमें काफी वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी औसतन तीस साल एक तहसील में कंसालिडेशन के काम में लगता है, अगर हम इस तरफ तवज्जह करें तो हम वक्त को कुछ और बचा सकते हैं और कम से कम कर सकते हैं। अगर हम इस काम में कुछ तेजी पैदा कर दें तो ट्रान्जिटरी पीरियड की कुछ मुश्किलात हल हो सकती है।

मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मुफीद स्कीम को, जिसके मुफीद होने में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, चलाने की पूरी कामयाबी के साथ कोशिश की जा रही है लेकिन अगर इसके अन्दर थोड़ी कोशिश इस सूरत में भी की जाय तो ताज्जुब नहीं है कि काम कुछ बेहतर हो सके।

जहां-जहां कंसालिडेशन का काम हो रहा है, वहां सरप्राइज चेक्स का सिस्टम निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि लोगों को ज्यादा विजीलेंट और एलर्ट रहने का मौका मिलेगा और जहां कहीं हमारे माननीय मंत्री जी जायं तो ऐसे मौकों पर जाकर सरप्राइज चेक्स करें, कुछ लोगों से मिलें, कमिटीज जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर बनें उनसे बातें करें और इसके साथ-साथ उनके कामों को भी चेक करने की कोशिश करें तो इससे कुछ ज्यादा बेहतर सूरत पैदा हो सकती है।

मैं तो उन लोगों में से हूं जिनका यह ख्याल है कि काम को ज्यादा एफीशियेंट बनाने के लिये अगर जरूरत पड़े तो अपने यहां एक ऐसा मिनिस्टर हो जो मिनिस्टर विदाउट पोर्ट फोलियो हो और जिसका काम सिर्फ यही हो कि वह सरप्राइज चेक्स करता रहे और वह चेक्स सब चीजों का हो। एजूकेशन डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशन को भी वह देखें, ऐग्रीकल्चर को भी देखें, इरीगेशन और प्लानिंग के कामों को भी वह देख सकते हैं और हर चीज की चेकिंग हो सकती है और इसमें खास प्रायरिटी होनी चाहिये जो चकबन्दी का काम है। ऐसे जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हों उनके पास सरप्राइज चेक्स करने के मुकम्मिल अख्तियारात हों और जो उनकी फौरी रिपोर्ट हो वह मिनिस्टर के पास भेज दें और उस पर फौरी ऐक्शन ले लिया जाय। बाज वक्त जो इससे बद्दिली होती है और रेडटैपिज्म की बात कहनी शुरू होती है वह बहुत हद तक दूर हो जायेगी।

मैं यह भी समझता हूं कि इसके मुताल्लिक भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि जस्टिस जितना जल्द पहुचाया जा सकता है, ग्रीवेंसेज जितनी जल्दी दूर की जा सकती हैं उतना ही एवरलास्टिंग एफेक्ट होता है। यह सही है कि इतना बड़ा सूबा है जिसमें ६ करोड़ ३२ लाख इंसान बसते हैं जिसमें ५१ जिले हैं, जहां एक मुकाम से दूसरे मुकाम का ६ सौ से ८ सौ मील का फासला है इसके लिये आर्डिनरी मशीन जो हमारी है वह चलते-चलते ही चलेगी और उसको वक्त लगेगा अपना काम पूरा करने में। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम इवाल्व किया जा सकता है जिसके जरिये से सरप्राइज चेकिंग और सरप्राइज ऐक्शंस लेकर काम चला सकें तो मैं समझता हूं कि हमारी एफीशियेंसी में उससे इजाफा हो सकेगा, खास तौर पर वे लोग जो कि अपनी जगह पर किसी अपनी इंटेग्रिटी की वजह से मशहूर नहीं है, और इंटेग्रिटी की वजह से बेईमान हैं और हो सकता है कि ज्यादा लोग भी हों और हर जगह मुमकिन है और हो सकता है। तो उन लोगों को काफी खतरा पैदा हो जायगा और वह अपनी जगह पर बहुत एलर्ट हो जायंगे।

यह जितनी बातें मेरे जेहन में आईं वह मैंने सदन के सामने रख दीं। बड़ी खुशी की बात है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने जा रहा है।

श्री चरणसिंह--नहीं जा रहा है। इसे तो आप लोग तय करेंगे कि यह जा रहा है या नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां--मैंने इस ख्याल से यह कहा कि सेलेक्ट कमेटी के लिये यह प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। बहरहाल अगर यह नहीं जा रहा है तब तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज अर्ज करूंगा कि इसकी डिबेट आज नहीं खत्म होनी चाहिये। बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिये कि वे अपने ख्यालात को जाहिर कर सकें और मैं साफ तौर से अपने तमाम दोस्तों से आखिर में अपील करूंगा, खाह वे इधर के हों या उधर के, कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर एतराज करने से कोई मंशा हल नहीं हो सकता। मंशा सिर्फ उसी वक्त हल हो सकता है कि हम कोआपरेटिव स्प्रिट में इस मामले को एक नेशनल प्राब्लम मान कर सही तरीके पर सजेशन दें ताकि यह मामला सही तरीके पर हल हो सके। अगर हम सब का सहयोग इसमें रहा तो कोई वजह नहीं है कि चकबन्दी जैसी चीज जिसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हैं, यहां न सफल हो सके। मैंने अपने सजेशन्स यहां पेश कर दिये हैं। अब ऐसी सूरत में जब कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा रहा है तो.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को यह कैसे मालूम है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा रहा है, आपकी और माननीय मंत्री जी की कोई बात हो सकती है ? लेकिन वह बात हाउस की नहीं है।

श्री चरणसिंह—मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि कल यह हाउस तय करेगा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है या नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—चेयरमैन महोदय, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कल यह बिल इस हाउस से सेलेक्ट कमेटी में जायगा या नहीं। बहरहाल, अगर यह वहां जाय तो मैं यह ख्वाहिश करूंगा कि जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स हों, वह उन पर गौर करें और अगर यह सेलेक्ट कमेटी में न जाय तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि उससे हमारे माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है। वह इन तमाम सजेशन्स को अपने पास नोट कर लें और उन पर काफी गौर करें। संभव है कि अगर कोआपरेटिव बेसिस पर इस बिल को हल करने की कोशिश की गई तो यह तमाम दुश्वारियां जो हैं, वह दूर हो जायंगी।

आखिर में मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि चकबन्दी के मामले को किसी सूरत में भी किसी पार्टी को क्वेश्चन नहीं होना चाहिये। अगर यह मामला पार्टी का सवाल बन गया तो उससे किसी महसूस पार्टी की थोड़ी सी हार या जीत भले ही हो जाय, लेकिन इस सूबे की ६,३२,००,००० जनता का जिस में ज्यादातर हिस्सा काश्तकारों का है, उस से बड़ा नुक्सान हो जायगा और वह इतना बड़ा नुक्सान होगा कि जिसका सुधार इस सदन के हाथ में न होगा और न हमारे और आपके या किसी और के हाथ में होगा। यह मौका है कि जो लूपहोल्स हैं, जो कमियां और खामियां हैं इस बिल में उनको दूर करने के लिये हम सब मिल कर एक दूसरे को सहयोग दें और इस काम को चलावें। अन्त में मैं इस बात की अपील करूंगा कि पार्टीबन्दी और पार्टी फ्रैक्शन्स एक अलग चीज है। कुछ प्राब्लम ऐसे होते हैं कि जो नेशनल प्राब्लम्स होते हैं, जिनके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जिनमें कोई पार्टी का सवाल नहीं होता। यह सवाल भी ऐसा ही है। हमको चाहिये कि हम सब मिल कर इस में सहयोग दें ताकि इससे हम अपने मुल्क को और कौम को ऊंचा कर सकें।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा आनन्द हुआ कि सत्तारूढ़ दल की ओर से एक माननीय सदस्य करीब-करीब दबी हुई जबान में ही क्यों न हो, जितनी सारी बातें हम लोग इधर से कहते हैं, उन सबको स्वीकार करते हुए अपनी बात कहते चले गये। इसके लिये मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं।

जहां तक राष्ट्र और समाज के उत्थान का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि विरोधी दल में जितने भी लोग हैं उन सब की ओर से और अपनी ओर से मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि समाज के उत्थान की दृष्टि से हम लोग सत्तारूढ़ दल से कभी किसी भी माने में पीछे नहीं रहे हैं। चकबन्दी की योजना के सिद्धांतों के प्रश्न के ऊपर किसी के दो मत नहीं हो सकते और न होने चाहिये क्योंकि जहां तक सिद्धांतों का प्रश्न है, मैं समझता हूं, कृषि के काम के लिये यह बहुत अच्छी योजना है। परन्तु इसके ऊपर जो आज दो मत हुए हैं उसका एक कारण है। इस चकबन्दी के सिद्धांतों के व्यवहार में जो लोग लगे हुए हैं उस व्यवहार की आज शिकायत है। उस व्यवहार में शिकायत होने के कारण आज जन-साधरण के मन में एक विशेष भय और एक विशेष अविश्वास की भावना खड़ी हो गयी है। उस अविश्वास की भावना को दूर करने की जरूरत है और साथ ही इसका पता लगाने की जरूरत है कि उनके अन्दर अविश्वास क्यों बढ़ा। अगर हम लोग यह कहें कि अविश्वास वहां पर नहीं है तो गलत होगा। अविश्वास यहां पर उत्पन्न हो गया है और काफी मात्रा में है। उस अविश्वास का परिणाम यह हो रहा है कि आज गांवों में चकबन्दी के बारे में जो अच्छी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भावना होनी चाहिये और जिस चकबन्दी के सिद्धांतों के आधार पर जन-साधारण के जीवन को लाभ होना चाहिये था आज उनमें भय का संचार हो रहा है। उसका कारण मैं यह समझता हूं कि ऊपर तो सद्भावना है, ऊपर तो विचार ठीक है परन्तु नीचे के स्तर पर वहां पर गड़बड़ी हो रही है।

कल हम लोगों की माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई थी। उस समय हमारी ओर से यह बात बहुत स्पष्ट रूप से उनके सामने रखी गयी कि जिन लोगों को आपने चुना है वे अभी ही यूनिवर्सिटीज से निकल कर आये हैं। उनको जीवन का अनुभव नहीं है। उनके सामने कैरियर का प्रश्न खड़ा है। यह प्रश्न उनके सामने खड़ा होने के कारण वह जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना चाहते हैं जिससे लोग उनको अच्छा समझें और उनको काम में दक्ष समझा जाय। इस जल्दबाजी का परिणाम यह हुआ है कि चकबन्दी ठीक से न होने के कारण, किसानों की मनोभावना को ठीक से न समझने के कारण और उनके जीवन की कठिनाइयों को न समझने के कारण उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। उस कुठाराघात और असंतोष की भावना से विद्वेष खड़ा हो गया है।

ऐसी दशा में अधिकारियों को अनलिमिटेड पावर दी जाय तो इतिहास का यह क्रम है कि उनकी सामर्थ्य भी इस प्रकार से असंतुलित हो जाती है। उस पावर को सही रूप से न बरतने के कारण नीचे के स्तर के लोगों के अन्दर एक दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। आज भी जन-साधारण के अन्दर इस अनलिमिटेड पावर होने के कारण उसी प्रकार की भावना हो चली है। एक अंश तक माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया था और उन कठिनाइयों को माननीय मंत्री जी ने स्वयं कुछ अंश तक स्वीकार किया था। इसलिये आवश्यक है कि जिस बिल से हमारे जन-साधारण के जीवन का संबंध है उस बिल को हम जल्दबाजी में पास न करें। जल्दबाजी केवल इसी कारण नहीं हो सकती है कि इस बिल को प्रवर समिति में दें जहां शांति के साथ सारी दृष्टि से इस पर विचार किया जाय। प्रवर समिति को यह न समझा जाय कि वह फाल्ट फाइंडिंग समिति होगी और वहां पर विरोध किया जायगा। वहां पर फेक्ट फाइंडिंग के प्रकार से काम लिया जायगा कि यह गड़बड़ी कैसे हुई है और किस प्रकार उसको ठीक किया जाय।

आज चकबन्दी के जो अनुभव सामने आये हैं उनके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचकर आगे के लिये इसकी योजना को सोचने का प्रयास वहां पर करें। इसका प्रवर समिति में जाना बहुत आवश्यक है। प्रवर समिति में जाने के बाद शांति के साथ वहां पर विचार हो सकता है और सब दृष्टियों से विचार हो सकता है। अभी तक के कार्य की जो प्रगति रही है और उसमें क्यों यह गड़बड़ी हुई है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है और किस आधार पर इसको आगे के लिये लागू किया जा सकता है यह सारी बातें गम्भीरतापूर्वक विचारी जा सकती हैं फिर किसी निष्कर्ष पर आने के पश्चात् जो आवश्यक संशोधन हों वह वहां पर किये जा सकते हैं।

मैं देखता हूं कि कई कठिनाई हुई हैं, उनको दूर करने के लिये अमेंडमेंट रखे गये हैं। एक संशोधन करने पर दूसरी कठिनाई सामने आ जाती है। इस कारण सारी कठिनाइयों पर विचार करते हुए भविष्य में कोई कठिनाई हमारे सामने खड़ी न हो सके इस कारण इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है। वहां पर गम्भीरतापूर्वक सब दृष्टि से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। कभी-कभी यह भी होता है कि हम लोग जल्दी में कानून लाते हैं और फिर कठिनाइयों को लेकर संशोधन लाते हैं। "we legislate in haste and repent at leisure." ऐसा नहीं होना चाहिये। हम लोगों को अपने अनुभव और सम्पूर्ण निष्कर्ष के आधार पर चलना चाहिये। चकबन्दी किसान की भलाई के लिये होती है। अगर यह कहा जाय कि हमारा किसान अपनी भलाई और बुराई को नहीं समझता है तो वह गलत होगा। हो सकता है कि वह पढ़ा लिखा न हो और थोड़े समय के लिये उसकी असाक्षरता का लाभ लेकर दूसरे लोग उसे किसी दूसरी भावना में बहा सकते हों, परन्तु अन्त में वह अपने हित और अहित को जरूर समझेगा। तो यह सारी योजना उसे स्पष्ट समझानी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

चाहिये कि तुम्हारा इसमें हित है और भलाई है। यह उसे मालूम होते हुए वह नीचे के अधिकारियों के ऊपर आधारित रहता है चाहे वह काला करें या सफेद करें। जहां भी थोड़ा सा भ्रष्टाचार रहता है वहां के अधिकारी गांव के दो चार चतुर लोगों से मिलकर समझौता कर लेते हैं जो गांव वालों को बतलाते हैं कि घबराओं नहीं, तुमको अच्छी जमीन मिलेगी और वे बेचारे इसी भुलावे में अपील का समय भी निकाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी जमीन लुप्त हो गई और साधारण सी भूमि मिलेगी। उसके मन में असंतोष और विद्वेष खड़ा होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसके हित की बातों को उसे बतलाना चाहिये और बतलाना चाहिये उपयुक्त प्रचार के साथ।

मैं समझता हूं कि चकबन्दी को ऊपर से नहीं लादना चाहिये। कल माननीय माल मंत्री ने जब हम लोगों को आंकड़े दिखाये तो उनसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे कुछ अंश तक ठीक होने चाहिये। उन्होंने एक स्थान के लिये कहा कि ९६ फीसदी सन्तुष्ट हैं। तो क्यों नहीं उसके लिये यह किया जाय कि अगर गांव के अन्दर ७५ फीसदी लोग चकबन्दी स्वीकार करते हैं और उसके लिये तैयार होते हैं तभी वहां चकबन्दी शुरू की जाय? चकबन्दी समाप्त होने पर सारी व्यवस्था उनके सामने रखनी चाहिये और अगर ९६ फीसदी लोग संतुष्ट हैं तभी उस व्यवस्था को लागू करना चाहिये। अगर संतुष्ट न हों तो उनके भी सुझाव मांगने चाहिये। इस तरह से बहुत सी गड़बड़ियां जो लोकल स्तर पर हो जाती हैं, रुक सकती हैं। यह मैं नहीं कहता कि किसी भी कानून से आप सम्पूर्ण बुराइयां रोक सकते हैं। परन्तु यह जरूर होगा कि बहुत मात्रा में बुराइयां रोकी जा सकेंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। इसके पीछे हमारी फाल्ट फाइंडिंग भावना नहीं है बल्कि फैक्ट फ़ाइंडिंग की भावना है। उसकी आलोचना करने की भावना नहीं है। यह आप भले ही कह सकते हैं कि विरोधी पक्ष के लोगों ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी भावनाओं को रखा है "Opinions held strongly and put up strongly may also be in strong language" उसके पीछे हमारी भावना यह है कि अपने विचारों को दृढ़ता के साथ हमने आपके सामने रखा है। हो सकता है कि कहीं आपको शब्दों का संतुलन न लगता हो परन्तु फिर भी उसके पीछे भावना को नहीं भूलना चाहिये।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विरोध के प्रस्तुत किये हुए प्रस्ताव को वह मान लें क्योंकि यह बिल किसानों के जीवन से संबंध रखता है। पिछले अनुभव के आधार पर वहां शांति से विचार हो सकता है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसे प्रवर समिति में ले जाने की बात को स्वीकार करने की कृपा करें और इसके साथ ही साथ मैं इतना और कहूंगा कि प्रवर समिति में जाने के बाद हम डिटेल में सजेशन्स भेज सकते हैं और सदन के सामने भी डिटेल्ड बातें आयेंगी और उसमें माननीय सदन स्वयं भी परिवर्तन कर सकेगा। अगर नया कानून बनाने की जरूरत होगी तो वह भी बनायेगा। मैं समझता हूं कानून मनुष्यों के लिये बनाया जाता है न कि मनुष्य कानून के लिये होता है। इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो कानून एक बार बन गया वह परिवर्तित नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह—इसीलिये अमेंडमेंट बार-बार लाने पड़ते हैं और जिसको ५ मिनट पहले माननीय सदस्य कंडेम कर रहे थे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय माल मंत्री जी बहुत ही चतुर हैं। किसी वस्तु को वे खूब एन्टीसिपेट करते हैं। परन्तु जब तक आप पूरे स्कोप को न देख लें तब तक आप ठीक एन्टीसीपेट नहीं कर सकते। आप टेनिस के खिलाड़ी हैं तो आपको पूरे खेल पर विचार करना होगा, नहीं तो आप अपने डिसीज़न में ग़लती कर सकते हैं। टेनिस के खिलाड़ी न सही, चाहे आप कबड्डी के खिलाड़ी रहे हों या गुल्ली डंडा के खिलाड़ी रहें हों लेकिन आप जब तक पूरी तसवीर सामने न रक्खें तब तक एन्टीसिपेट न करें। इसलिये

अगर आप यह विचार करते हैं कि हमने जो भावना बनायी है, जो आंकड़े बनाये हैं या जो कानून बनाया है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, यह चीज ठीक नहीं है। इसके लिये मेरा तो दृष्टिकोण यह है कि कोई भी कानून जो बनता है वह मनुष्यों के लिये ही बनता है। मनुष्यों के लिये कानून में ही नहीं अगर आवश्यकता हो तो कांस्टीट्यूशन में भी परिवर्तन हो सकता है।

आपने कानून में रक्खा है कि भूमिधर को ४ गुना और सीरदार को २ गुना मुआविजा दिया जायगा। अगर यह सत्य है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों के जीवन की आवश्यकाओं का यही मापदंड है। क्या जब भूख लगती है तो भूमिधर को अधिक लगती है और सीरदार को कम लगती है। मैं समझता हूं कि आपको उन्हें रिहैबीलिटेशन ग्रांट देनी चाहिये। अगर आप भूमि का कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं तो दोनों को बराबर दीजिये। इस दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि आपका जो यह चकबन्दी का अमेंडमेंट बिल है इस पर आप पुनः विचार करें और विरोधी पक्ष की ओर से जो मांग प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के लिये की गयी है, जिससे उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार हो सके, उस मांग को आप स्वीकार करें।

*श्री चन्द्रसिंह रावत---अधिष्ठाता महोदय, मैंने पुराने जो फिर से निर्वाचित सदस्य इस सदन में पधारे हैं और नये निर्वाचित सदस्य जो पहले इस सदन के सदस्य नहीं थे, उनके भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैंने देखा कि हमारे माननीय सदस्यों का जो स्टैन्डर्ड आफ थिंकिंग है वह अवश्य इस बार बहुत ऊंचा है और इस सदन में बहुत स्टैंडर्ड के भाषण हुए हैं। उसके लिये मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं समझता हूं कि हम लोग दृढ़ता से काम लेंगे तो हमारे इस उत्तर प्रदेश का विकास भी बड़ी दृढ़ता के साथ होगा। मैंने देखा है और मैंने पाया है कि जो तकरीरें यहां हुई हैं वह जैसी डिबेट में होनी चाहिये वैसी ही हुई हैं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में यह सदन प्लेटफार्म स्पीचेज का क्रीड़ास्थल न होकर डिबेटिंग हाल बन कर रहेगा। जो कुछ डिबेट यहां होती है वह कानून की वास्तविक व्यवस्था के लिये होती है जिससे वह कानून अच्छा बन कर राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सके।

यह अमेंडमेंट बिल जो इस सदन में उपस्थित है उसके मुताल्लिक मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी इसके मुताल्लिक अपनी बातें इस सदन में रखीं, और मैं बतला देना चाहता हूं कि जो कानून हम इस सदन से बनाते हैं, हमको इस बात का दुख है कि हम दूरदर्शिता से काम लेने का प्रयास नहीं करते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिये कि हमारा मुल्क दिन ब दिन प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे समाज, हमारी भूमि व्यवस्था और हमारे कानून का कदम उसकी प्रगति के साथ होना आवश्यक है। हम मुल्क के अन्दर व्यवस्था को अच्छी प्रकार का और भली-भांति करना चाहते हैं तो प्रगति के कदम के साथ ही हमें लेजिस्लेशन के कदम को भी बढ़ाना चाहिये। परन्तु आज का कानून जो इस सदन द्वारा हम बनाते हैं वह पैच वर्क का ही काम करता है। जैसे अगर कपड़े में छेद हो जाता है तब हम तख्ती लगा कर अपना काम निकालना चाहते हैं। आज हमारा समाज जिस संक्रामक व्यवस्था से गुजरता हुआ चला जा रहा है .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं या कानून की व्यवस्था क्यों हो, कानून कैसा हो रहा है, उस पर बोल रहे हैं?

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि जो अमेंडिंग बिल पेश है, उस पर मैं बोल रहा हूं और उसी बिल पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं कि यह सब साइड ट्रैक है कि हमारा देश आज एक संक्रामक युग से गुजरता हुआ जा रहा है। असली बातों को नजर के सामने न रख कर हम अमेंडमेंट लाकर ऐसी छोटी-मोटी व्यवस्था करने जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब विकास का स्तर मुल्क का अच्छा हो, जब कि हमारी आमदनी के जरिये अच्छे हों, जब कि जनता का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो मैं कहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जो बहुत से काम करते हैं वह बहुत सोच समझ कर ही करते हैं और जिन खामियों को दूर करने के लिये वे यह अमेंडमेंट बिल लाये हैं वह ठीक ही है और उन्होंने इस तरफ एक उचित ही कदम उठाया है।

आज इस बात को देखने की आवश्यकता है कि अमेंडिंग बिल में जो धारायें हैं, ये छोटे मोटे अमेंडमेंट होकर उस व्यवस्था को सम्भाल सकें जिस व्यवस्था के प्रति हम आगे व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा इस बिल को प्रवर समिति में भेजने से आप का कोई फायदा नहीं है। ऐसा न करके वे इस बात का सबूत देंगे कि हम वह काम करने जा रहे हैं जो काम होना नहीं चाहिये। इस अमेंडिंग बिल के अन्दर जो इनहेरेंट खामियां हैं, जो कमियां हैं उनको इस तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। अगर वहां इनको दूर किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना नितान्त आवश्यक है।

यहां पर यह बतलाया गया है कि इसके स्कोप को जो हम बढ़ाना चाहते हैं उसका अधिकार इस सदन को नहीं है। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस सदन की सर्वोपरि सत्ता है और इसको पूरा अधिकार है। जिस तरह से वह पुराने कानून को निकाल सकता है और नये कानून बना सकता है, उसी तरह से यह चाहे तो इस अमेंडिंग बिल के उद्देश्य और कारण के स्कोप को भी बढ़ा सकता है। इसके खिलाफ बात कहना तो मिसकंसेप्शन है। अगर पढ़े लिखे लोग जो कानूनदां हैं वे इस तरह की गलती करते हैं तब तो मुझे बड़ा ही खेद होता है। हम जानते हैं कि एक सर्वप्रिय सरकार कानून बना सकती है, पुराने कानूनों को मिटा सकती है, उनमें आमूल परिवर्तन कर सकती है तो क्या वह किसी बिल को प्रवर समिति में नहीं भेज सकती, क्या वह उसमें नई धारायें नहीं ला सकती? मैं जानता हूं और बतलाना चाहता हूं कि यह संशोधन बिल छोटी-मोटी कमेटियों की वजह से लाया गया है और हमारे कानूनों के सम्बन्ध में सदन में संशोधनों की बौछार आती है। हमने बताया कि अगर हम मूलभूत आधारों पर चल रहे हैं और नई व्यवस्था अपने यहां लाने को तैयार हैं तो हमें इस समय अपनी बुद्धि को एक दूसरे ही रास्ते पर चलाना होगा लेकिन जब हम अपने पुराने कानून को जैसे का तैसा बना कर उसमें थोड़ा सा नाममात्र का हेरफेर कर के उसी पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं तो आप समझ लें कि जहां पर आदमी बबूल के पेड़ बोवेगा वहां, आम के फल कहां से लगेंगे, वहां तो कांटें ही हाथ लगेंगे। अब इन छोटे मोटे बिलों से काम नहीं निकल सकता। आप इस तरह से जो जनता की, उसके हितों की रक्षा करना चाहते हैं वह नहीं होती, इससे तो केवल कुछ समय के लिये एक रुकावट पैदा की जाती है, कुछ समय के लिये उस जनता को गड़बड़ी से बचाया जा सकता है लेकिन इससे न तो हम अपनी जनता को विकास के मार्ग की ओर बढ़ा सकते हैं और न उसको दाल रोटी दे सकते हैं कि जिससे इन्सान-इन्सान की सी जिन्दगी व्यतीत कर सके। हमने अभी तक उस दिशा में, उस सिस्टम को अपनाने के लिये कोई काम नहीं किया है, कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि इन अमेंडिंग बिलों से कोई लाभ होने वाला नहीं है यह तो केवल एक व्हाइटवाश है। जब तक मूल सिद्धान्तों के आधार पर आप एक नयी व्यवस्था को कायम करने की बात नहीं सोचेंगे, जिस नई व्यवस्था को कायम करने में आपको बड़ी-बड़ी मुसीबतों को झेलना होगा, आपको बड़े-बड़े हितों को खत्म करना होगा और केवल गरीब जनता के बड़े हित को सामने रखना होगा, उसी ध्येय को मद्देनजर रखकर आप का अगर कदम उठा तब देश आगे बढ़ेगा वर्ना इन संशोधनों से कुछ होने वाला नहीं है। आज जो लोग हुकूमत चाहते हैं वह जनता को नाराज करके एक कदम नहीं चल सकते और एक दिन नहीं चल सकते....

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय सदस्य महोदय अपने जिले में इस चकबन्दी योजना का स्वागत करेंगे ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था मैदानों में लागू हो सकती है वह व्यवस्था पहाड़ों में लागू नहीं की जा सकती, वहां की जमीन और रहन सहन प्रकृति ने दूसरी तरह का बनाया है। वहां के फिजिकल फीचर्स मैदानी इलाके से बिलकुल मुख्तलिफ हैं, अगर आप जरा सोचते तो आप स्वयं ही इसका उत्तर समझ सकते थे। वहां पर ऊंचे नीचे छोटे-छोटे खेत हैं जहां पर मैदानों की तरह अनाज पैदा नहीं होता, वहां तो पहाड़ के लोगों को जिन्दा रखने के लिये थोड़ी बहुत पैदावार होती है और ऐसी अवस्था में वहां पर क्या यह चकबन्दी लागू की जा सकती है ? हरगिज नहीं। आप वहां के लोगों पर इस व्यवस्था को लाद नहीं सकते। वहां पर कुवां भी नहीं खोदा जा सकता, कोई पानी की धारा नहीं है जैसे यहाँ मैदान में मिल जाती है। जब तक वहां भी सिंचाई के साधनों का प्रादुर्भाव नहीं होता वहां उन्नति नहीं हो सकती। इसलिये जिस प्रकार की प्रवर समिति में इसे ले जाने की मांग की जा रही है मैं भी उस अपील के साथ अपने को जोड़ता हूं और नम्र निवेदन करता हूं कि इसमें कोई बात नहीं है और इसमें कोई सरकार की डिफीट नहीं है। इसमें फाल्स प्रेस्टिज और वैनिटी के लिये हमको इस सदन में लड़ना नहीं है। हमें मुल्क की इज्जत को बढ़ाना है, अच्छा इन्तजाम करना है, अच्छा इन्तजाम करने के लिये अगर कानून में हेरफेर करने की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य करना चाहिये। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मुल्क के साथ ईमानदारी के साथ न्याय करते हैं। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सी बातों की बौछार इस सदन में कर दी गयी जिनको अनकाल्ड फार कहा जा सकता है जिनकी जरूरत नहीं थी। मैं कहता हूं कि जब आप एक अमेंडिंग बिल लाते हैं और आप जब आज स्कीम आफ दि बिल ऐप्रूव करते हैं और आप उसके मूल सिद्धांतों को ऐक्सेप्ट करते हैं...

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि "आप" से उनका मतलब चेयर से है या माननीय सदस्यों से ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं चेयर को ही ऐड्रेस कर सकता हूं क्योंकि फैसला तो चेयर ही कर सकती है।

इसलिए मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा विकास का मसला पार्टी पालिटिक्स का मसला नहीं है। मुल्क के डेवलपमेंट को हम बाडी पालिटिक्स के पचड़े में अगर खींचते हैं तो हम मुल्क के विकास को धोखा देते हैं, मुल्क को प्रगति के रास्ते पर आगे ढकेलने से रोकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य अभी भाषण जारी रखेंगे ?

श्री चन्द सिंह रावत---जी हां।

श्री अधिष्ठाता---तो अब आज समाप्त करें। आप २९ तारीख को भाषण पूरा करेंगे। इसके बाद वे विधेयक जो काउंसिल से आये हैं आपके सामने रखे जायंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन), विधेयक, १९५७

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)---अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७ पर)

प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

माल मंत्री श्री चरणसिंह——अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८ पर)

सभा का भावी कार्यक्रम

श्री अधिष्ठाता——२० अप्रैल को एक पत्र माननीय सदस्यों को भेजा गया था और उसमें यह बतलाया गया था कि किस क्रम से विचार हो। तो जो चकबन्दी विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है उसके बाद ही उत्तर प्रदेश मंत्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७ लिये जायंगे।

कुमायूं डिवीजन की अन्न समस्या पर वाद-विवाद के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——कुमायूं डिवीजन में जो अनाज की समस्या पैदा हो गई है उसकी बहस के लिये भी कुछ तय हुआ है?

श्री अधिष्ठाता——३० तारीख को प्रश्नों के बाद माननीय अध्यक्ष ने उसका समय निश्चित किया है और इसकी सूचना माननीय सदस्य को दे दी गयी है।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १७ मिनट पर सोमवार, २९ अप्रैल, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ अप्रैल, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६ पर)

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७

राज्य मंत्रियों (Ministers of State) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों से सम्बद्ध कतिपय विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य मंत्रियों (Ministers of State) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्यों से सम्बद्ध कतिपय विषयों की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलाएगा।

(२) यह ९ अप्रैल, १९५७ को तथा से प्रवलित हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५२ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० में—

(१) धारा २ में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित एक नए खण्ड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(कक) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य मंत्री को बारह सौ रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।"

(२) धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द "मंत्री तथा राज्य-मंत्री" रख दिए जायं;

(३) धारा ४ में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द "मंत्री तथा राज्य मंत्री" रख दिए जायं; तथा

(ख) उपधारा (३) में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द और कामा "मंत्री, राज्य-मंत्री" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ का संशोधन।

३—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ ई० में—

(१) धारा २-क निकाल दी जाय, तथा

(२) धारा २-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

सदस्यों के प्रयोग के लिये निःशुल्क सुसज्जित आवास।

"२-ख(क)—प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल की अवधिपर्यन्त बिना किराया दिये हुये, लखनऊ में स्थित किसी ऐसे भवन में आवास प्रयोग का अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ प्रख्यापित किया हो और जब उपर्युक्त प्रकार के आवास को (accommodation) व्यवस्था न की गई हो तो उसे उस दर से प्रतिकर भत्ता मिलेगा जो नियमों द्वारा नियत की जाय।"

(ख) राज्य सरकार ऐसे भवन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अन्य व्ययों (Charges) के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।"

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ८, १९५६ का संशोधन।

४—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ में—

(१) धारा ५ में शब्द "मंत्री" के पश्चात् शब्द "राज्य मंत्री" तथा विराम चिन्ह "कामा" रख दिये जायें, तथा

(२) धारा ११ में शब्द "मंत्री" जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात् शब्द "राज्य मंत्री" तथा विराम चिन्ह "कामा" बढ़ा दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद १६४ (५) इस बात की व्यवस्था करता है कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे, जिन्हें, समय-समय पर राज्य विधान मंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। प्रस्ताव यह है कि राज्य मंत्री को बारह सौ रुपये मासिक वेतन दिया जायगा।

वह अन्य उन सुविधाओं का भी अधिकारी होगा जो मंत्रियों को प्राप्य हैं।

इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा २—क को निकाल दिया गया है। इस धारा में सदन के सत्र-काल में सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्राओं के निमित्त यात्रिक भत्ते की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को हटाना अभीष्ट समझा गया है। उक्त अधिनियम की धारा २—ख को, यह बात स्पष्ट करने के लिये संशोधित कर दिया गया है कि जब किसी सदस्य के निमित्त सरकारी व्यय पर आवास की व्यवस्था न की गयी हो तो उसे उस दर से प्रतिकर भत्ता मिलेगा, जो नियमों द्वारा नियत की जाय।

इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६३ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य बिधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० को संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५२ ई० ।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले कतिपय प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० में संशोधित किया जाय ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५२ ई० ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ ई० कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह ९ अप्रैल, १९५७ ई० को तथा से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० की धारा ३ में वर्तमान खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५२ का संशोधन ।

"(१) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य-मंत्री (Minister of State) का पद या उप-मंत्री का पद, अथवा" ।

उद्देश्य तथा कारण

उप-मंत्रियों तथा सभा-सचिवों के पदों के विषय में प्रख्यापन किया गया है कि उन पर आसीन व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा बने रहने के निमित्त अनर्ह नहीं होंगे । यह विचार है कि राज्य-मंत्रियों के पद के विषय में भी उसी प्रकार प्रख्यापन कर देना चाहिये कि उस पर आसीन व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा बने रहने के निमित्त अनर्ह नहीं होगा ।

इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है ।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मन्त्री ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६४ पर)

प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त प्रांविंशियल स्माल काज़ कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम प्रांविंशियल स्माल काज़ कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

ऐक्ट संख्या ९, १८८७ की धारा २५ का संशोधन।

२—प्रांविंशियल स्माल काज़ कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Revision of decrees and orders of Courts of small causes.

"25. The District Judge, for the purpose of satisfying himself that a decree or order made in any case decided by a Court of small causes was according to Law, may call for the case and pass such order with respect thereto as he thinks fit."

उद्देश्य तथा कारण

भारत सरकार ने १९४९ ई० में न्यायमूर्ति श्री एस० आर० दास की अध्यक्षता में हाई-कोर्ट में अपील तथा पुनरीक्षण (रिवीजन) के अधिकार के अल्पीकरण की वांछनीयता तथा हाई कोर्ट में संचित कार्य को घटाने के उपायों और साधनों के संबंध में जाँच करने तथा आख्या प्रस्तुत करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने और विषयों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि स्माल काज कोर्ट्स से उठने वाले वादों में प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट की धारा २५ के अधीन, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को, डिस्ट्रिक्ट जज के पास बिना किसी क्षति के हस्तान्तरित किया जा सकता है। समिति की सिफारिश उचित तथा विचारपूर्ण है। अतएव प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट की धारा २५ को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे पुनरीक्षण (रिवीजन) का अधिकार जो इस समय उक्त ऐक्ट के अधीन हाईकोर्ट में निहित है, एतत्पश्चात् डिस्ट्रिक्ट जज में निहित हो जायगा।

तदनुसार प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाता है।

अली ज़हीर,
न्याय मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २९ एल० ए०—१९५७—७९६।